खण्ड-272, अंक-8
गुरूवार, 8 आषाढ़, शक संवत् 1889
(29 जून, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 272 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३५
सर्वश्री लोटनराम, रामेश्वर सहाय, जगदीशसिंह तथा माधोनारायण मुद्गल के निधन पर शोकोद्गार	३५–३७
सदन के अवशिष्ट कार्य-क्रम को कार्य सूची में सम्मिलित न करने तथा सरकार के कथित वैधानिक रूप से गठित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३७–४३
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् परिषद् तथा न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के लिये अवधि) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३–४४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पांचवां संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४–४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४५
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५-४६
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविधाओं और हस्तान्तरण–पत्रों का निष्पादन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४६
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४६
सदन के परिसर में कांग्रेस के अवंटित कमरे को यू० पी० सेक्रेटेरियट मिनिस्टीरियल) आफिसर्स एसोसियेशन की बैठक के लिये दिये जाने के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४६-४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार २९ जून, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७८

अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झाँसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खाँ, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', श्री
आत्मा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री

कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झाँसी)
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम (छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव देव, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री

गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगतसिंह, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगपतसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जमनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जैदत्तसिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
ते सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुरसिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराजसिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगजसिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपालसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री

प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बलवीरसिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपालसिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगल प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल आचार्य, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथसिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)

राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
रामअंजोर, श्री
राम अंचल सिंह सेन्गर, श्री
राम अधार, श्री
राम अधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
राम करन, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
राम चन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (राय बरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामवचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, वर्मा, श्री
रामापण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री श्री
रूप नरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पाण्डेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
बिपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद श्री, (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री

शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनार्थसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री,
शिवलाल, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतलाप्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्यामसिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील),
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिकराम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहरबख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—मंत्री श्री प्रभु नारायण सिंह तथा मंत्री श्री मान सिंह वर्मा भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २९ जून, १९६७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गय तारांकित प्रश्न]

नान्दकुई ग्राम में पुलिस की ज्यादती के खिलाफ शिकायत

*१—श्री राम आसरे (जिला बाराबंकी) तथा श्री भगौती प्रसाद वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या गह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी, थाना फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम नान्दकुई के तमाम किसानों को स्थानीय पुलिस परेशान कर रही है जिससे ग्रामवासी ग्राम छोड़कर भाग रहे हैं ?

गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

यह सत्य नहीं है कि थाना फतेहपुर के अन्तर्गत नान्दकुई के तमाम किसानों को स्थानीय पुलिस परेशान कर रही है जिससे ग्रामवासी ग्राम छोड़कर भाग रहे हैं ।

*२--श्री राम आसरे तथा श्री भगौती प्रसाद वर्मा--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त विषय पर जिलाधिकारियों, आई० जी०, डी० आई० जी० तथा मंत्री जी को खुद किसी संसद सदस्य तथा किसानों के तार व प्रार्थना-पत्र मार्च, १९६७ में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रुस्तम सैटिन--

उपरोक्त विषय पर किसानों के एवं एक संसद सदस्य के तार व प्रार्थना पत्र अधिकारियों को प्राप्त हुये थे। शासन को भी उक्त संसद सदस्य से तार प्राप्त हुये थे। मामले की जांच कराई गई जिससे विदित हुआ कि पुलिस द्वारा ग्राम में लूट मार किये जाने और औरतों के जेवर उतरवाये जाने के आरोप सही नहीं थे।

चंकि दोनों पक्षों के बीच भारी वैमनस्य है अतः शान्ति बनाये रखने के लिये पुलिस ने उभय पक्ष के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० की कार्यवाही की है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है। जिन विवादग्रस्त खेतों पर दोनों पक्ष अपना-अपना दावा बताते हैं उनके संबंध में १४५ जा० फौ० की कार्यवाही की गई है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

खेतों के काटे जाने के विषय में ४ रिपोर्ट थीं जिनमें से २ गैर दस्तन्दाजी पुलिस थीं। जांच से एक झूठी पाई गई। खेत काटने की एक शिकायत पर मुकदमा कायम करके तफतीश आरम्भ की गई है। इस मामले की जांच के दौरान एक और व्यक्ति के खेत काटे जाने का प्रमाण मिला तथा एक मुकदमा अलग से कायम कर उसकी भी जांच आरम्भ की गई।

श्री रामआसरे--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का भी पता लगा है कि वहां मुकामी पुलिस के दो अफसर दोयम, और १२ कांस्टेबिलों ने किसानों के सौ बीघे गेहूं, १०० बीघे अरहर और घरों की जायदाद, आल, धनिया, जेवर, कुछ इस तरह की चीजों की लटमार करके तीन दिन तक मुतवातिर हमला रहा, जब हम लोगों को जानकारी हुई तब मौक़े पर पहुंचे, वहां पर पांच सौ गुंडे मौजूद थे.....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री राम आसरे--

तो क्या इस बात का भी मंत्री जी को पता चला है कि यह बात सही है या गलत ?

श्री रुस्तम सैटिन--

मैंने कहा कि जांच की गयी और वह बातें गलत पायी गयीं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घटना की कोई सूचना पुलिस के थाने में दर्ज की गयी और की गयी तो किस तारीख को और उसके बाद उस पर कार्यवाही कब की गयी और उसमें कितने आदमी लिये गये ?

श्री रुस्तम सैटिन--

पहली सूचना २० मार्च, १९६७ को दर्ज की गयी।

श्री जंग बहादुर (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब की गयी, किन के बयान लिये गये, क्या श्री राम सेवक यादव, एम० पी०, श्री राम आसरे वर्मा, एम० एल० ए० और श्री नन्हे

लाल एम० एल० ए० उस समय मौजूद थे जिस समय पांच सौ गुंडे और पुलिस के कर्मचारी लूटमार करवा रहे थे, उनसे भी जांच की गयी ?

श्री रुस्तम सैटिन--

इसकी सूचना नहीं है कि ये व्यक्ति थे या नहीं ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मैं जानना चाहता हूं कि जांच किन के माध्यम से की जा रही है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मैंने यह पूछा कि जब दोनों पक्षों के झगड़े की रिपोर्ट की गयी उसकी तिथि क्या है ? और ११७ में किसके और कितने के विरुद्ध कार्यवाही की गयी तथा उनमें से कितने आदमी आ गये ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, यह मार्च के चौथे हफ्ते में ३-४ रिपोर्ट लिखाई गयीं । इस पर डी० वाई० एस० पी० मौके पर गये थे तो जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उनके अलावा एक केस और उनके पास दर्ज कराया गया । उन्होंने इनकी तहकीकात की और धारा ११७ में कार्यवाही की गयी । इसके अतिरिक्त और अभी मामला तफसील में मेरे पास नहीं है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

इस बात को देखते हुये कि एक संसद सदस्य ने इस बात की सूचना दी है कि पुलिस के जरिये से किसानों के घर लूटे गये हैं और दूसरी तरफ पुलिस की यह रिपोर्ट आयी है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मंत्री जी यदि इससे संतुष्ट नहीं हैं तो क्या वह कोई इंडेपेंडेंट इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे कि वाकया क्या है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

जो रिपोर्ट आयी है उस से सरकार संतुष्ट है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लोक सभा के माननीय सदस्य और दूसरे लोगों ने सरकार को शिकायत भेजी थी, क्या जांचकर्त्ता महोदय ने उनसे भी कुछ जानने का प्रयास किया था ?

श्री रुस्तम सैटिन--

इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है ।

[२९ जून, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिलाधीश, शाहजहांपुर के खिलाफ शिकायत

*१--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न कर्त्ता ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक २७ अक्तूबर, १९६६ को जो शिकायतें जिलाधीश, शाहजहांपुर के बारे में दी थी उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई ध्यान नहीं दिया गया तो क्यों ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वह आवश्यक कार्यवाही कब तक कर सकेंगे ? उनको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने उनको एक टेलीग्राम भी दिया है कि मेरी जान को खतरा है और डी० एम० मुझको किसी मामले में फासने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री चरण सिंह—

टेलीग्राम की मुझे याद नहीं है । हो सकता है उन्होंने भेजा हो । जब कह रहे हैं तो ठीक ही होगा । किन्तु माननीय मित्र जिस शिकायत का जिक्र जिलाधीश के खिलाफ कर रहे हैं वह तत्कालीन सरकार को अक्टूबर, १९६६ में दी गयी थी । तब से उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और हमें कागजात भी नहीं मिले थे । जब हमारे मित्र ने दूसरी कापी दी तब मालूम हुआ कि इस प्रकार की शिकायत की गयी थी । हम उसकी देखभाल कर रहे हैं और जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ।

श्री मुहम्मद रफी खां—

जो टेलीग्राम मैंने दिया था क्या उसके लिये कोई इंतजाम कर रहे हैं ? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी मामले में मुझे फांसने की कोशिश कर रहे हैं इसलिये मुझे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है । मैंने एस० पी० साहब को भी लिखा कि मेरी लाइफ के लिये खतरा है क्योंकि मेरे पीछे गुंडे छोड़े गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

क्या जो आपने प्रश्न किया है इसके फलस्वरूप आपकी जान का खतरा है ?

श्री मुहम्मद रफी खां—

उसी सिलसिले में हो रहा है । और इसीलिये मैं चाहूंगा कि जब तक मुख्य मंत्री साहब इस पर कोई कार्यवाही न कर सकें तब तक के लिये मेरी लाइफ के लिये प्रोटेक्शन दिया जाय ।

श्री चरण सिंह—

माननीय मित्र अगर मुझ से बात करने का कष्ट करें और बात करने के बाद फिर भी आग्रह करें कि उनकी जान का खतरा है तो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो सकता है उसके करने में गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री राज बहादुर (जिला बस्ती)—

माननीय सदस्य ने जो लिखित दिया है शिकायती पत्र उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इजाजत देंगे यह अर्ज करने की कि वह सब बातें बतलाना जनहित में नहीं है ।

श्री गंगा प्रसाद—

माननीय सदस्य के खिलाफ यह आरोप है कि इनका मकान पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान के एजेन्ट के रूप में हैं और जिलाधीश इसकी जांच करा रहे हैं और इस वजह से ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर आरोप लगा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

देखिये प्रश्नों के 'दर्भ' में मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह कोई तरीका नहीं है कि प्रश्न के उत्तर में आप किसी माननीय सदस्य के ऊपर आक्षेप करें। यह ठीक नहीं है। यह हो सकता है तो आप सरकार को बतावें।

श्री गंगा प्रसाद--

इनके खिलाफ सी० आई० डी० इंक्वायरी चल रही है।

श्री अध्यक्ष--

होगी, लेकिन मैं इस तरह के आक्षेप की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

व्यवस्था का प्रश्न है। इस तरह के आक्षेप लगाये गये हैं तो क्या यह प्रोसीडिंग्ज का पार्ट होगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि रेकार्ड का पार्ट होना उचित होगा। आक्षेप लगाया गया और मैंने उसे अनुचित बता दिया।

श्री राज बहादुर--

एक व्यवस्था का प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष--

आप जरा नियमों को देख लें। प्रश्नों पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

रानीबाग का गोली काण्ड

*२--श्री राम दत्त (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १४ नवम्बर, १९६६ को रानीबाग, जिला नैनीताल में पुलिस की गोली से ३ होनहार युवकों की मृत्यु हुई ? इस गोलीकांड के क्या कारण थे ?

*३--क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस संबंध में कोई जांच समिति बैठी है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह--

दिनांक १३/१४ जनवरी, १९६७ की रात में रानीबाग में पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटना हुई थी जिसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई। पुलिस द्वारा गोली चलाने के संबंध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई। इसी घटना के संबंध में एक मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है। अतः घटना के बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को सदन में रखना भी जनहित में न होगा।

गौरीबाजार चीनी मिल में कर्मचारियों को अनिवार्य अवकाश

*४--श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला की गौरी बाजार, चीनी मिल, १६ मार्च, १९६७ से अगले दो माह के लिये बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ४ माह तक और बन्द करने की मिल प्रबन्धकों ने आज्ञा मांगी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त मिल के बन्द करने से जो बेरोजगारी इस मंहगाई काल में व्याप्त होगी उस पर ध्यान देकर इस काम को रोका जायगा और मिल के देर से खुलने की जिम्मेदारी किसकी है ?

उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनाराअण सिंह)---

कानपुर शुगर वर्क्स लि० गौरी बाजार, जिला देवरिया ने १८१ स्थायी कर्मचारियों को १६ मार्च, १९६७ से दो माह के लिये अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया था। १९ मार्च, १९६७ को प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच एक समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप अनिवार्य अवकाश को १६ मार्च, १९६७ से १५ अप्रैल, १९६७ तक कर दिया गया तथा १६ अप्रैल, १९६७ से १५ अप्रैल, १९६७ तक संबंधित कर्मचारियों द्वारा छुट्टी लेना निश्चित हुआ। १ मई, १९६७ से सभी संबंधित कर्मचारी अपने कार्य पर उपस्थित हो गये हैं।

प्रबन्धकों ने अनिवार्य अवकाश की अवधि को ४ माह आगे बढ़ाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। इस कारखाने में न तो कर्मचारियों के बेरोजगारी का प्रश्न उठता है और न तो कारखाने के देर से खुलने की ही संभावना है।

सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

*५--श्री हरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६६-६७ की सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के समय कितने कर्मचारी पुलिस की लाठी चार्ज के परिणाम-स्वरूप मरे या घायल हुये? यदि हां, तो कृपया उनकी संख्या क्या है और उनको तथा उनके परिवारों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई?

*६---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६६-६७ की सरकारी कर्मचारी हड़ताल की अवधि में कितने सरकारी कर्मचारी अपने कार्यभार से मुक्त किये गये या निलम्बित किये गये तथा उनको उक्त निलम्बित अवधि का वेतन अभी तक दिया गया या नहीं?

श्री रुस्तम सैटिन---

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री हरी सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर कब तक मिल जायेंगे?

श्री रुस्तम सैटिन---

करीब एक महीने के अन्दर।

श्री हरी सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९६७ तक जो सरकारी कर्मचारियों ने आन्दोलन किया था उसके संबंध में जो सरकारी कागजात थे वे सब गायब हैं?

श्री रुस्तम सैटिन---

इसकी हमको कोई सूचना नहीं है कि हमारे वे कागजात गायब हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो उत्तर दिया गया है सरकारी कर्मचारियों के संबंध में कि एक महीने में उत्तर दिया जायगा, यह सूचना तो यहीं से मिल सकती है तो इसके लिये एक महीने का समय मांगना कहां तक उचित है?

श्री चरण सिंह---

जो सूचना स्टेट हैड क्वार्टर पर उपलब्ध होगी उसमें बहुत सी ऐसी सूचना है जो जिलों से मंगानी पड़ेगी और हो सकता है सूचना आने के बाद उसमें कोई कमी रह जाय तो फिर हमको इंक्वायरी

करनी पड़े । इसके अलावा डिपार्टमेंटल हैडक्वार्टर्स से भी मालूम करना पड़ेगा । यह एक महीने का समय इसलिये मांगा गया है ताकि उसके बाद हमको वक्त न मांगना पड़े । जब माकूल जवाब आ जायेगा तो उसका पूरा उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां तक घायलों का सवाल है वह काफी तादाद में है जिसको ढूंढना पड़ेगा परन्तु क्या यह बात सही है कि उस आन्दोलन में पुलिस की लाठी से कोई नहीं मरा है ? इसके लिये सूचना की जरूरत नहीं होगी ?

श्री चरण सिंह---

जब एक सवाल हुआ है तो उसका जवाब कम्पलीट ही देना है न कि अधूरा । इसलिये यह जरूरी समझा गया कि पूरी जानकारी करके इसका जवाब दें ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या इस प्रकार की सूचना देने के लिये भी एक महीने का समय लग जायेगा ? क्या एक महीने से कम में इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता ?

श्री अध्यक्ष---

मैं तो गवर्नमेंट में नहीं रहा हूं । आपको इसका अधिक अनुभव हो सकता है । इसमें उन्होंने एक महीने का समय मांगा है किन्तु जल्दी से जल्दी इसका जवाब देने की माननीय मुख्य मंत्री चेष्टा करेंगे ।

श्री चरण सिंह---

इसमें एक महीने का समय मांगा गया है लेकिन हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि उत्तर पूरा हो जाय । हमारी कोशिश होगी कि फिर १४ दिन के बाद जब समय आयेगा तब जवाब दिया जा सके ।

श्री अध्यक्ष---

अब हमारी प्रक्रिया में यह प्राविधान कर दिया गया है कि अगर ऐसा उत्तर आयेगा कि सूचना मांगी जा रही है तो हमारे यहां से १५ दिन के बाद सरकार से फिर सूचना मांगी जायेगी । उस दिन सरकार को उत्तर देना पड़ेगा ।

कासगंज थाने की पुलिस के खिलाफ शिकायत

*७---श्री सियाराम (जिला एटा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १३ मार्च, १९६७ को पुलिस अधीक्षक, एटा के पास थाना कासगंज के सर्वश्री गोविन्दराम, छोटे लाल, राम बहादुर, बीरबल, निवासी कासगंज ने कासगंज थाने की पुलिस के खिलाफ शिकायती पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो पुलिस अधीक्षक, एटा ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री रुस्तम सैटिन---

जी हां, सर्वश्री गोविन्दराम, छोटे लाल, राम बहादुर तथा बीरबल ने कासगंज थाने की पुलिस के विरुद्ध १३ मार्च, १९६७ को पुलिस अधीक्षक एटा के पास शिकायती पत्र भेजे थे । इनमें अंकित शिकायतों की जांच कराई गई और शिकायतें प्रमाणित नहीं हुईं । अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री सियाराम---

क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच कौन सी तारीख को कराई गई और जांच के समय उन व्यक्तियों को भी बुलाया गया था जिन्होंने यह शिकायत की थी ?

श्री रुस्तम सैटिन---

जांच की समाप्ति की तारीख २३ अप्रैल, १९६७ है, इसमें संबंधित व्यक्तियों को अवश्य ही बुलाया गया होगा, मगर निश्चित रूप से इसकी सूचना यहां पर नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन अधिकारी इस जांच के लिये गये और क्या उन्होंने मौके पर जाकर जहां-जहां यह व्यक्ति थे उनसे जांच की और इस संबंध में जो लोग इस जांच के साक्षी थे उनके नाम दर्ज किये गये अथवा नहीं ?

श्री रुस्तम सैटिन---

डी० वाई० एस० पी० श्री अहमद हसन साहब मौके पर गये और वहां जाकर उन्होंने जांच की ।

श्री सियाराम---

जिन व्यक्तियों के सामने इन डी० वाई० एस० पी० महोदय ने जांच की उनके नाम क्या हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री कालीचरण (जिला एटा)---

अभी यह कहा गया कि जिन आदमियों ने शिकायत की थी पता नहीं कि उनसे पूछा गया या नहीं । यदि नहीं पूछा गया तो क्या मंत्री जी दोबारा इंक्वायरी कराकर उनसे बात करेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन---

मैंने यह नहीं कहा कि उनसे नहीं पूछा गया । मैंने कहा कि जो जांच करने जायगा वह संबंधित व्यक्तियों से अवश्य बात करेगा, लेकिन इसकी निश्चित सूचना मेरे पास यहां नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि सरकार की नीति इस तरह की शिकायतों के संबंध में आम तौर पर क्या रहेगी कि अगर पुलिस के खिलाफ शिकायत हो तो मौके पर जाकर पब्लिक के लोगों की गवाही ली जायगी अथवा नहीं ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, पुलिस के खिलाफ शिकायतों के लिये कोई खास यह नियम नहीं है । सभी कर्मचारियों के खिलाफ अगर शिकायतें होती हैं तो उनमें मुहकमों के ऊपर के अफसर जाकर तहकीकात करते हैं और तहकीकात का मतलब यह है कि वे मौके पर जायं और उसमें शिकायत करने वाले को भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है । इसके अलावा कोशिश यह की जाती है कि जिस अफसर की शिकायत हो उससे इमीडिएट जो अफसर है उसके बजाय तीसरी रैंक का जो सुपीरियर अफसर है, वह जांच करने जाय । इस तरह का सर्कुलर है और सही है । लेकिन इस पर गालिबन अमल हो नहीं पाता इसलिये कि बड़े अफसरों की तादाद कम है । लेकिन वह जांच करने वाला अफसर मौके पर जाय, तहकीकात करे और शिकायत करने वाले को मौका दे यह तो मोटी सी बात है ।

श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)---

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले बीस वर्षों की परंपरा के अनुसार, जिस किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत होती रहती है, अगर वह छोटा अफसर कांस्टेबिल या हेड कांस्टेबिल होता है तो थानेदार को और अगर थानेदार होता है तो उसकी शिकायत जांच के लिये सर्किल इंस्पेक्टर को भेज दी जाती है। **** तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या नयी सरकार इस में कुछ परिवर्तन करेगी और कम से कम जो विधायकों द्वारा शिकायतें की जायेंगी उनकी तो मैजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी करा दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष---

इसमें जो आक्षेप है उसको निकाल देता हूं, बाकी के प्रश्न का उत्तर मंत्री जी दे दें।

श्री चरण सिंह---

पुलिस के सेकिंड अफसर की शिकायत हो तो वह स० ओ० के पास नहीं जानी चाहिये क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं। उसे डी० वाई० एस० पी० के पास जाना चाहिये। लेकिन सवाल यह है अगर एस० ओ० की शिकायत होती है तो कहां जाय। अभी तक तो एस० ओ० की शिकायत की जांच के लिये भी डी० वाई० एस० पी० जाता था इसलिये कि इंस्पेक्टर बीच की एक कड़ी था। लेकिन अब बहुत जगह एस० ओ० ही इंस्पेक्टर हो गये हैं लिहाजा एस० ओ० को अगर इंस्पेक्टर के अख्तियारात हैं तो उसका इमीडिएट सुपीरियर डी० वाई० एस० पी० ठहरता है। हर जगह उसकी जांच के लिये एस० पी० नहीं जा सकता इसलिये डी० वाई० एस० पी० को भेजना पड़ता है।

श्री वीर बहादुर (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं ?

श्री रुस्तम सैटिन---

उनकी शिकायत यह थी कि एक पुलिस कांस्टेबिल उन्हें बुलाने आया एक गंगवार की तलाशी के सिलसिले में और दरोगा जी पूछताछ करने लगे और उनको थाने ले गये। उनका कहना यह है कि दरोगा जी ने कहा कि इनको मुर्गा बना दो और पीठ पर पांच ईंटें रख दो। बाद में उनको बहुत मारा पीटा।

विद्यार्थियों पर मुकदमें

*८---श्री हरीश कुमार गंगवार---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अक्तूबर से दिसम्बर, १९६६ तक हुये छात्र आन्दोलन में गिरफ्तार विद्यार्थी तथा गैर विद्यार्थी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के कितने मामले सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन---

गत वर्ष हुये छात्र आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हुये छात्रों तथा गैर छात्रों के ३८ मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

इस संबंध में कितने विद्यार्थी और कितने गैर विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये थे और उन ३८ को छोड़कर जब छोड़े गये तो कब छोड़े गये ?

---

*माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्री रुस्तम सैटिन---

विद्यार्थियों की निश्चित संख्या मेरे पास नहीं है, केसेज की है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

बजट में इन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों के इतने केसेज छोड़ चुके हैं और इतने कन्सीडरेशन में हैं और आज कह रहे हैं कि नोटिस चाहिये।

श्री रुस्तम सैटिन---

कितने विद्यार्थी और कितने गैर विद्यार्थी इन मुकदमों में आये, उनकी संख्या के बारे में मैंने कहा था।

श्री रामायण राय---

जो मामले विचाराधीन हैं उनमें देवरिया जिले के पावनगर महावीर इंटर कालेज और नवजीवन माध्यमिक विद्यालय के मामले भी विचाराधीन हैं?

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकूंगा। गृह मंत्री चाहें तो उत्तर दे दें।

श्री रुस्तम सैटिन---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)---

३८ जो मामले विचाराधीन हैं उसमें कितने विद्यार्थी हैं और कितने गैर विद्यार्थी हैं?

श्री रुस्तम सैटिन---

अलग-अलग संख्या ज्ञात नहीं है, यह मैं पहले कह चुका।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

जो मामले विचाराधीन हैं उन पर फैसला कब तक हो जायगा?

श्री रुस्तम सैटिन---

इनकी फाइलें अलग-अलग देखी जा रही हैं और फैसला बहुत शीघ्र होने का अनुमान है।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)---

विद्यार्थी और अन्य सभी राजनीतिक बन्दियों के सिलसिले में फैसला किया गया था कि सभी को रिहा किया जायगा, उसमें बहुत रिहा हुये बहुत से नहीं हुये तो कितने विद्यार्थियों को रिहा नहीं किया गया? और दूसरे जो मुकदमे पड़े हुये हैं वह किस प्रकार के पड़े हुये हैं क्योंकि हमेशा-हमेशा की परम्परा रही है कि कभी कोई आन्दोलन चला करता है शान्तिमय तरीके से तो भी लोगों को मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जाती रही है।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न करते समय वक्तव्य देने का कष्ट न करें।

श्री रुस्तम सैटिन---

कुछ मामले जिसमें डकैती या आगजनी के आरोप हैं उन पर विचार किया जा रहा है और विचार होने पर शीघ्र निर्णय किया जायगा।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---

जिन विद्यार्थियों पर यह मुकदमे चल रहे हैं और जो जेलों में हैं उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उन पर हिंसा के झूठे आरोप लगाकर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमे चला रखे हैं तो क्या यह सही है कि मुकदमे इसी आधार पर चलाये जा रहे हैं कि उनके खिलाफ पुलिस की रिपोर्ट है ?

श्री रुस्तम सैटिन---

जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा उसी को ध्यान में रख कर विचार कर रहे हैं। पुलिस की जो रिपोर्ट होती है उसी पर यह कार्यवाही होती है मुकदमे वगैरह की।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)---

पिछले विद्यार्थी आन्दोलन में कांग्रेसी राज्य के दमन चक्र में पुलिस ने लोगों पर झूठे मुकदमे चलाये और कानपुर के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के....

श्री अध्यक्ष---

किसी बात को पहले से मानकर आप प्रश्न नहीं कर सकते। आप यह पूछ सकते हैं कि क्या यह सही ..... आदि आदि।

श्री बाबू बदरे---

जो मुकदमें झूठे साबित होंगे उनमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ यह सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री चरण सिंह---

अगर अदालत के जरिये कोई मामला छट जाता है और उसमें अदालत द्वारा पुलिस की गलती पायी जाती है तो सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करती है, किन्तु जो मामले वापस लिये जा रहे हैं उनमें यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन व्यक्तियों की रिहाई के संबंध में इस बजट सेशन के समाप्त होने के पूर्व निर्णय हो जायेगा और श्रीमन्, सरकार ने विद्यार्थियों और गैर विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी जब कि प्रश्न में स्पष्टतया यह पूछा गया था, उनकी संख्या सरकार मांग सकती थी और उसे देना चाहिये था ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरे मित्र ने एक आपत्ति उठाई थी कि क्यों नहीं मालूम किया गया है। फिर आपने सवाल किया कि कितने मामले विचाराधीन हैं और हर केस में कितने एक्यूज्ड हैं। चूंकि प्रश्न में यह बात नहीं थी इसलिए मैंने यह मालूम करना जरूरी नहीं समझा। इनके सम्बन्ध में यह कहना है कि जो भी ४३ मुकदमे रह गए हैं उन पर जल्दी से जल्दी विचार हो जायगा।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे मुकदमे जिनमें विद्यार्थी शामिल नहीं हैं और अगर उन पर आगजनी आदि के मुकदमे नहीं हैं तो क्या सरकार उनको वापस लेने का इरादा रखती है ?

श्री रुस्तम सैटिन---

जहां तक छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, वे स्वयं छात्र हैं या नहीं, उसका वापस लेने का आधार बन गया है तो केस वापस लिया जायगा और लिया गया है।

—श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा)—

[२रे शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हिम्मतपुर ग्राम में कत्ल

*१०—कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक १४ मार्च, १९६७ को बरेली जिले के थाना भमोरा के अन्तर्गत ग्राम हिम्मतपुर में ११ बजे दिन में १ व्यक्ति कत्ल कर दिया गया और ५ बन्दूक से घायल कर दिए गए?

श्री रुस्तम सैटिन—

दिनांक १४-३-६७ को तीन बजे दिन में थाना भमोरा जिला बरेली के क्षेत्र में हुए एक भूमि सम्बन्धी झगड़े के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मत्यु हो गई और ४ व्यक्तियों को बन्दूक के छर्रों से चोटें आयीं।

*११—कुंवर महेन्द्रप्रताप सिंह—

क्या यह सही है कि पुलिस दबाव के कारण मृतक के अन्तिम बयान तथा रिपोर्ट में नाम आने के बाद भी ब्लाक प्रमुख व उनके भाइयों को गिरफ्तार नहीं कर रही है और वे खुले आम घूम रहे हैं?

श्री रुस्तम सैटिन—

जी नहीं, समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८७-८८ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप सभी अभियुक्तों ने दिनांक ३०-३-६७ को न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया और वे उसी दिन जेल भेज दिए गए।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री को पता है कि क्या यह सही है कि जो दारोगा इसकी इन्वैस्टीगेशन कर रहे हैं उसको एस० डी० एम० ने लिखा है कि इसकी पड़ताल कर दी जाय जिससे सही-सही पता लग सके?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसकी हमें सूचना नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट लिखी गई उसमें घटनास्थल क्या दर्ज है? नदी के कछार के पास जो झाड़ियां थीं उसमें कत्ल हुआ। घटनास्थल क्या कोई खेत बताया गया है या वाकई में झाड़ियों के अन्दर कत्ल हुआ है?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट जो हमारे पास है वह यह है कि वे खेत की फसल काट रहे थे लिहाजा घटनास्थल खेत ही हुआ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरी यह निश्चित जानकारी है कि वहां नदी पर कछार पड़ा हुआ है ....

श्री अध्यक्ष—

इससे कोई अन्तर नहीं हुआ। आप प्रश्न कर सकते हैं ....

श्री हरीशकुमार गंगवार---

श्रीमन्, घटनास्थल खेत न होकर वह ऐसी जगह है तो क्या किसी उच्चाधिकारी को मामला देंगे।

श्री चरणसिंह---

यह क्षेत्र ऐसा है जो नदी के किनारे है इसलिए कभी-कभी वह जमीन खेती के नाकाबिल हो जाती है। कभी खेती नहीं हुई और फिर कभी उस पर नदी के द्वारा मिट्टी पड़ गई तो अच्छी खेती होती है। अबकी बार मिट्टी पड़ गई इसलिए हर एक की कोशिश थी कि जमीन मेरे पास आ जाय। इसलिए कुछ लोगों में झगड़ा हुआ। फलां जगह फसल कट रही थी या नहीं, कौन सी जगह थी, यह हमारे लिए गैर मुताल्लिक है। इसका फैसला तो अदालत करेगी।

राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*१२--श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान करने के लिए आवश्यक धनराशि केन्द्र से प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)---

कुछ दिन पूर्व १० और ११ अप्रैल, १९६७ को राज्यों के मुख्य मन्त्रियों एवं वित्त मन्त्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। जिसमें केन्द्र से सहायता प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया गया परन्तु उपप्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता देने में केन्द्र की असमर्थता प्रकट की।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस १०-११ अप्रैल के सम्मेलन के बाद हमारी प्रदेशीय सरकार ने कोई कोशिश की कि सेन्टर से सहायता या अनुदान मिल जाय ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---

केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने बहुत स्पष्ट कह दिया था और राज्य सभा में जो उनका दिया बयान आया है उससे स्पष्ट है कि वह कुछ देने को राजी नहीं हैं। इसलिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार का यह कहना कि केन्द्र के बराबर महंगाई भत्ता देंगे, केन्द्र की सहायता पर निर्धारित नहीं था, बल्कि ऐसा था कि राज्य सरकार स्वयं उसे वहन करेगी ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---

नोटिस की आवश्यकता है, क्योंकि यह सवाल इससे नहीं उठता है।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्र से उन्होंने कितने रुपए की मांग प्रदेशीय कर्मचारियों को देने के लिए की थी जो उन्होंने नहीं दिया ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---

सिद्धांत का सवाल था कि केन्द्र सहायता दे। लेकिन उन्होंने कुछ भी देने से इन्कार कर दिया तो धनराशि का प्रश्न पैदा नहीं हुआ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

केन्द्रीय सरकार अगर नहीं देती है तो क्या प्रदेशीय सरकार इस रुपए को अपने कोष से प्रबन्ध करेगी जिससे राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आज की स्थिति में केन्द्र के बराबर हो जाय।

श्री चरणसिंह---

जी नहीं। केन्द्रीय सरकार जितना भत्ता देती है उतना यह सरकार नहीं दे सकेगी।

श्री नथलकिशोर (जिला बरेली)---

क्या इस सरकार का कोई कमिटमेंट है कि स्टेट कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उतना ही होगा जितना केन्द्र के कर्मचारियों का है?

श्री चरणसिंह---

मैं तो अर्ज कर चुका हूं कि कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं है।

श्री ऊदल---

क्या माननीय वित्त मन्त्री जी को जानकारी है या जानकारी करने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्षों में केन्द्र की सरकार ने हमेशा यह कहा है कि यदि प्रदेशीय सरकार केन्द्र के बराबर तनख्वाह दे तो केन्द्र उसका ५० परसेन्ट हिस्सा देगा?

श्री रामस्वरूप वर्मा---

यहां प्रश्न महंगाई भत्ते का है, वेतन का नहीं है। इस समय केन्द्रीय सरकार का कोई आश्वासन ऐसा नहीं है। गजेन्द्रगदकर कमीशन की रिपोर्ट के सिलसिले में भी उन्होंने इस तरह का कोई कमिटमेंट करने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने यह कहा है कि जो बढ़ोतरी करें वह सूबे को ही बर्दाश्त करनी होगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

क्या मन्त्री जी को मालूम है अधिकतर सूबों की सरकारों ने जैसे मद्रास, पंजाब, मैसूर, अपने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बराबर कर दिया है और उन्हें भी केन्द्र से कोई सहायता या अनुदान इसके लिए नहीं मिलता है?

श्री चरणसिंह---

जैसे कि बहुत से सुफ्सिल बयान इस गवर्नमेंट की ओर से और मेरी तरफ से भी आया हो चुके हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे यहां सन् ६१ में डिअरनेस एलाउन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा पे-स्केल्स में कनवर्ट कर दिया गया था जबकि दूसरी स्टेटों में ऐसा नहीं किया गया। हमारे कर्मचारी तनख्वाह का जिक्र न करके केवल डी० ए० का ही जिक्र करते हैं क्योंकि वह उनकी दलील को पुष्ट करता है। मगर देखना यह है कि सैलरी प्लस डी० ए० दोनों मिलाकर हमारा किसी स्टेट से कम है या नहीं। ११ स्टेट्स से एबसोल्यूट टर्म्स में, यानी तनख्वाह और महंगाई भत्ता मिला कर, हमारा ज्यादा है और २ स्टेटों से कम्पैरेटिवली ज्यादा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के समान कार्य करने के लिए समान वेतन प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों को भी अगर दिया जाय, तो इस १० करोड़ २० लाख रुपए के अतिरिक्त प्रदेशीय सरकार को कितने रुपए का भार वहन करना होगा?

श्री रामस्वरूप वर्मा---

सूचना की आवश्यकता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

श्रीमन्, यह बड़ा सोचा विचारा हुआ प्रश्न है। इसमें भी अगर सूचना की आवश्यकता होगी.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

क्या जो स्टेटमेंट मुख्य मन्त्री ने अभी यहां दिया वह वन मैन कमीशन के सामने रखा गया था कि वे में सम्मिलित हो गया डी० ए०?

श्री चरणसिंह---

जी हां।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

क्या इस पर वन मैन कमीशन ने कोई निर्णय दिया है?

श्री चरणसिंह---

मुझे याद नहीं है। लेकिन हमारा केस तब भी यह था और इससे पहली गवर्नमेंट का भी यही था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

क्या सरकार वन मैन कमीशन की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष---

पिछले दिन प्रश्न के उत्तर में वे कह चुके हैं कि उन्हें कोई एतराज नहीं है, रिपोर्ट का अनुवाद हो रहा है। अनुवाद हो जाने के बाद उसको सदन में रख दिया जायगा।

चीनी मिल तुलसीपुर एवं बलरामपुर के अध्यक्ष, मजदूर संघ का पत्र

*१३---श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चीनी मिल, तुलसीपुर एवं बलरामपुर, गोंडा के मजदूरों के संघ के अध्यक्ष प्रश्नकर्त्ता ने लेबर कमिश्नर कानपुर को एक पत्र देकर गत माह में मांग की थी कि दीर्घकालीन ऋण देकर भुखमरी से बचाने के लिए मिल मालिकों को सुरक्षित धन में से दिलाने के विषय में कोई पत्र मिला था? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

चीनी मिल तुलसीपुर एवं बलरामपुर, गोंडा के मजदूरों के संघ के अध्यक्ष का सुरक्षित धन में से श्रमिकों को ऋण देने के सम्बन्ध में कोई पत्र श्रमायुक्त, को प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

चीनी मिलों पर बकाया

*१४---कुंवर आनन्द सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित), श्री विशुनप्रताप सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत सीजन के गन्ने के मूल्य का पूरा भुगतान अभी किन-किन मिलों द्वारा नहीं किया गया है? और यह धन अलग-अलग मिलों का कितना-कितना है, इसके क्या कारण हैं और सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

उद्योग उपमन्त्री (श्री हिम्मतसिंह)—

प्राप्त सूचनानुसार गत सीजन १६६५–६६ के गन्ने के मूल्य का पूरा भुगतान जिन चीनी मिलों ने नहीं किया है वह रकम मिलवार जो उन पर ३१ मई, १६६७ तक बकाया थी, उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। इस रकम के बकाया होने के कारण उसकी वसूली के विषय में की गई कार्यवाही का विवरण भी उपरोक्त तालिका में दिया हुआ है।

(देखिए मत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१६ पर)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो २२.३६ लाख रुपया मिलों पर बकाया है, यह इस वर्ष का बकाया है अथवा पिछले वर्षों का भी है?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

श्रीमन्, यह प्रश्न ६५–६६ के सिलसिले में थे अतः पिछले वर्ष का ही बकाया बताया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मन्त्री जी उन मिलों के नाम, बकाया सहित बतायेंगे जिन पर यह बकाया है?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

१६ मिलें जिन पर बकाया है वे इस प्रकार हैं—

मिल का नाम	बकाया (रुपया लाखों में)
सिम्मोली	.०६
खतौली	.०१
देवबन्द	.१०
बिजनौर	.१४
धामपुर	.०६
बमनान	.०८
लक्ष्मीगंज	.१०
खड्डा	.०७
सरसवा	.४०
जरवल रोड	.७५
रामपुर	.३५
बरेली	.६७
तुलसीपुर	.२५
बाराबंकी	२.४५
बुढ़वल	१२.६०
खितौनी	२.२४
योग ..	२२.३६

श्री उग्र न (जिला देवरिया)--

क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि पिछली सरकार ने इन मालिकों से गन्ने का दाम नहीं वसूला क्योंकि चुनाव चल रहा था गन्ने का दाम वसूल करने के लिए, अगर मिल मालिक नहीं देते हैं तो, उनकी जमीन जायदाद और मिलों से वह पैसा वसूल करेगी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है, रिकवरी पूरे तरीके से चल रही है जितने गन्ने के दाम और बकाया हैं उस में किसी छूट का सवाल नहीं है और जब इस नई सरकार ने इस जिम्मेदारी को लिया था उससे पहले पिछले साल तो चीनी के दामों की घोषणा अक्तूबर में हुई थी, लेकिन इस साल आज के ही अखबार में चीनी के दामों की घोषणा हो गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मास दो मास में पूरी रिकवरी हो जायगी ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो बड़े-बड़े मिल मालिक हैं, जिन के ऊपर कि लाखों रुपया सरकार का और किसानों का बाकी है अभी तक उन को हथकड़ियां डाल कर क्यों नहीं जेल भेजा गया जबकि दूसरी तरफ किसानों और दूसरे लोगों पर अगर ५ रुपए बाकी रह जाते हैं तो उतने के लिए ही हथकड़ियां डाल दी जाती हैं, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह की गलत परम्परा कब तक चलती रहेगी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

माननीय राकेश जी ने यह सवाल सही ही किया है। अपनी सरकार का यह फैसला है कि मिल मालिकों के साथ जितनी सख्ती हो सकती है वह कानूनी तौर पर की जायगी और उन की मिलों के नीलाम की भी जरूरत होगी तो वह भी किया जायगा और जो भी और कदम उठाने की जरूरत होगी वह उठाया जायगा ।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चीनी के दामों की जो यह आज घोषणा हुई है वह अगली फसल के लिए हुई है या पिछली फसल के लिए ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

इस का कायदा, तरीका और परम्परा यही है कि जो चीनी बन चुकी है या अब स्टाक में है उस चीनी के दामों के बारे में यह घोषणा होती है और इसी तरह से यह भी हुई है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

मन्त्री जी ने जो अभी अपनी तालिका पढ़ी है उस में जिला मुरादाबाद की अमरोहा शुगर मिल का जिक्र नहीं किया गया जबकि आज की ही तारीख में और आज के ही एजेंडे में और इसी विभाग के सम्बन्ध में २१ नम्बर पर मेरा एक प्रश्न है कि कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा पर कितना रुपया किसानों का बकाया है और मेरी इत्तला है कि इस मिल पर २२ लाख ५१ हजार रुपया बाकी है और सरकार के भी दूसरे कर बकाया में हैं तो जो सूची सुनाई गई उस में इस मिल का नाम न आने का कारण क्या है ? यह बकाया कब तक वसूल की जायगी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

जो प्रश्न उन्होंने पूछा था वह ६५-६६ का पूछा था और यह तालिका जो पढ़ी गई यह ६६-६७ की थी, इसी समय की इस में पूरी सूचना है और उन का वह प्रश्न ६५-६६ का था।

श्री चेतराम वर्मा (जिला खीरी)--

क्या मन्त्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे कि किसानों का जो धन मिलों द्वारा वापस किया जाय उसकी क्षतिपूर्ति हेतु उनको उस का सूद भी दिलाया जाय ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

अवश्य।

श्री मधुकर दिघे--

क्या मन्त्री जी इस की जांच करायेंगे कि सरैया चीनी मिल पर ७ लाख रुपया बकाया है और २ लाख रुपए से अधिक उस का ब्याज बाकी है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया था वह १९६५-६६ के बारे में था न कि १९६६-६७ और उसी के अनुसार उत्तर दिया गया।

कानपुर के चमड़ा प्रतिष्ठानों में मजदूरों को अन्तरिम सहायता न मिलना

*१५--श्री ऊदल--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के कितने चमड़ा उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने लेबर वेज बोर्ड की सिफारिश के अनुसार अन्तरिम सहायता मजदूरों को नहीं दी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

कानपुर में ऐसे केवल ५ प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने केन्द्रीय वेतन मण्डल की सिफारिशों के अनुसार अभी तक मजदूरों को अन्तरिम सहायता देना प्रारम्भ नहीं किया है।

उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए दिनांक २६-४-६७ को शासन ने एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया था जिसमें यह सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि उक्त सिफारिशों को सम्बन्धित उद्योग में लगे हुए प्रतिष्ठान तुरन्त कार्यान्वित करना शुरू कर देंगे और १-१०-६६ से अन्तरिम सहायता का बकाया एक माह की बकाया की दर से प्रति माह अदा करते जायेंगे। इस सम्बन्ध में एक शासकीय आदेश भी संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ की धारा ३ के अन्तर्गत २ जून, १९६७ को जारी किया जा चुका है। उसके प्रतिपालन को देखा जा रहा है।

*१६--श्री ऊदल--

क्या श्रम मन्त्री को पता है कि बी० आई० सी० ब्रांच कूपर एलन व नार्थ वेस्ट टेनरी, कानपुर में नामनिहाद रिआर्गनाइजेशन जे नाम पर छटनी की जा रही है और ठेकेदारी प्रथा को जारी रक्खे हैं ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धकों ने श्रम विभाग से इस कार्य के लिए कोई अनमति ली थी ? यदि नहीं, तो सरकार ने इसको रोकने के लिए कौन से कदम उठाए हैं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

बी० आई० सी० लि० (कूपर एलन ब्रांच) तथा नार्थ वेस्ट टेनरी, कानपुर में कार्य की प्रणाली में परिवर्तन तथा अभिनवीकरण किया गया है जिसके फलस्वरूप कुछ श्रमिकों की छटनी हुई है। जहां तक ठेकेदारी प्रथा की बात है वह इस कारखाने में पहले भी थी और अब भी चल रही है जिसके अन्तर्गत श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार कम और वेश हुआ करती है। यह कहना युक्ति संगत नहीं होगा कि नवीनीकरण एवं अभिनवीकरण के नाम पर एक तरफ श्रमिकों की छटनी की जा रही है और दूसरी तरफ वह काम ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा है। सेवायोजकों

नोटः--अतारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ने प्रासंगिक नवीनीकरण एवं अभिनवीकरण अथवा ठेकेदारी के द्वारा काम कराने के लिए श्रम विभाग से कोई अनुमति नहीं ली है क्योंकि वर्तमान काननों के अन्तर्गत इस प्रकार की अनुमति की कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसी दशा में इसके रोकने के लिए किसी प्रशासकीय कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता।

लालगंज थाने के दारोगाओं के खिलाफ शिकायत

*१७—श्री मधुकर दिघे—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामसुन्दर तिवारी पूरे खारा का पुरवा अन्तर्गत मौजा अगई, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ ने प्रार्थना-पत्र लालगंज थाने के दोनों छोटे दारोगाओं की शिकायत से सम्बन्धित दिनांक १६ मार्च, १९६७ को जिला पुलिस अधिकारी प्रतापगढ़ को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कार्यालय, प्रतापगढ़ के माध्यम से मिला है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

लालगंज थाने के दोनों छोटे दरोगाओं की शिकायत से सम्बन्धित श्री रामसुन्दर तिवारी का कथित प्रार्थना-पत्र दिनांक १६ मार्च, १९६७, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कार्यालय, प्रतापगढ़ के माध्यम से जिला पुलिस अधिकारी के कार्यालय में आया हुआ नहीं प्रतीत होता।

मुरादाबाद जिले में 'औद्योगिक ऋण' का वितरण

*१८—श्री रामनाथ दीक्षित—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६६ में जो ३८,००० रुपया औद्योगिक सहायता के लिए कमिश्नर, रुहेलखंड द्वारा मुरादाबाद जिले को मिला वे रुपया किस-किस को दिया गया ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

वर्ष १९६६ में कमिश्नर रुहेलखंड ने मुरादाबाद जिले को औद्योगिक सहायता के लिए ३८,००० रुपया नहीं बल्कि १,२४,५०० रुपया प्रदिष्ट किया था। १,२०,००० रुपया औद्योगिक ऋण के लिए दिया गया। ऋण पाने वालों के नाम संलग्न† सूची के भाग 'क' में दिए गए हैं। ४,५०० रुपया कमिश्नर ने अनुदान के रूप में मुरादाबाद जिले के व्यक्तियों को दिया। अनुदान पाने वालों के नाम संलग्न †सूची में भाग 'ख' में दिए गए हैं।

जिला उद्योग कार्यालय, मुरादाबाद में भ्रष्टाचार की शिकायत

*१९—श्री नेमपाल सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में जिला उद्योग अधिकारी और जिला उद्योग निरीक्षक आपस में रिश्तेदार हैं जिसके कारण जिला उद्योग कार्यालय, मुरादाबाद में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी नहीं।

इटावा जिले में पुलिस जीप की दिल्ली एक्सप्रेस से टक्कर

*२०—श्री मुलायम सिंह (जिला इटावा) श्री शिवराज सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा में किसी पुलिस अधिकारी की जीप

---

†छापी नहीं गयी।

दिनांक २१ मार्च, १९६७ को रात्रि ११–३० बजे देहली एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा कर चकनाचूर हो गई ? यदि हां, तो घटना किस प्रकार घटी और इस घटना का उत्तरदायी कौन है ?

श्री चरण सिंह––

दिनांक २१ मार्च, १९६७ की रात ११–३० बज एक पुलिस जीप देहली एक्सप्रेस ट्रेन से टकराकर चकनाचूर हो गई । घटना का विवरण संलग्न है । इस घटना के लिये किसी को उत्तरदायी नहीं पाया गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७?७ पर)

कुन्दन चीनी मिल पर गन्ना किसानों का बकाया

*२१––श्री जगत सिंह (जिला मुरादाबाद) तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले की कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा पर गन्ना काश्तकारों का कितना रुपया बकाया है तथा वह रुपया काश्तकारों को कब तक दे दिया जायगा ?

श्री प्रभुनारायण सिंह––

प्राप्त सूचना के अनुसार १ मई, १९६७ का कुन्दन शुगर मिल पर गन्ना काश्तकारों का गन्ना के मूल्य, कमीशन तथा उन पर ब्याज का लगभग रुपया २२.९१ लाख बकाया था, जिसकी वसूली के लिये रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किया गया था और फलस्वरूप कलक्टर, मुरादाबाद द्वारा शुगर स्टाक, मिल तथा मशीनरी और बैंक बैलेन्स कुर्क कर लिया गया था और रुपये की वसूली के हेतु नीलाम की तारीख २४ अप्रैल, १९६७ निश्चित की गई थी, किन्तु मिल ने २२ अप्रैल, १९६७ को सिविल से स्थगन आदेश (stay order) प्राप्त कर लिया है ।

मुरादाबाद जिले में लघु उद्योग इकाइयों को प्रमाण-पत्र

*२२––श्री नेमपाल सिंह––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में जी० ओ० नं० १५५, दिनांक १७ दिसम्बर, १९६६ के अनुसार किन-किन लोगों को उद्योग निदेशक, कानपुर के द्वारा कितने-कितने रुपये तांबा, जस्ता, रांगा, निकिल और शीशे की ई० सी० जारी हुई और उनमें से कौन-कौन लोग नये कारखाने वाले हैं और कौन पुराने हैं ?

श्री प्रभु नारायण सिंह––

इस संबंध में† सूची संलग्न है ।

बिक्री-कर अधिकारियों के सेवा नियम

*२३––श्री सुरेन्द्र विक्रम––

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स आफिसरों के सर्विस रूल्स बन गये ? यदि हां, तो कब ?

श्री राम स्वरूप वर्मा––

जी नहीं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल

*२४—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कई लाख राज्य कर्मचारियों ने जो ६२ दिन की हड़ताल की थी उनकी कौन-कौन सी मांगों की पूर्ति की गई ?

श्री चरण सिंह—

राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल बिना किसी शर्त के स्वयं समाप्त की थी। अतः हड़ताल के कारण उनकी किन्हीं मांगों की पूर्ति होने का प्रश्न नहीं उठता। वैसे सरकार ने स्वयं ही कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है जिसका अनुमानित व्यय १० करोड़ रु० सालाना होगा। सरकार ने यह भी आदेश दे दिये हैं कि हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को काम पर वापस आने दिया जाय और जितने समय उन्होंने हड़ताल के कारण काम नहीं किया उतने समय के लिये उनको छुट्टी प्रदान की जाय। जिन कर्मचारियों की काफी छुट्टी देय न हुई हों उनको भी इस शर्त के साथ छुट्टी देने के आदेश दिये गये हैं जारी किये गये हैं कि बाद में वे उतनी छुट्टी अर्जित करे। जिन कर्मचारियों के खिलाफ हिंसात्मक मुकदमें नहीं थे उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही को समाप्त करने के भी आदेश जारी किये गये हैं।

सजेती थाने की डकैती में पुलिस के खिलाफ शिकायत

*२५—श्री केशरीलाल (जिला कानपुर) श्री उग्रसेन, श्री चन्द्रशेखर सिंह (जिला बस्ती) श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत थाना सजेती के ग्राम बीरबल का अकबरपुर में दिनांक २७, २८ फरवरी, १९६७ को डकैती पड़ी जिसमें कई घरों को लूटा गया और दो व्यक्तियों को जिन्दा जला दिया गया ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, इस डकैती की एक रिपोर्ट थाना सजेती, जिला कानपुर पर दिनांक २८ फरवरी, १९६७ को प्रातः काल दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में धारा ३९६/३९७/४३६ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम करके जांच की गई तथा अभियुक्तों का चालान अदालत कर दिया गया है।

*२६—श्री केशरी लाल, श्री उग्रसेन, श्री चन्द्र शेखर सिंह तथा श्री प्यारे लाल—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १५ मार्च, १९६७ को मुद्दैयान द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें, जिला विभागीय अधिकारियों को इस आशय का प्राप्त हुआ कि स्थानीय पुलिस डकैतों से मिलकर गिरफ्तारी न करने व जले हुये व्यक्ति जगदीश नारायण के जिन्दा रहते बयान न लेने, नामजद बदमाशों के घरों की तलाशी न लेने आदि, जांच में असावधानी एवं अवैधानिक संबंधी प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? तथा मुद्दैयान द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिनाक १५ मार्च, १९६७ को प्राप्त हुआ था और उसमें उल्लिखित आरोपों की जांच की गई। जांच से आरोपों में सत्यता नहीं पायी गई।

प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७१८–७१९ पर)

*२७—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया]।

मुबारकपुर में शिया सुन्नी झगड़ा

*२८—श्री बृज मोहन दास अग्रवाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २५ मार्च, १९६७ को आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर नामक कस्बे में शिया तथा सुन्नियों के बीच कोई झगड़ा हुआ जिनमें कि सुन्नियों द्वारा सुनियोजित ढंग से आक्रमण किये जाने से ३ व्यक्ति मरे तथा अनेक घायल हुये ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। दिनांक २५ मार्च, १९६७ को अलीगढ़ जिले के मुहल्ला पूरा बाग में सुन्नी जुलाहे ताना बाना लगा रहे थे जिस पर पड़ोसी शिया, मुसलमानों ने आपत्ति की। सुन्नियों के न मानने पर झगड़ा हो गया जिसमें दोनों जमात के तीन-तीन व्यक्ति घायल हुये। इसकी रिपोर्ट थाने में लिखाई गई। इस खबर को सुनकर कस्बे के अन्य पांच स्थानों पर और छुटपुट झगड़े हुये। इन वारदातों की भी रिपोर्ट लिखाई गई। इन झगड़ों में तीन व्यक्ति मरे और कई घायल हुये।

घटना की सूचना पाकर मुबारकपुर चौकी की पुलिस आर्म गार्ड, पी० ए० सी०, थानाध्यक्ष, तथा परगनाधीश घटना स्थल पर पहुंच गये। थोड़ी ही देर बाद पुलिस अधीक्षक व उप पुलिस अधीक्षक भी वहां पहुंच गये। कस्बे में धारा १४४ जा० फौ० तुरन्त लागू कर दिया गया। गिरफ्तारियां की गईं जिससे परिस्थिति पर काबू पा लिया गया। ४ मुकदमें सुन्नियों के विरुद्ध कायम है जिनमें क्रम से ९, ८, १२ और ७ अभियुक्त हैं। कुल ३६ सुन्नियों के विरुद्ध चारों मुकदमें हैं। दो मुकदमें शिया अभियुक्तों के विरुद्ध है। एक में १० शिया और दूसरे में ५ शिया कुल १५ शिया अभियुक्त दोनों मुकदमों में है।

दारागंज के दारोगा की लाइन हाजिरी

*२९—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि दिनांक २७ मार्च, १९६७ को मुहल्ला दारागंज इलाहाबाद की पुलिस ने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्त्ता श्री भोलानाथ मकहा को मारपीट कर थाने में बन्द कर दिया ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २७ मार्च, १९६७ को थाना दारागंज के अफसर दोयम तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों तथा श्री भोलानाथ चकहा (भोलानाथ मकहा नहीं जैसा कि प्रश्न में अंकित है) और उनके साथियों के बीच झगड़ा हुआ जिसमें श्री चकहा को तथा एक कांस्टेबुल को चोटें लगीं। श्री चकहा न तो गिरफ्तार किये गये न उन्हें थाने में बन्द किया गया।

*३०—श्री कल्याण चन्द मोहिले—

क्या यह सही है कि दारागंज के थानेदार का तबादला पुलिस लाइन में कर दिया गया था ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। दारागंज के अफसर दोयम का तबादला घटना के बाद पुलिस लाइन कर दिया गया।

पलिया में चीनी मिल स्थापित करने का आयोजन

*३१—श्री राज राजेश्वर शुक्ल (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलिया जिला खीरी में कोई शुगर मिल लगाई जा रही है ? यदि हां, तो मिल कब तक लगेगी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

भारत सरकार ने मेसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि० गोला गोकरननाथ जिला खीरी को उसकी क्षमता बढ़ाने के फलस्वरूप पलिया कलां में १,४०० मैट्रिक टन का प्लान्ट लगाने के लिये गत जुलाई में लाइसेंस दिया था। मिल द्वारा पलिया में प्लांट लगाने के स्थान के चुनाव या भूमि प्राप्त संबंधी कार्यवाही की जा रही है। कम्पनी इस मिल को जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश कर रही है।

मशीन टूल्स फैक्टरी

*३२---श्री चन्द्रबली (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में जो मशीन टूल्स फैक्टरी गौरी बाजार (देवरिया) में खोले जाने का विचार है? यदि हां, तो उसकी लागत क्या होगी और कब से काम प्रारम्भ होगा ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। हां केन्द्रीय सरकार मशीन टूल्स फैक्टरी की एक चौथी या पांचवीं यूनिट जिसकी अनुमानित लागत २ करोड़ रु० होगी, उत्तर प्रदेश में खोलने का विचार कर रही है।

*३३---कुंवर मुनीन्द्रपाल सिंह---

[२६ जून, १९६७ को प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

रघुनाथ खेड़ा ग्राम में डकैती

*३४---श्री भीखालाल---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४-५ फरवरी, १९६७ की रात को ग्राम रघुनाथ खेड़ा मजरा हैदराबाद, थाना और, जिला उन्नाव में डकैती पड़ी जिसमें एक डकैत मौके पर मारा गया? यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितने अभियुक्त पकड़े गये हैं, कितने पकड़ने शेष हैं और मामले में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चरण सिंह---

जी हां। यह डकैती पड़ी थी और एक डकैत मौके पर मारा गया। चार अभियुक्त गिरफ्तार कि गये। एक हाजिर अदालत हुआ है और शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है।

देवीनगर में बलवा

*३५---श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)---

क्या यह सही है कि तारीख १७ मार्च, १९६७ को मौजा देवीनगर जो हाथरस जंक्शन (अलीगढ़) थाने के पीछे है बलवा हुआ और उसमें गोलियां भी चलीं जिसका मुख्य अपराधी महेन्द्र सिंह, पुत्र तारासिंह, निवासी मौहारी क्या अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह---

दिनांक १७ मार्च, १९६७ को हाथरस जंक्शन पुलिस चौकी के निकट ग्राम देवी नगर के खेतों में फसल काटने के झगड़े को ले कर दो पक्षों में बलवा हुआ था जिसमें गोलियां भी चलाई गईं। अपराधी महेन्द्र सिंह पुत्र तारासिंह को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस ने भरसक प्रयत्न किया जिसके फलस्वरूप ६ अप्रैल, १९६७ को महेन्द्र सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया अन्य प्रश्न नहीं उठता।

यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स की क्रय-समिति

३६--श्री राम स्वरूप (जिला देहरादून)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स हेड आफिस की क्रय समिति के इस समय १९६७-६८ में कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

इस समिति में गत वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित सदस्य थे--

(१) श्रीमती विमला लाल, सभानेत्री ।

(२) श्री ए० आर० कपूर, संयुक्त उद्योग निदेशक--सदस्य ।

(३) श्री हर नारायण, स्पेशल मैनेजर, गवर्नमट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स--सदस्य

इस वर्ष के लिये इस समिति का कार्यकाल अभी तक नहीं बढ़ाया गया है ।

*३७--श्री राम स्वरूप--

लखनऊ स्थित हैन्डीक्रैफ्ट्स के स्पेशल मैनेजर के कार्यालय में कितने कर्मचारी चपरासी सहित इस समय काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह आदि में मासिक कितना व्यय होता है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

८२ कर्मचारी । उनके वेतन तथा भत्ते पर कुल १६,०७२.०५ रुपये मासिक व्यय होते हैं ।

बिक्री कर की वसूली

*३८--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में दिनांक ३१ मार्च, १९६७ तक कितना रुपया सेल्स टैक्स का बकाया था और क्या उसकी वसूलयाबी के लिये सरकार ने कोई विशेष ड्राइव चलाया है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--

३१-३-६७ तक प्रदेश में बिक्री-कर का १३.८१ करोड़ रुपया बकाया था ।

इस बकाये की वसूलयाबी के लिये सरकार ने विशेष कदम उठाये हैं वे निम्न प्रकार है :

(१) सभी बकाया बिक्री-कर की तुरन्त वसूली के लिये राजस्व परिषद् ने जिला अधिकारियों को एक अभियान चलाने के लिये आदेश दिये हैं । यह अभियान जिलों में प्रारम्भ हो गया है ।

(२) विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी किये गये हैं कि वे बिक्री-कर की उन सभी बकाया धनराशियों की, जिसकी वसूली रोकी न गई हो, वसूली के लिये वसूली प्रमाण- पत्र जिलाधिकारियों को भेज कर यह निश्चित कर लें कि कोई भी ऐसी बकाया धनराशि न रहे जिसके विषय में वसूली प्रमाण-पत्र न जारी कर दिया गया हो ।

(३) जिन मामलों में सरकार या बिक्री-कर आयुक्त द्वारा वसूली रोक देने के आदेश जारी हो चुके थे उन पर पुनर्विचार किया जा रहा है कि अब उनके स्थगन का औचित्य रह गया है या नहीं ।

सरसावां मिल पर गन्ने के मूल्य का बकाया

*३९--आचार्य दीपंकर--

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उन्हें सरकारी गन्ना मिल, सरसावा, सहारनपुर के संबंध में एक शिकायती पत्र हाल ही में मिला है, जिसमें कहा गया है कि फैक्टरी किसानों का ९ लाख रुपये का पेमेन्ट रोक लिया है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

जी हां।

*४०--आचार्य दीपंकर--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बार-बार अधिकारियों से किसानों का भुगतान कराने की मांग रखने के बाद निराश होकर सहारनपुर के एक प्रतिष्ठित एडवोकेट श्री राव मुख्तयार अली खां २८ मार्च, १९६७ से पूर्व भूख हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किसानों की न्यायोचित मांग की पूर्ति के लिये वह क्या कदम उठा रही है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

प्राप्त सूचनानुसार कथित व्यक्ति द्वारा २८-३-६७ को भूख हड़ताल प्रारम्भ की गई थी, किन्तु यह भूख हड़ताल उन्होंने यह सूचना मिलने पर कि सरसावा मिल ने गन्ने के बकाया मूल्य की ओर रुपये ५,००,१०० भुगतान कर दिया है, १ अप्रैल १९६७ से भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। उक्त मिल पर ३१-५-६७ को वर्तमान सीजन के गन्ने के मूल्य का रु० ३.२७ लाख बकाया था। मिल द्वारा इस बकाया रकम के शीघ्र भुगतान किये जाने की आशा है।

सहारनपुर जिले में अनाज लूटने वालों की गिरफ्तारी

*४१--श्री मुल्की राज (जिला सहारनपुर)---

क्या यह सच है कि दिनांक १० मार्च, १९६७ को मन्डी में जिला सहारनपुर की जनता ने जब दुकानदारों से ४० रु० के भाव पर गेहूं मांगा तो दूकानदारों के इन्कार करने पर जनता ने दूकानों को लूट लिया ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में किन किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरण सिंह---

इस आशय की रिपोर्ट दिनांक १०-३-६७ को थाना रुड़की पर एक दूकानदार द्वारा लिखाई गई थी। इस संबंध में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुये थे जिन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था उनकी सूची संलग्न है। २८ व्यक्तियों में से दो व्यक्ति धारा १६९ जा० फो० के अन्तर्गत रिहा किये गये। शेष का चालान हुआ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७२० पर)

मसौधा चीनी मिल पर बकाया

*४२---श्री राजबहादुर द्विवेदी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करे कि मसौधा शूगर मिल, फैजाबाद में किसानों का गन्ने का कितना दाम बकाया पड़ा है और उसका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

प्राप्त सूचनानुसार १-५-१९६७ को निर्दिष्ट मिल पर गन्ने के मूल्य का रुपया ३.४७ लाख बकाया था। इस रकम की वसूली के लिये रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया गया है।

अयोध्या पुल दुर्घटना सम्बन्धी दोषी अधिकारी

*४३—श्री राज बहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६५ में हुई अयोध्या पुल दुर्घटना के संबंध में श्री मुसद्दीलाल आयोग ने जिन जिन अधिकारियों को दोषी बताया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

जांच आयोग ने निम्नलिखित अधिकारियों को दुर्घटना के बारे में जिम्मेदार पाया था और उनके विरूद्ध जो कार्यवाही की गई उसका विवरण हर एक के सामने दिया गया है—

१—श्री एस० पी० अग्रवाल, मैजिस्ट्रेट तथा मेला आफिसर । २—श्री राम लाल, मजिस्ट्रेट ३—श्री के० के० मेहरोत्रा जूडिशयल आफिसर	इनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की गई । जांच अधिकारी की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है और उस पर विचार हो रहा है ।
४—श्री राम आसरे, पुलिस अधीक्षक	सरकार ने उनके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है और उनके चरित्रपन्जी में इसका इन्दराज कर दिया गया है ।
५—श्री एम० के० गर्ग, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०	इनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही चल रही है ।
६—श्री एम० सी० जौहरी, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०	इनसे जवाब तलब किया गया था और सरकारने उन्हें पुल निर्माण की त्रुटियों के सिलसिले में दोषी नहीं पाया ।

इसके अलावा पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारियों को भी जांच आयोग ने जिम्मेदार पाया था लेकिन उनके नाम नहीं दिये थे । संबंधित विभागों में उनके विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ।

नगराम थाने में अपराध

*४४—श्री बाब बदरे—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले के अन्तर्गत थाना नगराम में दिसम्बर, १९६६ से दिनांक १ अप्रैल, १९६७ तक कितनी घटनायें डकैती, चोरी, नकबजनी, फौजदारी आदि की हुई और कितने व्यक्तियों का चालान दफा १०९ के अन्तर्गत किया गया और उपरोक्त केसों में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

दिसम्बर, १९६६ से १ अप्रैल, १९६७ तक की अवधि में थाना नगराम के क्षेत्र में डकैती की कोई घटना नहीं हुई । उक्त अवधि में चोरी की १६, नकबजनी की १६ तथा मारपीट की ६ घटनाओं के होने की सूचना नगराम थाने पर प्राप्त हुई । इनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

इसी अवधि में नगराम थाने से ६ व्यक्तियों का चालान धारा १०९ जा० फौ० में किया गया जिनमें से ५ अच्छे आचरण के लिये विधिवत् बाध्य किये गये और शेष १ का मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ. ७२१ पर ।)

प्रबन्धक, मर्दनसिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल तालबेहट के विरुद्ध जांच

*४५–श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के अन्तर्गत तालबेहट में स्थित श्री मर्दन सिंह इन्टर कालेज के प्रबन्धक के भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में दिनांक २४ नवम्बर, १९६६ को पुलिस ने छापा मार कर कागजात पकड़े जिसमें भ्रष्टाचार के सबूत पुलिस को उपलब्ध हुये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रबन्धक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह––

श्री मर्दन सिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल तालबेहट के प्रबन्धक के भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा दिनांक २४ नवम्बर, १९६६ को कोई छापा नहीं मारा गया । बल्कि एस० डी० एम०, ललितपुर द्वारा स्कूल के प्रिन्सिपल तथा सेक्रेटरी को धारा ९४ सी० आर० पी० सी० के अनुसार कुछ कागजात पेश करने के लिये दिये गये आदेश उक्त तिथि को सम्बन्धित व्यक्तियों पर तामील किये गये थे । इसके फलस्वरूप कुछ कागजात प्राप्त हुये । इस मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच जारी है ।

*४६–श्री केशरी लाल, श्री उग्रसेन तथा श्री प्यारेलाल––

(स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।)

छंटनी किए गये कर्मचारी

*४७–श्री रईसुद्दीन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)––

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कितने सरकारी मुहकमें सरकार तोड़ना चाहती है और यह कि उन निकाले हुये मुलाजिमान को किस तरह दूसरी जगह मुलाजिमत देगी ताकि बेरोजगारी में इजाफा न हो ?

श्री चरण सिंह––

सरकार ने किसी मुहकमें को तोड़ने का फैसला नहीं किया है । सरकारी खर्च में कमी करने के उद्देश्य से जिन पदों या योजनाओं को समाप्त करना आवश्यक समझा गया उन्हें ही समाप्त करने का फैसला किया गया है । सरकार इन पदों या योजनाओं के खत्म होने से फालतू हुये कर्मचारियों को नौकरी देने के लिये प्रयत्नशील है लेकिन जिन मुलाजिमों को नौकरी नहीं दी जा सकेगी उन्हें नौकरी की शर्तों के अनुसार नौकरी से अलग करना पड़ेगा ।

माताटीला बांध सम्बन्धी जांच सतर्कता अधिष्ठान

*४८–श्री राम सुन्दर शास्त्री तथा श्री ऊदल (जिला गाजीपुर)––

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि माताटीला बांध, झांसी में गम्भीरभ्रष्टाचारों के आरोपों में किसी भूतपूर्व विधायक की शिकायत पर सरकार के आदेश पर सतर्कता आयोग के अधिकारी द्वारा जांच जारी है ? यदि हां, तो कितने अधिकारी तथा टेक्निकल हैण्ड उपरोक्त जांच में लगे हुये हैं ?

श्री चरण सिंह––

जी हां । उक्त मामले में जांच सतर्कता अधिष्ठान कर रही है । जैसी आवश्यकता पड़ती है और जितने अधिकारी उपलब्ध होते हैं इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये अधिकारियों की जांच कार्य में लगाया जाता है ।

कालागढ़ बांध सम्बन्धी जांच सतर्कता अधिष्ठान

*४९—श्री रामसुन्दर शास्त्री तथा श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री यह बतलायेंगे कि कालागढ़ डैम में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की जांच सतर्कता आयोग के अधिकारियों द्वारा जारी है ? यदि हां, तो उसमें कितने अधिकारी, कर्मचारी तथा टेक्निकल हैण्ड जांच कार्य में हैं तथा आरोप क्या क्या हैं ?

श्री चरण सिंह—

उक्त मामले में जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा हो रही है । इस मामले में मुख्य आरोपभ्रष्टाचार, फरजी कार्य, ठेकेदारों के प्रति पक्षपात और राजकीय सामग्री के गबन इत्यादि के सम्बन्ध में हैं ।

आवश्यकतानुसार एवं अधिकारियों की प्राप्यता पर अधिकारियों को जांच कार्य में लगाया जाता है ।

पटेल जांच समिति संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर व्यय

*५०—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पटेल संयुक्त जांच समिति की संस्तुति के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कतिपय पिछड़े जिलों के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन विकास हेतु व्यय के लिये सरकार ने स्वीकृत किया था और उसमें उन जनपदों पर इस अवधि में कितना व्यय हुआ ?

श्री चरण सिंह—

पटेल जांच समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये प्रदेश सरकार ने १९६४-६५ तथा १९६५-६६ में देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर तथा जौनपुर जिले के लिये कुल, २३.३० करोड़ रु० के परिव्यय की स्वीकृति दी थी और अनुमान है कि इस अवधि में २२.९३ करोड़ रु० व्यय हुये । इसके अतिरिक्त वर्ष १९६५-६६ में लघु सिंचाई कार्य के लिये बलिया तथा बस्ती जिलों में ४० लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

*५१—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय योजना के लिये निर्धारित पटेल जांच समिति के अन्तर्गत के कार्यक्रम जो पूरे नहीं हुये हैं उन्हें इस वर्ष के कार्यक्रम में से लिया जायगा ?

श्री चरण सिंह—

ऐसे कार्य-क्रमों को साधनों के अनुसार १९६६-६७ में लिया गया और १९६७-६८ में भी लिया जा रहा है ।

अतारांकित प्रश्न

बुलंदशहर जिले में उद्योग ऋण

१—श्री हरीसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में जिला उद्योग अधिकारी के यहां १ जनवरी, १९६५ से ३१ मार्च, १९६७ के समय में कितने लोगों को उद्योगों के लिये ऋण दिया गया है और उन ऋण प्राप्त करने वाले कितने लोगों के उस ऋण को उन उद्योगों में नहीं लगाया है जिसके लिये वह ऋण मांगा गया था ? क्या सरकार ने उपरोक्त ऋण का सही इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

वांछित सूचना निम्न प्रकार है ---

वर्ष	ऋण प्राप्त करने वालों की संख्या	ऋण का दुरुपयोग करने वालों की संख्या
१ जनवरी से ३१ मार्च, १९६५ तक	३७	१७
१९६५-६६	४४	१२
१९६६-६७	२५	..
योग ..	१०६	२९

१९६४-६५ (१ जनवरी, से ३१ मार्च, १९६५) तथा १९६५-६६ में दिये गये ऋणों का दुरुपयोग करने वालों अथवा उपयोग न करने वालों को ऋण वसूली के लिये आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने हेतु अन्तिम नोटिस दिये जा चुके हैं ।

१९६६-६७ में दिये गये ऋणों के उपयोग करने का समय अभी बाकी है ।

किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, मझोला के किसानों को बोनस न मिलना

२---श्री रामदत्त (अनुपस्थित)---

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, मझोला (पीलीभीत) के श्रमिकों को वर्ष १९६५-६६ का बोनस अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें उक्त बोनस दिलाने की सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

किसान कोआपरेटिव सुगर फैक्टरी, मझोला (पीलीभीत) में मौसम १९६५-६६ में उत्पादन शुल्क किया है और इस साल इनको भारी हानि भी है । अतः बोनस अधिनियम, १९६५ की धारा १६ के अनुकूल इस प्रतिष्ठान के कर्मचारी इस वर्ष बोनस के अधिकारी नहीं है ।

प्रश्नोत्तर काल में अधिक प्रश्न लेने की मांग

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन है कि पहले हम लोग ४० प्रश्नों तक पहुंच जाते थे लेकिन आजकल हम केवल १५-२० प्रश्नों तक ही पहुंच पाते हैं । इसलिये आप से प्रार्थना है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लिये जा सकें और माननीय सदस्य, जो उनमें दिलचस्पी रखते हैं, प्रश्न पूछ सकें। मैं चाहता हूं कि जरा इसमें आप तेजी कर सकें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय उग्रसेन जी का कृतज्ञ हूं । ऐसी व्यवस्था हो सकती है यदि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी अवधि कम की जाय ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---

श्रीमन्, ऐसा मालूम पड़ता है कि कुर्सी कुछ टेढ़ी है, जिसके कारण हम लोगों की नजर नहीं पड़ती । दूसरा मेरा सुझाव है कि आधे घंटे का प्रश्नों का समय और बढ़ा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---

जहां तक समय बढ़ाने की बात है यह माननीय गेंदा सिंह जी और एक और सदस्य ने उठायी थी और इस विषय पर बात हो चुकी है । दूसरी बात के बारे में निवेदन है कि अभी तक आविष्कार नहीं हो पाया है कि ऐसी कुर्सी बन पाये जो सब को एक साथ देख सके ।

श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि जो ये ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हुये हैं, ये सब स्थानों पर नहीं लगे हुये हैं । जो लोग बैक बैन्चेज पर बैठे होते हैं, उन्हें बार-बार आगे आना पड़ता है । क्या इन्हें पीछे वाली बैंचों पर भी लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह जो बड़े-बड़े डंडों का जंगल सा खड़ा था इस बात का प्रयत्न हुआ कि सब जगह यह हो सके लेकिन कुछ कठिनाई आयी और उस वजह से यह नहीं हो सका । अब ये डंडे भी नहीं हट पाये क्योंकि कुछ वैज्ञानिक दिक्कत है ।

श्री उग्रसेन---

आपके पूर्व भी यह प्रश्न उठा था और तत्कालीन अध्यक्ष ने बताया था कि इनके लगाने में कुछ गड़बड़ हुयी थी ।....

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय उग्रसेन जी का कृतज्ञ हूंऔर इसको भी देख लूंगा ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---

श्रीमन्, जहां तक एक घंटे का समय बढ़ाने की बात है मैं उससे बिलकुल सहमत नहीं हूं । वह बिलकुल उचित नहीं है । पूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में आपका जो डिस्क्रीशन है वह ही निर्णायक है, लेकिन आपसे नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल करते हैं तो उन सदस्यों को जो प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ विशेष जानकारी सदन को दे सकते हैं, उनको ही अवसर देते हैं; लेकिन चीनी मिलों के बारे में जो प्रश्न उठा और जो बड़ा ही महत्वपूर्ण था उसके बारे में जिन जिलों में चीनी मिलें हैं, वहां के सदस्य खड़े होते रहे और बैठते रहे लेकिन जिनका चीनी मिलों से कोई सम्बन्ध नहीं है, चीनी पैदा नहीं करते हैं, केवल चीनी खाते हैं, चीनी खाना चाहते हैं, उन लोगों को काफी समय मिल गया और जिन के पास ज्यादा उस विषय में सूचना होती है उस को समय नहीं मिल पाता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह डिस्क्रीशन आप का ही है और आप ऐसे ही सदस्यों को बुलाये ।

श्री अध्यक्ष---

आप ने ठीक कहा । लेकिन कठिनाई है कि यहां माननीय सदस्य सभी विषयों में विशेषज्ञ हैं और जब सभी खड़े हो जाते हैं तो मेरे लिये दिक्कत हो जाती है । लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि जिन जिलों से संबंधित प्रश्न है उन को भी अवसर दिया जाय । पूरक प्रश्नों पर मैं कल से कम समय दूंगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---

मेरा १६ जून का एक प्रश्न आजमगढ़ की सूखे की हालत से संबंधित था और कांग्रेसी मंत्रि-मंडल ने कैबिनेट के एक मंत्री को रिपोर्ट देने के लिये भेजा था। उस बारे में मंत्री जी ने कहा कि

वह रिप र्ट जनहित में बताना अच्छा नहीं है । लेकिन मंत्री जी ने कहा कि सदन की अगर इच्छा होगी तो सदन में उस रिपोर्ट को पेश कर देंगे । लेकिन वह रिपोर्ट पेश नहीं की गई ।

श्री अध्यक्ष---

किसी विशेष प्रश्न के विषय में अगर कोई उत्तर ठीक न हो और मेरा इंटरवेंशन जरूरी समझते हों तो उसी समय ध्यान आकृष्ट करना चाहिये । इस वक्त तो एक आम व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है । लेकिन किसी विशेष प्रश्न के लिये उसी समय ध्यान आकर्षित करें ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

श्रीमन्, पहले यह व्यवस्था थी कि प्रश्न स्वीकृत होता था और कब सदन में प्रस्तुत किया जायगा उसकी जानकारी सदस्यों को पहले ही प्राप्त हो जाया करती थी कि किस दिन लिया जायगा । इस से लाभ यह होता था कि अपने प्रश्न के सिलसिले में जानकारी रहती थी और उस दिन विशेष रूप से सदस्य उपस्थित रहते थे । अब हम को जिस दिन एजेन्डा मिलता है उसी दिन मालूम होता है कि हमारा प्रश्न आज आयेगा । इसलिये आप पुरानी परम्परा को पुनर्जीवित कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

अवश्य यह उचित परम्परा है और मैं इस की व्यवस्था करूंगा ।

श्री हरी कुमार गंगवार (जिला बस्ती)---

प्रश्नों के सप्लीमेंटरी के बारे में जो निर्णय आप ने दिया वह शिरोधार्य है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके निर्णय का जो दूसरा भाग है कि संबंधित जिले के सदस्यों को जिनकी जानकारी ज्यादा होगी उन को अवसर दूंगा, तो मैं कहना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष---

उन को मैं अवसर देने की कोशिश करूंगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

हम लोग पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि हैं और निर्णय का भी असर पूरे प्रान्त पर होता है। किसी दूसरे माननीय सदस्य को भी उस प्रश्न के बारे में अधिक जानकारी हो सकती है और आप देखते ही होंगे कई ऐसे जिलों के बारे में प्रश्न जो माननीय सदस्यों के निवास स्थान से दूर होते हैं, हम लोग करते हैं । उस सम्बन्ध में आप का क्या आदेश है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय गंगवार जी, आप मेरी कठिनाई को अच्छी तरह समझ गये होंगे । यह ठीक है कि विशेषज्ञ सभी विषयों के माननीय सदस्य हैं, अतः मेरी कठिनाई बढ़ जाती है ।

एक सदस्य---

श्रीमन्, एक कठिनाई हम नये सदस्यों की है जिन के नाम आप नहीं जानते हैं । जिन के नाम आप जानते हैं उनको तो पुकार लेते हैं, लेकिन जिन को नहीं पहचानते उन को नहीं बुलाया जाता है । तो जो नये सदस्य खड़े हुआ करें जिनके नाम आप नहीं जानते हैं उनको बोलने का मौका दिया करें ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने अभी आप को पुकारा, यद्यपि आप का नाम नहीं जानता था । आपने स्वत. देखा होगा कि अभी जो ५ दिन की आम बहस बजट पर हुई उसी में, नये सदस्यों की तो बात छोड़िये पुराने सदस्यों को सभी को बोलने का अवसर नहीं मिल पाया । इसलिये यह इम्प्रेशन

[श्री अध्यक्ष]

कि नये सदस्यों का नाम न जानने के कारण उन को मौका नहीं मिलता, यह सही नहीं है। पुराने सदस्यों को भी अवसर नहीं मिला। इसलिये अपने अधिकार के उपयोग में नये होने के कारण कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)—

यह जो माननीय सदस्य बोले हैं और इस तरह से गोद में बैठे हैं यह कोई बैठने का तरीका है ?

श्री अध्यक्ष—

कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब न देना भी अच्छा होता है।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)—

यह तो बरेली के सदस्य हैं आप उनको भी नहीं पहचानते हैं तो मेडिकल ऐड लिया करें ?

श्री अध्यक्ष —

बरेली में १४ लाख आदमियों के दर्शन मैंने नहीं किये हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—

मैं देख रहा हूं कि विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों को बराबर बोलने का मौका दिया जाता है। वास्तविकता यह होनी चाहिये कि सरकारी पक्ष तो अपनी बात कहता ही है विरोधी पक्ष को अधिक समय देना चाहिये ताकि वह अपनी बातों को रख सके।

श्री अध्यक्ष —

यह ठीक है। बजट भाषण पर विरोधी पक्ष को अधिक समय देने की प्रथा रही है और मैं दूंगा। आप देखें कि एक दिन को छोड़ कर जिसका समय इसमें शामिल नहीं हैं, ४ दिन का जो टोटल समय बोलने का बजट पर दिया है उसमें सरकारी पक्ष को ७ घंटे और विरोधी पक्ष को ८ घंटे १० मिनट का समय दिया गया है। मैं समझता हूं, अच्छा हो अगर पहले बातों को जानकर सदन में कहा जाया करे।

श्री चेतराम पचपेड़ा—

मेरा कोई इरादा नहीं था कुछ कहने का। मैं अपने सेन्टेंस को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

धन्यवाद।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

विरोधी दल की ओर से यह बात उठाई गयी कि उसको अधिक समय दिया जाय। उसके पास बोलने का कोई मसाला ही नहीं है उन्हीं की करनी हम भोग रहे हैं। वह बोलेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष—

आप जैसे शिक्षक नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, १९६६*

कृषि उपमंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५३७८ बी–३३–५, आर—६२, दिनांक २० दिसम्बर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, १९६६ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मुख्य मन्त्री द्वारा विधान परिषद् में कथित गलत सूचना देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आज दो विशेषाधिकार की सूचनाय आई हैं। एक माननीय नवल किशोर द्वारा जो इस प्रकार है—

"मैं माननीय मुख्य मंत्री के विरूद्ध उनके दिनांक २७–६–६७ को विधान परिषद् में दिये गये वक्तव्य में जो कि २८–६–६७ के पायनियर के पृष्ठ ३ पर छपा है (प्रति संलग्न) विधान परिषद् को गलत सूचना देने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं कृपया अनुमति दें।

१—माननीय मुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा ह कि मंत्री एवं उप मंत्री कागजों को रिक्शा व मोटर में ले जा रहे थे जब कि तथ्य यह है कि उस समय न तो मैं और न उप मंत्री वहां उपस्थित थे। मुझको यह भी नहीं मालूम था कि मेरे कागजात आज मुझको भेजे जा रहे हैं।

२—इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट के अनुसार कुछ कागज तथा दस्तावेज यद्यपि टेक्नीकली सरकारी थे, परन्तु गोपनीय नहीं थे—यह भी सही नहीं है क्योंकि उनमें एक भी कागज या दस्तावेज सरकारी नहीं थे, जो भी थे, वह मुझको बहैसियत सदस्य के दिये गये या भेजे गये थे। इसलिये वह पब्लिक डाक्युमेंट्स थे।"

मैंने जो संलग्न अखबार था, उसको पढ़ा तो बहुत थोड़ा अन्तर मालूम होता है दोनों बातों में। यानी एक तो माननीय नवलकिशोर जी को यह बात गलत मालूम होती है कि माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बयान में यह कहा कि वह स्वयं रिक्शा से कागजात ले जा रहे थे या दूसरे मंत्री मोटर से ले जा रहे थे। उनकी जो सूचना मेरे पास है उससे ऐसा लगता है कि वह वहां उपस्थित नहीं थे। दूसरी बात यह कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि जो कागज या दस्तावेज थे, वह टेक्नीकली सरकारी थे परन्तु गोपनीय नहीं थे। माननीय नवलकिशोर जी कहते हैं कि वह कागज उनको बहैसियत सदस्य के दिये गये थे। अच्छा हो अगर माननीय मुख्य मंत्री सफाई कर दें तो सब वैसे ही ठीक हो जायगा।

मुख्यमंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, यह आपका फरमाना बिलकुल सही है कि मैंने यह नहीं कहा कि माननीय शिवप्रसाद गुप्त या नवलकिशोर जी जो रिक्शे में कागजात ले जा रहे थे तो वहां मौजूद थे। हर्गिज मैंने यह नहीं कहा। मेरा स्टेटमेन्ट मौजूद हैं और वह वहां प्रोसीडिंग्स में छपा होगा। अखबार में क्या छपा उसके लिये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने यह कहा कि कुछ कागजात टैक्नीकली सरकारी थे। अब आपका कहना यह है कि वह

---

*छापी नहीं गयी।

[श्री चरण सिंह]
उनको बहैसियत एम० एल० ए० के मिले । तो बहैसियत एम० एल० ए० मिले या बहैसियत डिप्टी मिनिस्टर मिले यह तय करना मुश्किल हो जाता है । अब जैसे कोई जीज मार्गेज्ड है और मार्गेजी के राइट्स किसी के पास हैं और उसके बाद मारगेजर मार्गेजी के राइट्स को खरीद ले तो फिर तो ओनर के राइट्स हो जाते जाते हैं । तो एम० एल० ए० का अधिकार मजी हो गया डिप्टीमिनिस्टर की कैपेसिटी में । उसके बाद जो पेपर्स मिले वह एम० एल० ए० की हैसि त से नही, बल्कि मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से मिले । सेक्रेटेरियट में भी ऐसा ही है कि 'डिप्टी मिनिस्टर फाइनेंस की पर्सनल कापी' उस लिखा रहता है तो असलि त तो यह है लेकिन अ र मेरे मित्र को एत राज है और मै उनकी बात सही भी मान लूं तो उसमें ब्रीच आ ह प्रिविलेज का क ा सवाल है ?
श्री अध्यक्ष-

माननीय नवलकिशोर जी पहली बात का तो आप जिक्र करें नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं ही मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने नहीं कहा और अगर अखबार में छप गया तो उसके लिये उनकी जिम्मेदारी नहीं है । दूसरे का अगर आप चाहें, तो स्पष्टीकरण कर दें ।
श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

एक व वस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान इस नि मावली के नियम ६३ की ओर दिलाना चाहता हूं । उसमें यह कहा गया है कि किसी सदस्य के 'अथवा सदन के' अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से उठाया जा सकता है । इसमें सदन की परिभाषा बिधान सभा है और जो प्रश्न उठाया गया है उसमें यह कहा गया है कि माननीय मुख्य मंत्री ने विधान परिषद् में कोई गलत सूचना दी । अगर विधान सभा में कोई अवमान का प्रश्न होता तब यहां उठाया जा सकता था । यह प्रश्न विधान परिषद् का है इसलिये यहां नहीं उठाया जा सकता ।
श्री अध्यक्ष--

यह नियम भी मेरे सामने है और इस नियम का अपवाद भी मेरे सामने है । मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं । मैं माननीय नवल किशोर जी से पूछ रहा था कि दूसरे भाग के बारे में कोई स्पष्टीकरण करना चाहें तो कर दें ।
श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---

यदि आप कहें तो जो माननीय भीखाल जी ने प्रश्न उठाया है उसका जवाब दे दूं ।
श्री अध्यक्ष---

उसकी आवश्यकता नहीं है ।
श्री नवल किशोर---

ठीक है । मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि जब किसी इन्सान की छोटी हैसियत बड़ी हैसि त में दर्ज हो जाती है तो उसकी छोटी हैसियत खत्म हो जाती है । मुख्य मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि १९६३ में जब नयी स कार बनी तो मैं मंत्री नहीं था । मैंने १४ मार्च, १९६७ को शिक्षा मंत्री का पद सम्हाल था और १८ दिन रहा । एक का ज भी शिक्षा मंत्री के दफ्तर से नहीं गया । उत्तर प्रदेश ना िक प रिषद् से जिसमें कि मैं बहैसि त एम० एल० ए० के था तमाम कागजात थे जो कि मुझको बहैसि त एम० एल० ए० के मिले थे, वे इकट्ठा थे । आज भी ऐसे कागजों से एक बक्स भरा हुआ है । मैं अर्ज करूं ा कि सी० आई० डी० से वे जांच करायें और मुझे बन्द करा दें । वहां तो लोगों में भ्रम फैला हुआ है क्योंकि जब अखबारों में छपा तो लोगों को कहने का मौका हो सकता है कि वे स कारी कागज थे । अगर वह एजेंडा और कागजात जो हमें मिलते हैं स कारी हैं तब तो हर एक के ऊपर वह इल्जाम लग सकता है क्योंकि वे उनको बाहर लेकर जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न उठा है उसका वैधानिक पहलू हो सकता है लेकिन मैं उसमें जाना जरूरी नहीं समझता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। पहली बात तो उन्होंने कही कि उन्होंने नहीं कहा कि वे रिक्शे से स्वयं सामान ले जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि वे कागज टैक्नीकली सरकारी थे और उसकी उन्होंने परिभाषा कर दी। वे कागजात न तो गोपनीय हैं और उनके हटाने में कोई रोक नहीं थी यानी जिनका ले जाना अनुचित नहीं था। टैक्नीकली सरकारी के माने हैं कि सरकार द्वारा कोई कागज इश्यू होता है तो उसे सरकारी कह सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं थे कि जिनको ले जाना अनुचित था या कोई रोक थी, तो यह इस योग्य मामला नहीं है।

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, जब कुछ नहीं था तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नवलकिशोर जी वह अपनी जगह पर अलग चीज है। लेकिन जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है वह इससे नहीं उठता।

श्री गंगाप्रसाद--

मान्यवर, नवलकिशोर जी ने कहा कि नागरिक सुरक्षा परिषद् के प्रेसीडेंट की हैसियत से वे कागजात उनके थे। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह संस्था क्या है और यह क्या मामला है?

श्री अध्यक्ष--

माननीय नवलकिशोर जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनके पास जो कागजात थे उनमें एक भी कागज ऐसा नहीं था जो मंत्री की हैसियत से उन्हें मिला हो। वे थे जो सिटीजन कौंसिल से संबंधित थे और उसके आधार पर उन्हें मिले थे। मुख्य मंत्री जी ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। इसलिये मैं इसके ऊपर आगे चर्चा नहीं चाहता। यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता।

अधिवेशन काल में सदन से बाहर नीति सम्बन्धित वक्तव्य देने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक और विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय बोरा बहादुर जी का आया है। वह इस प्रकार है कि--

"श्री प्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में विधान सभा की बैठक शुरू होने के बाद बहराइच में प्रेस संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इस आशय की नीति संबंधी घोषणा की कि राज्य विधान सभा में एक विधेयक पेश किया जायेगा जिसके अनुसार चार बच्चों से अधिक संतान पैदा करने वाले व्यक्तियों के लिये दंड व्यवस्था होगी। प्रेस कटिंग संलग्न है। माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार सदन में दी गई अध्यक्षीय आज्ञाओं और परम्पराओं को तोड़ कर सदन का अवमान किया है। अस्तु, मैं अध्यक्ष जी की आज्ञा से माननीय मंत्री जी के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उपस्थित कर प्रार्थना करता हूं कि इस प्रश्न को विशेषा-

[श्री अध्यक्ष]

धिकार समिति के निर्णयार्थ भेज दिया जाय।" यह मेरे पास जो २६ तारीख का संलग्न पत्र "नवजीवन" है उसमें २८ तारीख की सूचना देने की बात है, जो उससे कई रोज पहले की बात है। मैंने सदन में जो व्यवस्था दी उससे कई रोज पहले की यह बात है। उस रोज मैंने कहा था कि जब सदन बैठा हुआ हो तो उस समय मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य नीति संबंधी कोई घोषणा सदन के बाहर नहीं कर सकता है। चूंकि विस्तारपूर्वक पहले भी यह बात आ चुकी है कि ऐसा करना हाउस के साथ डिसकर्टसी है, मुझे आशा है कि मंत्रि मंडल का कोई सदस्य यह नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा व्यवहार हो जो उस परिभाषा में आ सकता हो। इसलिये इसके बारे में इसको मैं अनावश्यक समझता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपका जब निर्णय हो चुका है कि विधान सभा का सत्र जब चलता रहे तो माननीय मंत्रियों को नीति संबंधी कोई वक्तव्य सदन के बाहर नहीं देना चाहिये। आपकी इस व्यवस्था के बावजूद भी मंत्री लोग आपकी आज्ञा का रोज उल्लंघन करते जायं तो वह विशेषाधिकार का प्रश्न होगा या नहीं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यह अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि मैं अपनी ओर से और अपने सहयोगियों की ओर से सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो आज्ञा है कि बाहर जब कि सत्र रहे तब नीति संबंधी वक्तव्य गवर्नमेंट की तरफ से न हों, उसका हम पालन करने की कोशिश करेंगे। रहे जैसा कि आपने खुद फरमाया कि वह बीच आफ प्रोविलेज नहीं है, लेकिन यह शिष्टाचार का नियम है और शिष्टाचार के उस नियम के पालन करने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से होगी।

अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात मैं और अर्ज कर दूं। मैं समझता था कि माननीय कृष्णानन्द राय जी अगली बेंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका इस तरह से रोज हर आदमी को टोकना, हर सवाल उठाना ठीक नहीं लगता। आपने कहा कि यह बीच आफ प्रीविलेज नहीं है, फिर भी वे कहते हैं कि यह कर्टसी और डिसकर्टसी का सवाल है। तो मुझे उनसे इतनी डेंसनेस की उम्मीद नहीं थी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आपको स्मरण होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक दिन फरमाया था कि जब सदन चलता हो, तब भी नीति संबंधी जो घोषणा हो वह सदन के बाहर हो सकती है। मान्यवर ने इस पर कहा कि अगर इस तरह की परम्परा डाली जा चुकी हो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में तो आप बतला दें, दिखला दें। उन्होंने कहा भी था कि मैं दिखलाऊंगा। जहां तक मुझे याद पड़ता है इसके लिये आपने उनको तीन चार दिन का टाइम दिया था। इसको शायद वे भूल गये और आप भी भूल गये।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नवलकिशोर जी, इसको न माननीय मुख्य मंत्री जी भूले और न मैं भूला। दिक्कत यह है कि आप निरन्तर हाउस के अन्दर मौजूद नहीं रहते। इस संबंध में सारा जिक्र हो चुका, बात हो चुकी और उस पर मेरी रूलिंग भी हो चुकी।

मुख्य मंत्री द्वारा महिलाओं पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कथित गलतबयानी के विषय पर अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

कल मेरे सामने एक प्रश्न आया था....

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि आप कोई रूलिंग दें, मैं निवेदन करना चाहती हूं.....

श्री चरण सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आप बोल रहे थे तो उसी बीच में हमारी बहन जी भी बोलने लगीं। यदि उनको कुछ कहना था तो आपके समाप्त करने के बाद वे बोलतीं। मैं समझता हूं कि यह अनुचित है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन ने जो प्रश्न उठाया है, वह एक मौलिक प्रश्न है कि इस आसन से जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहना शुरू करे तब मैं अपेक्षा करता था कि उस समय कोई माननीय सदस्य बीच में खड़ा होने का प्रयत्न न करें। मैं जानता हूं कि माननीया राजेंद्र कुमारी जी का जो स्वयं इस आसन को सुशोभित करती रही हैं, सहयोग तो इसकी गरिमा की रक्षा के लिये मिलेगा ही।

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कल वाले प्रश्न पर मैं रूलिंग देने जा रहा हूं। अभी मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। अगर कोई बात होगी तो बाद में उसको मैं देख लूंगा। (श्री त्रिवेणी के खड़े होने पर) अब भी इतनी बातों का प्रभाव नहीं पड़ा। जब मैं रूलिंग देना शुरू कर रहा हूं तो कृपा कर आप न बोलें।

माननीया राजेंद्रकुमारी बाजपेयी ने कल सदन में माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इस आधार पर उठाया था कि मुख्य मंत्री ने सदन में भाषण करते हुए यह गलतबयानी की है कि उनके निवासस्थान पर २४ मई, १९६७ को स्त्रियों पर पी० ए० सी० द्वारा लाठीचार्ज नहीं हुआ जब कि वह उसके प्रमाण में कुछ फोटो, जो घायल महिलाओं के अस्पताल में लिये गये तथा फटे ब्लाउज, जो पुलिस ने फाड़े थे, जो उनके पास हैं और उन्होंने स्वयं उन घायल बहनों से बातचीत करके यह जानकारी हासिल की है।

साधारणतः यह विषय ऐसा नहीं था जिस पर निर्णय देने में मुझे कोई समय की आवश्यकता थी, परन्तु यह देख कर कि इस विषय में माननीय सदस्यों में कुछ भ्रांति सी फैली हुई प्रतीत होती है और इस प्रकार के प्रश्न सदन में बार-बार सामने आ रहे हैं, मैंने विस्तार में इस प्रश्न पर अपना निर्णय देना उचित समझा।

पहली बात तो यह है कि विशेषाधिकार का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसके फलस्वरूप सदन की साधारण प्रक्रिया में परिवर्तन होता है और यह जभी होना उचित है जब उस विषय

[श्री अध्यक्ष]

में सारे नियमों का पूर्णरूपेण पालन हो चुका हो। इस विषय में एक प्रसिद्ध विद्वान हैंसन की पुस्तक "पार्लियामेंट ऐट वर्क" के पृष्ठ ४ पर लिखा हुआ उद्धरण उल्लेखनीय है।

"The House always has a distinct bias in its procedure to stick to the Orders of the Day. If, for a special reason, provision is made for them to be departed from as in the case of Standing Order No. 9 or something like that, it is hedged about with rules which must be complied with, and it is part of my duty to enforce them."

आशय इसका यह हुआ कि विशेषाधिकार की एक विशेष प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप जो साधारण कार्य और प्रक्रिया होती है उसको परिवर्तित करना पड़ता है। ऐसा करने में आवश्यक होगा कि जो संबंधित नियम हों उनका पूर्णरूपेण पालन हो। हाउस आफ कामंस के स्पीकर कहते हैं, यह मेरा कर्त्तव्य है कि उन पर कड़ाई के साथ जोर दूं कि उनका पालन हो जाय। श्रीमती राजेंद्रकुमारी बाजपेई ने मेरे पास अपने विशेषाधिकार की नोटिस के साथ न कोई लेख प्रस्तुत किये, न यह बताया कि स्वयं उन्हें घटना की व्यक्तिगत जानकारी है और न स्पष्टतः यही कहा कि किन घायल महिलाओं से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने उनसे क्या कहा। ऐसी दशा में यह विशेषाधिकार का प्रश्न साधारण नियमों की कसौटी पर ही अग्राह्य हो जाता, परन्तु मैं केवल उस आधार पर अपना निर्णय नहीं देना चाहता हूं।

विशेषाधिकार, जैसा प्रत्यक्ष, है, एक विशेष अधिकार है जिसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही होना उचित है। सदन में विभिन्न माननीय सदस्य और मंत्रिगण अपनी अपनी जानकारी के आधार पर भाषण देते हैं और यदि हर भाषण को गलत सिद्ध करने का आरोप करके विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय और सदन से उन कथनों की जांच की अपेक्षा की जाय तो कदाचित् सदन का कार्य असंभव हो जाय और फिर इस प्रकार के विशेषाधिकार के प्रश्नों का कहीं अन्त ही न हो। इसलिये विशेष परिस्थितियों में ही जहां जानबूझ कर या साजिश से असत्य और सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से यदि कोई सूचना दी जाय तभी विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा हो सकता है। इस विषय में अनेकों प्रश्न हाउस आफ कामंस, हमारी लोकसभा एवं स्वयं इस सदन के समक्ष आ चुके हैं।

इस विषय में प्रिविलेजेज डाइजेस्ट के वाल्यूम (८ जुलाई, १६६४) के पृष्ठ ४ पर लोक सभा के माननीय अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह जी का निर्णय सदन के समक्ष रखना उचित समझता हूं—

"I had considered this matter and argued with them also. I am definitely of the opinion that if any statement is made by any member or Minister which another Member believes to be untrue, incomplete or incorrect, then there is no breach of privilege. This view has been held by my predecessors as well as by myself. There are other remedies by which it can be raised and the one that we have been adopting newly here is that if a member feels aggrieved or feels that a statement made by another Member or Minister is not correct, be it during a discussion or during a *suo motu* announcement by a Minister, then he can write to me giving the portions that he believes to be incorrect or any suppressions or untruths that are contained in it. Then, I ask the Member or Minister who is accused of making that incomplete or in-correct statement and get his statement also. I can allow them to make their statements on the floor of the House. If the dispute is not resolved, then the only remedy left is that they should be on the record or placed on the Table of the House for the members or for the public to judge who is right or who is not right. we cannot enter into any enquiry or investigation here. We cannot take it up, appoint any committee or get any documents or other things."

इसका मतलब तो यही है कि माननीय लोक सभा के अध्यक्ष ने यह अपना निर्णय दिया कि यहां पर अगर कोई मिनिस्टर या माननीय सदस्य कोई बात कहें और दूसरे सदस्य उसे गलत समझें तो इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं होता। उन्होंने यह कहा कि मैं इसमें यह उचित समझूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर वह माननीय सदस्य, जो उसे गलत या अपूर्ण समझते हैं, उनकी बात को लेकर अगर माननीय मंत्री या माननीय सदस्य दोनों का ध्यान दिलाऊंगा और यदि बात तय नहीं होगी तो मैं दोनों पक्षों के वर्जन साथ-साथ सदन के समक्ष रख दूंगा, वे रिकर्ड में रहेंगे और सदन के सदस्य और दूसरे लोग उससे अपना परिणाम निकाल सकेंगे। लेकिन मैं यह नहीं कर सकूंगा कि मैं उसपर कोई डाकूमेंट कलेक्ट करूं, साक्ष्य लूं या इंक्वायरी आदि करूं।

इसी प्रकार १२ अप्रैल, १९५६ को लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ने इसी प्रकार का एक और निर्णय दिया था जो उक्त पुस्तक के पृष्ठ २२० पर अंकित है।

स्वयं इस सदन में ऐसे प्रश्न बार-बार उठते रहे हैं। २१ अक्तूबर, १९५४ को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के कथित, असत्य भाषण पर ही राजनारायण जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। उस समय के अध्यक्ष, माननीय खेर जी ने विस्तृत निर्णय देते हुये यह कहा था कि "यदि एक सदस्य कहता है कि बात सत्य है और दूसरा कहता है कि वह असत्य है तो इस प्रकार के वाद प्रतिवाद पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना बहुत ही अनुचित है।" (पृ० ३३०)

माननीय श्री खरे ने १ मार्च, १९५८ एक दूसरे विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में निर्णय देते हुये यह कहा था कि "अगर कोई सदस्य जानबूझ कर झूठ बोले तभी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठ सकता है। सदन के मा० सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं और वहां जा कर किसी विषय जांच करते हैं और किसी आदमी ने उनसे कह दिया कि फलां आदमी ने यह बात की और उसी आधार पर सदन में उन्होंने कह दिया कि फलां बात बात हुई और सरकार देखती नहीं कैसी ज्यादतियां हुई और बाद में मालूम हुआ कि वह बात झूठी थी तो उन माननीय सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठ सकेगा, जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के लिये वह असत्य कह रहे हैं।

इस विषय में दिल्ली विधान सभा में दिये हुये डा० सुशीला नायर का निर्णय जो प्रिविलेज डाइजेस्ट के भाग ३ के पृष्ठ १२ पर अंकित है वह भी सदन की जानकारी के लिये पढ़ना चाहता हूं—

"We have the same privileges as are enjoyed by the house of Commons and we cannot create any new privilege. In order, therefore, to determine whether a wrong statement made in the Houses even deliberately constitues a breach of privilege, I have to see whether such a question has ever been raised in the house of Commons. I have gone through all the references, May's Parliamentary Practice, and other papers dealing with the question of privilege in the House of Commons, and I have not been able to lay my hand on any such precedent. It is thus clear that a question has not been raised or decided as a breach of privilege of the House on this issue"

तो इसका भी करीब-करीब वही अभिप्राय है कि विशेषाधिकार का प्रश्न इस तरह की स्थिति में नहीं उठता।

जो विषय इस समय माननीय राजेन्द्र कुमारी ने उठाया है उसमें वैधानिक आपत्ति तो है ही जिसका मैंने आरम्भ में उल्लेख किया और केवल जिनके ही आधार पर वह अग्राह्य हो जाता है, दो प्रश्न और भी उठते हैं। यह ठीक है कि सदन में सभी सदस्यों के वक्तव्य को एक सी मान्यता दी जानी चाहिए और दी भी जाती है, परन्तु माननीय राजेन्द्र कुमारी स्वयं घटना के समय मौजूद नहीं थीं। घटना के समय मौजूद किसी व्यक्ति से उनकी बात नहीं हुई उन महिलाओं को छोड़ कर जो प्रदर्शन के लिए वहां आई थी। उनका भी नाम और क्या पूरी बातें उनसे हुई यहां तक उन्होंने नहीं

[श्री अध्यक्ष]

लिखा है । फटे हुये कपड़े और माननीया राजेन्द्रकुमारी की सूचना के अनुसार अस्पताल में लिये गये कुछ महिलाओं के फोटो इस बात की ओर तो संकेत करते हैं कि उनके चोटें भी लगीं। महिलाओं के चोट लगना खेद और सहानुभूति की बात हो सकती है। माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं इस बात को माना है कि कुछ महिला होमगार्ड्स और वहां पर उपस्थित प्रदर्शन करनेवाली महिलाओं में कुछ संघर्ष सा हुआ जिसमें चोट लगने और कपड़े फटने की भी संभावना हो सकती है लेकिन उस सूचना के आधार पर जो उन्हें प्राप्त हुई हैं महिलाओं के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ।

माननीय उदित नारायण शर्मा एक ऐसे व्यक्ति थे जो घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने लाठीचार्ज होने के तथ्य का खंडन किया। वे भी इस माननीय सदन के सदस्य हैं।

माननीया राजेन्द्रकुमारी या किसी और माननीय सदस्य ने कोई ऐसा तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्राग्दर्शन में भी ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्य मंत्री के मकान पर लाठीचार्ज हुआ। अतः किसी तरह भी यह नहीं कहा जा सकता कि लाठी जार्ज होने के विषय में माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य असत्य था। जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से गलत कहना तो दूर रहा।

ऐसी परिस्थितियों में मेरा स्पष्ट मत है कि माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसा अनेक बार विभिन्न विधान सभाओं में स्पष्ट किया जा चुका है, इस सदन का कार्य ऐसे विषयों में कोई कोर्ट आफ इन्क्वयारी के रूप में काम करना नहीं है। इस सदन क दो माननीय सदस्यों द्वारा एक ही विषय म विरोधात्मक तथ्य प्रस्तुत करने पर इस सदन से उस विषय में कोई बा जाञ्ता जांच कराने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—

मैं जरा एक सूचना दे लूं तब आप कहिये।

संयुक्त विधायक दल से सम्बद्ध न होने के विषय पर विधायक श्री विश्वनाथप्रसाद की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय विश्वनाथ प्रसाद, सदस्य विधान सभा ने मुझे एक पत्र दिया है कि "संयुक्त विधायक दल मुझे अपना सदस्य मानता है और उसके कथनानुसार अध्यक्ष महोदय भी मुझे संयुक्त विधायक दल का ही सदस्य समझते हैं। इस भ्रम को दूर करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं न तो कभी संयुक्त विधायक दल का सदस्य था और न हूं। इस विषय में मैंने अपना स्पष्टीकरण समाचार पत्रों द्वारा वर्तमान मंत्रिमंडल के निर्माण के पूर्व ही कर चुका हूं। उस स्ष्टीकरण में मैंने जनसंघ पर यह आरोप लगाया है कि जनसंघ ने अपने सिद्धान्त से हटकर राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ सांठ-गांठ करके जनता को धोखा दिया है किन्तु फिर भी संयुक्त विधायक दल मुझे अपना सदस्य समझता है, यह उसकी सबसे बड़ी भ्रान्ति है। मैं न तो कभी संयुक्त विधायक दल का सदस्य था और न हूं। मैं अपने को अभी जनसंघ का सदस्य अवश्य मानता हूं किन्तु वास्तव में इस समय सदन में जनसंघ विधायक दल नहीं है, अतएव मैं जनहित के प्रश्नों पर किसी के साथ मत दे सकता हूं। माननीय अध्यक्ष, मैं आज से सदन में विरोधी पक्ष में स्वतंत्र रूप में बैठूंगा।"

मेरे पास एक पत्र और आया है, माननीय चन्द्रबली सिंह, एम० एल० ए० ने मुझे सूचना दी है कि मैं स्वतंत्र रूप से बैठूंगा। यह पहले भी दे चुके हैं इसलिये मैं इसे दोहराता नहीं हूं।

लोक लेखा, प्राक्कलन एवं २५ विभिन्न स्थायी समितियों के लिए निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—

अब मैं एक सूचना और देना चाहता हूं। वह यह है कि वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के लिये लोक लेखा समिति के २१ सदस्यों, प्राक्कलन समिति के २५ सदस्यों तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक के लिये १६ सदस्यों के निर्वाचन के लिये मैं निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित करता हूं—

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय	६ जुलाई, १९६७ (४ बजे सांयकाल तक)
नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	७ जुलाई, १९६७ के ३ बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में)
नामों की वापसी की अन्तिम तिथि व समय	१५ जुलाई, १९६७ के ५ बजे तक

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक १५ जुलाई, १९६७ को विधान वाचनालय में १२ बजे से सांयकाल ५ बजे के बीच एकल संक्रमणीय मतानुसार होगा।

मुख्य मन्त्री द्वारा महिलाओं पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कथित गलतबयानी के विषय पर अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय (क्रमागत)

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो कुछ आपने अभी कहा वह हमें शिरोधार्य है। उसके संबंध में मुझे कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन मैं यह अनुभव करती हूं कि मुख्य मंत्री जी ने गलतबयानी की है या नहीं यह मैं नहीं कहती, लेकिन यह जितना भी हुआ है उसमें इन स्त्रियों के साथ ज्यादती हुई है। इसलिय मैं यह कह रही थी कि उसकी न्यायिक जांच हो। वह बात स्वीकार नहीं हुई। इसलिये मैं उसके विरोध में सदन का त्याग करती हूं कि मुख्य मंत्री जी ने न्याय नहीं किया है।

(डाक्टर राजेन्द्र कुमार बाजपेयी ने सदन का परित्याग किया)

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

चूंकि बहन जी नाराज होकर चली गई हैं इसलिये मैं भी उनसे नाराज होकर जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

मालूम होता है दोनों सज्जनों के अब भोजन का समय हो गया है इसलिये सदन से चले गये हैं।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—

अगर माननीय मुख्य मंत्री सदन से वाक आउट करके चले जायं तो क्या फिर भी सदन में कोई गवर्नमेंट रहती है?

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी ने वाक आउट नहीं किया है, वे चले गये हैं। बहुत सारी बातें हास-परिहास की अगर यहां पर न हों, तो यहां का जीवन मुश्किल हो जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, सदन में आज पहली बार यह अवसर हमको देखने को मिला है कि जब कोई माननीय मुख्य मंत्री सदन का त्याग करके चला गया हो।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गौतम जी हंस रहे हैं। यह बात उन्होंने मान ली है।

श्री मोहनलाल गौतम—

गवर्नमेंट वाक आउट कर गई है ?

श्री अध्यक्ष—

वह वाक आउट करके नहीं गये हैं। चले गये हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

वह वाक आउट करके चले गये हैं। आप कृपया कार्यवाही को देख लें।

श्री अध्यक्ष—

जो चीज मैंने सुनी है और स्वंय देखी है उसके लिये कार्यवाही के देखने की जरुरत नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आपने स्वंय कहा कि दोनों माननीय सज्जन चले गये हैं। मुख्य मंत्री जी भी चले गये हैं। दोनों सज्जन वापस आ जायेंगे यह बात उन्होंने नहीं कही.....

श्री अध्यक्ष—

देखिये माननीया बाजपेयी जी तो आ गई हैं। उस समय लाउड स्पीकर की खराबी के कारण शायद आप लोगों ने सुना नहीं। मैंने यह कहा था कि इन दोनों सज्जनों के भोजन का समय हो गया है ऐसा मालूम होता है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्। भले ही आप इस निर्णय पर पहुंचे हों कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने नियमित वाक आउट नहीं किया है लेकिन इतना तो आप भी अनुभव करते होंगे कि माननीया राजेन्द्र कुमारी जी, चूंकि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है इसलिये उन भावनाओं के वशीभूत हो कर यहां से चली गयीं, किन्तु उस भावना की गंभीरता को कम करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी बड़ी उछृंखलता के साथ यहां से चले गये। उनका यह बड़ा उछृंखल कार्य रहा है।

श्री अध्यक्ष—

जिस तरह की बातचीत हुई उस पर बहुत ज्यादा बात करना मुझे अच्छा नहीं मालूम हो रहा है।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

बेचारी को विशेषाधिकार का प्रश्न उठवा कर आप लोगों ने बहका दिया इसीलिये वे बाहर चली गयीं।

लोक लेखा, प्राक्कलन एवं २५ विभिन्न स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी सूचना दी थी, उस में एक गलती हो गयी। जो मैंने दोनों पक्षों से परामर्श किया था उसके अनुसार १५ जुलाई की तिथि परिवर्तित हो कर १८ जुलाई हो जानी चाहिये थी। अतएव मुझे जो परामर्श मिला उसके आधार पर मैं घोषित करता हूं कि मतदान की तिथि १५ जुलाई नहीं, जैसा कि अभी घोषित किया था, बल्कि १८ जुलाई, १९६७ होगी और वह निर्वाचन विधान सभा वाचनालय में १२ बजे दोपहर से सायंकाल ५ बजे तक होगा।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मुझे आप से यह निवेदन करना है कि हाउस में ऐसे माननीय सदस्य भी हैं कि जो दूसरे माननीय सदस्य के लिये अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अनुचित बात है।

श्री अध्यक्ष—

धीरे-धीरे आप और वे, सभी नियमों को पढ़ लेंगे और सब ठीक हो जायगा।

वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ४५—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१–कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ९,१२,९७,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप बाकी दोनों भी पेश कर दीजिये।

श्री जयराम वर्मा—

बहुत अच्छा।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,२७,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५–कृषि योजनाओं पर पूंजीपरिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०,२०,९६,१०० रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री जयराम वर्मा]

अध्यक्ष महोदय, यह हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जिसमें लगभग ७५ प्रतिशत व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिये कृषि पर ही आधारित रहते हैं। वैसे देखा जाय तो १०-१२ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो सीधे तो नहीं लेकिन इंडायरेक्टली कृषि से संबधित रहते हैं और कृषि की पैदावर से उनके ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है। हमारे इस प्रदेश की आबादी की डेंसिटी सारे मुल्क के मुकाबले में और वैसे भी बहुत ज्यादा है। सारे मुल्क में जब कि ३७० प्रति वर्ग मील है, हमारे इस सूबे की आबादी ६४८ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। इससे जो किसान खेती के ऊपर आधारित हैं उनकी जोत में जमीन बहुत थोड़ी थोड़ी सम्मिलित है। परिणामस्वरूप उतनी जोतों के लिये जो उनका परिवार लगा रहता है और जो साधन जुटाते हैं उनके वास्ते काम नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में किसानों की दशा आज की पैदावार को देखते हुये खराब है और उनकी दशा को सुधारने के लिये एक मात्र उपाय यह है कि पैदावार में वृद्धि हो। वह एक ही तरीके से हो सकती है। एक तो उनकी जोतों का क्षेत्रफल बढ़ जाय जो किसी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि आज जितनी जमीन खेती योग्य थी वह करीब-करीब तोड़ी जा चुकी है और खेती योग्य जमीन तोड़ने को बाकी नहीं है। २७ लाख एकड़ जमीन ऊसर और बंजर है जिसके बारे में अब निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है कि कितनी जमीन खेती योग्य निकल सकेगी। योजना ऐसी चल रही है कि जिसके अन्तर्गत ऐसी जमीनों की जांच करायी जा रही है और देखा जा रहा है कि कितनी लवणीयता और खारीयता है और पानी का स्तर क्या है। उसके बाद तभी निश्चित हो सकेगा कि कितनी जमीन खेती के योग्य निकल सकती है। अगर कुछ अन्दाज लगाया जाय तो २५ प्रतिशत से ज्यादा निकलने वाली नहीं है और जो निकलेगी उसको रिक्लेम करने में समय लगता है और बड़ा धन व्यय होता है। उसके लिये पानी की बहुत जरूरत है। इसलिये जो थोड़ी सी जमीन निकलेगी वह बहुत जल्दी

(इस समय १२ बजकर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये।)

खेती योग्य नहीं हो सकेगी। इसलिये किसानों के क्षेत्रफल में कोई ज्यादा वृद्धि की गुंजायश नहीं है। सिर्फ एक तरीका है कि उनकी फी बीघा पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, तभी उनकी हालत अच्छी हो सकती है और जब तिगुनी और चौगुनी पैदावार हो तभी हालत अच्छी हो सकती है और अगर हालत अच्छी हो तभी इस प्रदेश की हालत सुधारने में कुछ किया जा सकता है। किसान इस प्रदेश की उन्नति में रीढ़ की हड्डी की तरह से है। जब तक उसकी उन्नति फी बीघा पैदावार बढ़ाकर नहीं की जाती है तब तक उसकी उन्नति संभव नहीं है। इसलिये हम सब का ध्यान फी बीघा पैदावार ज्यादा हो उसकी ओर जाना चाहिये और जो प्रयास संभव हो वह किया जाना चाहिये। जब उसकी हालत अच्छी होगी तो उसकी कार्य शक्ति भी बढ़ेगी, कच्चा माल अधिक पैदा होगा और उसकी कारखानों में अधिक खपत होगी। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि किसानों के खेत की फी एकड़ पैदावार बढ़ाई जाय और यह तभी सम्भव होगा जब कि पैदावार बढ़ाने के लिए किसान के लिये अच्छे बीज की व्यवस्था हो, पानी की समुचित व्यवस्था हो, बीमारियों से फसल को बचाने का प्रबन्ध हो और अच्छी खाद मिले। इस ओर हमने काफी प्रयास किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस ओर हमने काफी रुपया खर्च किया है, लेकिन जितना खर्च किया उसके अनुसार हमारी पैदावार नहीं बढ़ी। इसका कारण या तो योजनाओं में कोई त्रुटि रही, या जो योजना बनी उसके पालन में जिस परिश्रम तथा जिस मुस्तैदी की आवश्यकता थी वह बरती नहीं गयी। यही कारण है कि २० वर्षों के बाद भी फी बीघा पैदावार में विशेष अन्तर नहीं पड़ा। जो थोड़ी सी पैदावार बढ़ी भी, तो उससे ज्यादा आबादी बढ़ी जिसका परिणाम यह हुआ कि गरीबी बढ़ी। पिछली योजनाओं में जहां प्रतिवर्ष उत्पादन में आधा परसेंट की वृद्धि हुई है, वहां आबादी १.७० परसेंट बढ़ी है। इसका नतीजा यह हुआ कि गरीबी बढ़ती हुई दिखायी दी।

श्रीमन,, मेरे बजट से सिंचाई से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस ओर कुछ संकेत करना चाहूंगा। सिंचाई को बढ़ाने के लिये अब तक बराबर प्रयास होता रहा है। सिंचाई की

क्षमता वैसे बढ़ी भी है, लेकिन सिंचाई की क्षमता का क्या परिणाम निकला यह कहना मुश्किल है। जो सिंचाई की हमारी बड़ी-बड़ी योजनायें थीं उनसे सन् ६५-६६ में ८६.७५ लाख एकड़ में सिंचाई करने का हमारा अन्दाजा था जब कि वह वास्तव में ८४.५९ लाख एकड़ में ही कर पाये। १९६६-६७ में यह सिंचाई की क्षमता ८६.३७ हो गयी। और ६७-६८ में अन्दाज है कि बड़ी सिंचाई योजनाओं से ८७.८० क्षमता हो जाय। इससे क्षमता बढ़ती रही है। इस तरह से जो लघु सिंचाई योजनायें है, जिनका राज्य द्वारा प्रबन्ध होता है उसकी क्षमता धीरे-धीरे बढ़ी है। जहां ६५-६६ में अन्दाज था कि क्षमता ३५.४४ लाख एकड़ जमीन के लिये बढ़ेगी वहां उसका उपयोग सचमुच २९ लाख एकड़ जमीन पर ही सीमित रहा है और इधर ६६-६७ में वह कुछ और बढ़ी और वह ३७.०७ लाख एकड़ के लिये हो गई और आगे चल कर ६७-६८ में ३८.४६ एकड़ के लिये हो जायगी। ये सरकार द्वारा जो लघु सिंचाई की योजनायें चलाई जाती हैं और जो किसान स्वयं चलाते ह उसम भी वृद्धि लगातार हुई है। ६५-६६ में २३ लाख एकड़ की क्षमता इस्तेमाल में आई और ६६-६७ में क्षमता और बढ़ी। वैसे तो अगर बजट भाषण को माननीय सदस्य देखें तो १४.५० बढ़ी है लेकिन उस के कैलकुलेशन का तरीका दूसरा था। निजी ट्यूबवैल पर ३० एकड़ क्षमता लगाई गई थी, लेकिन गवर्नमेंट आफ इन्डिया का कहना ह कि ३० एकड़ क्षमता में ट्यूबवेल लगाना चाहिये। अगर उस हिसाब से लगाते है तो ११.५० क्षमता ६६-६७ में बढ़ी ह और आज उसके अनुसार ९.४७, ६७-६८ में बढ़ेगी। इस तरह से इसकी भी क्षमता बराबर बढ़ गई है। लेकिन जसा कि मैंने निवेदन किया कि क्षमता बढ़ाने से जितना लाभ होना चाहिये था, उसका उपयोग करके किसानों की पैदावार में जितनी वृद्धि होनी चाहिये थी, वह नहीं दिखाई देती। उसमें कई भूलें हो गी रही हैं। इस सिलसिले में मैं ६७-६८ के कार्यों पर निर्णय करना चाहता हूं। ऐसा लगेगा कि ६६-६७ में तो क्षमता ज्यादा बढ़ी है और इस साल में मुकाबिलतन कम बढ़ी है। उस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि ६६-६७ का जो साल था वह असाधारण वर्ष था और उस वर्ष इतना बड़ा सूखा पड़ा कि जो १०० वर्ष में पड़ा नहीं था। इस सूखे का मुकाबला करने के लिये प्रयास भी किया गया और सारी शक्ति काम करने के लिये लग गई। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी काफी रुपया हमको दिया और दूसरे कामों के लिये भी दिया, बिजली बढ़ाने के लिये भी दिया ६ करोड़ रुपया। इतना रुपया हर साल हम लगा सकेंगे यह सम्भव नहीं होगा। इसलिये ६६-६७ से मुकाबिला करना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूरी है कि जो एक गति आ गई है सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की, वह गति जारी रहनी चाहिये और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिये और जिस लक्ष्य पर हम पहुंचना चाहते हैं उस पर पहुंचने मे आसानी होगी। इस साल माननीय सदस्यों ने बजट भाषण में देखा होगा कि एक दस हजार प्राइवेट ट्यूबवेलों को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल ६६-६७ के लिये जो टारगेट रखा गया था वह भी १० हजार का था लेकिन क्योंकि पिछले साल इस काम में सारी शक्ति लगा दी गयी थी, इसलिये बाद को वह टारगेट बढ़ा कर १७ हजार कर दिया गया और फिर बजाय १७ हजार के १९६१९ प्राइवेट ट्यूबवेल्स और पम्पिंग सेटस के लिये लाइन लगा दी गयी। लेकिन एक्चुअल बिजली ११७२४ को ही मिल सकी, ५२७६ पंपिंग सेट्स और ट्यूबवेल को बिजली नहीं मिली लक्ष्य में, और जो लक्ष्य से बाहर थे उसमें से २६१९ को बिजली नहीं मिल सकी। जहां तक इस साल का सवाल है पिछले साल के जितने कनेक्शन बाकी हैं, ५२७६ लक्ष्य के अन्दर के और २६१९ लक्ष्य के बाहर के, उन सब को बिजली देंगे। वह इस वर्ष जो १० हजार का लक्ष्य रखा गया है, शामिल नहीं है। यह तो हम १० हजार के लक्ष्य से अधिक लगायेंगे और इसको हम इसी जुलाई तक खत्म करने जा रहे हैं। अब इधर हमारे पास जितनी व्यवस्था इस समय थी उसके अनुसार हमने १० हजार का लक्ष्य रखा। लेकिन हमारा इरादा यहीं तक सीमित रहने का नहीं है, उससे अधिक कुओं को भी हम बिजली देने का

[श्री जयराम वर्मा]

प्रयास करेंगे। इस बारे में मैं सिर्फ यही आश्वासन दे सकता हूं कि हम अपने लक्ष्य को थोड़े तक कदाचित् अवश्य पहुंच जायेंगे।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--

पहले किसान को जो बिजली मिलती थी वह चार फर्लांग तक फ्री बिजली मिलती थी लेकिन अब ऐसा सुना गया है कि अब हर आदमी से ४-४, ५-५ हजार रुपया जमा करवा रहे हैं। क्या ऐसी बात है ?

श्री जयराम वर्मा--

इस सिंचाई विभाग का मसला तो इतना बढ़ गया है कि अगर उसके डिटेल में जाऊं तो सारा समय ही उसमें लग जायगा, इसलिये मैं संक्षेप में ही माननीय सदस्यों को बता रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि पिछले साल जो टारगेट रखा गया था उससे हम कदाचित् थोड़ा बढ़ ही जायेंगे पीछे नहीं रहेंगे।

दूसरा बीज का सवाल है। अच्छे और नये किस्म के बीजों का प्रयोग हो, ऐसी हमारी मंशा है। उससे हमने जो सिंचाई की क्षमता बढ़ाई है; उसका पूरा लाभ हमें मिल सकेगा। जहां तक बीज का सवाल है, माननीय सदस्य जानते हैं कि कृषि विभाग सिर्फ पेडेगरी सीड देता है, नार्मल सीड बांटने का काम वह अपने हाथ में नहीं लेता। अब तक ग्राम बीज सहायक को जो बीज दिया जाता था और जो पैदा उससे होती थी उसको कुछ तो कोआपरेटिव विभाग, कुछ कृषि विभाग और कुछ दूसरे काश्तकार अपने बोने के लिये खरीद लिया करते थे। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। क्योंकि जितना लाभ उससे होना चाहिये था, उतना नहीं हो पाया। अब यह कर दिया गया है कि ग्राम बीज सहायक और खंड बीज सहायक को जो बीज दिया जायगा अगर उसको कोई और विभाग नहीं खरीदेगा तो कृषि विभाग खरीद लेगा। सहकारिता विभाग के रास्ते में कुछ कठिनाई थी। वे खराब बीज को बेच कर अच्छा बीज खरीदते थे, इसलिये उन्हें दिक्कत होती थी। हमने यह भी किया है कि जो सहकारिता विभाग खरीदेगा उस बीज पर हम सब्सीडी देंगे कि अगर इस तरह से काम करना चाहें तो कोई हानि उनको न हो और अगर वह फिर भी नहीं खरीदता है तो कृषि विभाग खुद खरीदकर उसे किसानों को देगा ताकि उसका पूरा लाभ किसानों को मिल सके। इसके अलावा अभी हमारे यहां अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज की कुछ फसलें निकल आई हैं जिनकी पैदावार मामूली अपने बीज से बहुत अधिक है। उनका उपयोग यदि ज्यादा से ज्यादा हो तो किसानों की पैदावार आज से दुगुनी और तिगुनी हो सकती है और इस बीज से आसानी से यह सम्भव हो सकता है कि पैदावार बढ़े। तो अच्छे नस्ल के बीज के लिये भी काफी प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल सन् ६६-६७ से खरीफ की अधिक उपज वाली फसलों का उपयोग शुरू हुआ और रबी में भी हुआ और साल भर में हमारा प्रयोग का लक्ष्य पूरा हुआ। १०.५६२ लाख एकड़ जमीन में वह उन्नत बीज प्रयोग में आया और अपने यहां का जो पहले से अच्छा बीज था या जो यहां विशेषज्ञों ने अच्छा बीज निकाला है जैसे धान का एन० एस० जे० १६ है वह सब मिला कर १०.५६२ लाख एकड़ में बुवाई हुई। इस साल उससे भी हम काफी अधिक आगे जाना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य उसको चौगुना करने का है। इस फसल में १२.६५ लाख एकड़ का लक्ष्य है जिसमें संकर मक्का, उन्नत धान, उन्नत बाजरा और संकर ज्वार की बुआई होगी। इसके अलावा हमारे प्रदेश की जो अच्छे किस्म की धान और मक्का की किस्में हैं उनकी बुवाई भी ११.६५ एकड़ में होगी। रबी में भी हमने इंतजाम किया है कि ३० लाख एकड़ जमीन पर हम उन्नत बीजों का प्रयोग करायें और इस तरह से कुल ४२.६५ लाख एकड़ जमीन में अच्छी उपज वाली फसलें बुवाना चाहते हैं। इस तरह से हमारे प्रदेश की जितनी जमीन खेती में है उसका दसवां भाग इसी साल हमें अधिक उपज वाली फसलों की बुवाई के अन्तर्गत लाना चाहते हैं। इस तरह

से प्रदेश का, जिले का और हर ब्लाक का लक्ष्य नियत कर दिया गया है और हर ब्लाक में अब आप को यह नक्शे मिलेंगे कि किस क्षेत्र में वह उन्नत बीज की फसलें बुआई जायगी। ब्लाक्स को हिदायत की गई है कि इन बीजों का प्रयोग वहीं कराया जाय जहां जहां पानी की सुनिश्चित व्यवस्था हो और उनसे कहा गया है कि वह अपने यहां उन काश्तकारों को ही इसके लिये चुनें जो संकर मक्का, ज्वार और उन्नत धान की फसलें उगाना चाहते हैं। यह नकशे इस लिये बनवाये गये हैं ताकि उसी मात्रा में किसानों के लिये बीज पहुंच सके, खाद पहुंच सके और जो किसानों की जरूरतें हैं वह पूरी हो सकें। उसी नकशे से यह भी पता लग सकेगा कि किस किसान को अपने यहां खेती के लिये कितने पैसे की जरूरत है और उसी हिसाब से सहकारिता विभाग से उनको पैसा भी दिलाने का प्रबन्ध कराया जाय ताकि देरी न हो और वक्त से उसको हर सहायता मिल जाय। हर काम समय से हो जाय और देरी न हो इसलिये यह प्रबन्ध किया गया है। इसका एक नतीजा यह भी होगा कि यह जो योजना है उससे पता चल सकेगा कि केवल कागज वाली ही चीज तो नहीं हो रही है बल्कि खेत पर जाकर आप असली काम को देख कर अनुमान लगा सकेंगे। पहले तो कागज पर आ जाता था और अगर आप वेरिफाई करना चाहते थे तो वेरिफाई नहीं कर सकते थे लेकिन अब हर ब्लाक से आपको पता चल सकता है कि किस-किस किसान ने कितने-कितने रकबे में अधिक बीज वाली फसल बोयी है। तो आप जाकर देख सकते है कि जो हमने अपना लक्ष्य रखा था वह पूरा हुआ है या नहीं। विभाग को यह साफ कह दिया गया है कि जो लक्ष्य रखा गया है, वह पूरा होना चाहिये, उसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिये और और यदि हुयी तो जो जिम्मेदार पाया जायगा, उसको माफ नहीं किया जायगा और वह सजा का मुश्तहक होगा। जो हमने अपना लक्ष्य रखा था उसमें हमें कुछ हेर फेर करना पड़ा। गवर्नमेंट आफ इंडिया के कहने पर हमने संकर मक्का का बीज बिहार को दिया। उन्होंने वायदा किया था कि मई के महीने में वापिस कर देंगे लेकिन वह बीज उन्होंने वापिस नहीं किया। इसलिये २ लाख १६ हजार एकड़ जमीन के लिये बीज नहीं रख सके। कुछ बीज आया लेकिन चूंकि समय आ गया था उसको प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसलिये हमारा जो शंकर मक्का का लक्ष्य था वह अब केवल १.५० लाख का ही रह गया। यानी ६६ हजार की कमी हो जायगी। हालांकि इस कमी को भी पूरा करने का प्रयास किया गया और अपने प्रदेश की जो अच्छी किस्म की मक्का का बीज था जैसा कि जौनपुर का मक्का है, और जो काफी अच्छी होती है, तो उससे उसकी पूर्ति की जायगी।

जहां तक टाइचुंग के बोने का प्रश्न है वह हम इस वर्ष ४ लाख २० हजार एकड़ जमीन में कर देना चाहते हैं। टाइचूंग की बुआई में हमारा लक्ष्य और बढ़ेगा, कोई कमी नहीं रहेगी।

रबी का जहां तक ताल्लुक है, हमने सोच रखा है कि चूंकि बीज हमारे पास है ३० लाख की जगह पर ३५ लाख एकड़ कर देना चाहते हैं। २ १/२ लाख बाहर वाले गेहूं में जिससे २० लाख के बजाय २२ १/२ लाख एकड़ में और १० से १२-१/२ लाख एकड़ भूमि में कर देना चाहते हैं। इस तरह से जो हमारे उत्पादन की क्षमता है जो १९६७-६८ मे बढ़नी चाहिए वह ६५-६६ की उत्पादन शक्ति के ऊपर २५.२१ लाख टन होती है और उत्पादन क्षमता १९६५-६६ में १५२ लाख टन को आंकी गयी थी। तो अगर मौसम ठीक रहा, कोई गड़बड़ न हुयी, जैसी कि आशा है, कि मौसम ठीक रहेगा, तो हमारा उत्पादन ६७-६८ के आखीर में १७७ लाख टन पहुंच जाना चाहिये और अगर यह पहुंच गया तो रबी १९६८ में हमारा प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर हो जायगा और फिर जो आज हम छोटे-छोटे देशों के सामने पेट भरने के लिये मगांते हैं, उस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त करने की गुंजायश नहीं रहेगी, लेकिन अगर किसी वजह से इस साल कुछ थोड़ी सी कमी रह भी गयी या होर्डर्स ने गड़बड़ की, गल्ले को छिपाया तो मार्जिनल आत्मनिर्भरता रह जायगी

[श्री जयराम वर्मा]

और उसका जितना असर होना चाहिये, उतना असर नहीं होगा । लेकिन १९६९ की रबी में तो हमें कोई सन्देह नहीं हमारी वह स्थिति हो जायेगी कि जिससे हमें दूसरों से नहीं मांगना पड़ेगा । और वही नहीं बल्कि कुछ स्टाक भी खराब समय के लिये इकट्ठा कर सकें और दूसरे सूबों को कुछ गल्ला दे सकें । हमें विश्वास है कि १९६९ के अन्त में इस काम को हम जरूर पूरा कर देंगे जिस को २० वर्षों में किसी कारण से नहीं कर सके, उसको हम २ वर्ष में करने का इरादा रखते हैं और पूरा करने का विश्वास भी रखते हैं ।

तीसरी चीज उर्वरक के वितरण का काम है । वह भी बराबर बढ़ता गया है । १९६५-६६ में जहां इस्तेमाल हुआ ४.४५ लाख मीट्रिक टन, और १९६६-६७ में लक्ष्य तो कुछ ज्यादा था ७ लाख ११ हजार मीट्रिक टन का, लेकिन एक्चुअल इस्तमाल हुआ ४ लाख मीट्रिक टन । लेकिन इस साल ७ लाख ११ हजार मीट्रिक टन नाइट्रोजनस खाद का लक्ष्य है ।

एक सदस्य--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद के लिये जो धन इस बजट में रखा गया है क्या सरकार ने उतनी खाद का प्रबन्ध कर लिया है ?

श्री जयराम वर्मा--

जितना हमने रखा उससे ज्यादा मिलने वाला है । केन्द्र की सरकार ने यह आश्वासन दे रखा है कि जितना रकबा आप अधिक उपज वाली फसलों के अन्तर्गत लायेंगे उसके लिये जितनी रासायनिक खाद की जरूरत है वह सब पूरी देंगे और बाकी और फसलों के लिये जितनी खाद की जरूरत है उसके लिये उन्होंने कहा कि पिछले साल जितना इस्तेमाल हुआ है उससे ३० प्रतिशत और देंगे । इसलिये कोई आशंका की बात नहीं है कि खाद का उतनी मात्रा में इंतजाम न हो सके । जितनी आ गई है वह भी काफी है और थोड़ी सी और आने को बाकी है । लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी । इससे हम आशा करते हैं कि खेतों की पैदावार बढ़ेगी ।

इसी तरह से कीट नाशक दवाओं का पूरा प्रबन्ध है और हर ब्लाक पर उसका प्रबन्ध कर दिया गया है जिससे काश्तकारों को चीजें समय पर मिल सकें । इसके लिये पैदावार बढ़ाने में जितनी जरूरी चीजें हैं उन सब का इंतजाम कर दिया गया है । कृषि विभाग ने बीज सब काश्तकारों को देने का सोचा ही नहीं था और जितने बीज की जरूरत होती है उतने बीज का इंतजाम कोई संस्था कर नहीं सकती । लेकिन इस साल सूखे के कारण कुछ करना जरूरी हो गया और जो कृषि विभाग बीज नहीं देता रहा है उसको भी विभाग दे तो इस तरह के आदेश, पहले से कुछ बीज तो जा रहा था लेकिन अप्रैल में हमने देखा कि बीज उस दृष्टि से नहीं खरीदा जा रहा है जिस दृष्टि से सूखे को देख कर खरीदना चाहिये था । अप्रैल में आदेश दिये गये जितना बीज मिल सके उतना खरीद लिया जाय और कोई भी कमी नहीं होनी चाहिये और सूखे के जमाने में अगर लोगों के पास बीज न मिले होंगे उससे उनको हम दे सकें । हमारे आदेश हैं कि से प्रभावित जिले खास तौर से वाराणसी कमिश्नरी के सब जिले, इलाहाबाद, बांदा में किसानों को बीज अधिक से अधिक दिया जाय । खरीफ के लिये जहां जहां सूखे का प्रभाव खास तौर से पड़ा है वहां के बीज के लिये मैं यहां जिक्र कर रहा हूं और बाकी जिलों के लिये भी कह दिया है कि जो भी बीज मिल सके खरीद कर काश्तकारों को दिया जाय ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में माननीय सदस्य देखेंगे कि खेती के लिये प्राथमिकता दी गयी है और इस योजना काल में २२८.१ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रबन्ध किया गया है जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना तक केवल १८० करोड़ रुपये खर्च हुए थे यानी इस अकेली योजना में तीनों योजनाओं पर मिला कर भी अधिक खर्च किया जा रहा है और उम्मीद है कि इसमें हम काफी काम कर सकेंगे और कोई कठिनाई नहीं होने पायेगी ।

२७ लाख एकड़ जमीन ऐसी है इस प्रदेश में जो ऊसर और बंजर है। इसके लिये प्रयास किया जा रहा है कि जितनी अधिक खेती हम उसमें से खेती के अन्दर ला सकें उतना ही अच्छा है। लेकिन इस साल के लिये १० हजार एकड़ जमीन इस योजना के अन्तर्गत आजमगढ़, आगरा तथा मैनपुरी आदि जिलों में रिक्लेम करने का टार्गेट रखा गया है लेकिन अभी उसमें काम काफी बाकी है। ७ हजार एकड़ के ऊपर जमीन हम ठीक कर सके हैं और जो जमीन रिक्लम होगी उसको रिज्यूम करके भूमिहीनों को देंगे।

संकर मक्का, संकर ज्वार और संकर बाजरा के बीज की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेना चाहती है और सरकार हर साल यह बीज काश्तकारों को देगी। उसके लिये जो हमारा कृषि विद्यालय पंतनगर में है और जो राष्ट्रीय सीड कारपोरेशन है उनसे लेकर हमें आशा है कि हम काश्तकारों की जरूरत को पूरा कर सकेंगे और उसे जो बीज चाहिये वह दे सकेंगे। कृषि की रक्षा के लिये, उसे बीमारियों से बचाने के लिये तथा भूमि के कटाव को रोकने के लिये भी प्रबन्ध है और इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होन पायगी।

इसी प्लान में गन्ना भी शामिल है। गन्ने के विकास के लिये इस प्लान में ५४.५२ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है और उस इलाकेमें सड़कों के विकास के लिये १२ लाख रुपये की व्यवस्था है। और जो मिल क्षेत्र में केन डेवलपमेंट का काम है वह भी हम कर रहे हैं। वहां पर सघन गन्ने का विकास करने का प्रबन्ध है और ४ हजार एकड़ जमीन हर मिल के एरिया में ली जाती है और उसमें उसकी पैदावार बढ़ाने के लिये तीन वर्ष तक पानी और दवायें, आदि देकर पूरा प्रयास किया जाता है। तीन वर्ष के बाद यह प्रबन्ध है कि उस रकबे को छोड़ कर दूसरा ४ हजार एकड़ का रकबा लिया जाय। इस तरह धीरे-धीरे पूर क्षेत्र में जो मिल के अन्तर्गत है गन्ने का विकास हो जाय, इसका प्रयास है और इसका परिणाम भी कुछ निकला है, थोड़ी सी पैदावार बढ़ी और जो यह किताब दी गयी है उसमें अगर आप आंकड़े देखें तो आपको मालूम हो जायगा। यह बात सही है कि गन्ने की पैदावार कम होती जा रही है, १९६५-६६ में गन्ने की पैदावार २५ लाख एकड़ में थी, १९६६-६७ में २० लाख एकड़ में और इस साल खयाल है कि कुछ और कमी होगी। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि गन्ने की कीमत कम है। जिस दृष्टि से वह गन्ना बोता था कैश क्राप के नाते, वह बात अब नहीं रह गयी है। दूसरी कठिनाई एक यह भी हो सकती है कि पैदावार फी एकड़ जो बढ़नी चाहिये वह नहीं बढ़ी है। जब तक गन्ने की पैदावार फी एकड़ हजार मन तक न हो जाय तब तक काश्तकार को उस रूप म गन्ने की खेती करना मुश्किल मालूम होता है और केवल गन्ने की कीमत बढ़ने से मसला हल नहीं हो सकता है। इसके लिये दोनों काम करने होंगे। गन्ने की पैदावार भी बढ़ानी होगी और कीमत भी बढ़ानी होगी। इस मामले में बात की गई है और आश्वासन भी मिला है कि कुछ कीमत बढ़ने वाली है। इस मामले में कठिनाई इस बात की हो रही है कि खाद्यानों की कीमत बहुत बढ़ गई है। अधिक उपज वाली फसल बोवा रहे हैं, लेकिन इससे भी जितनी पैदावार होगी उसको और खाद्यानों की कीमत को दखते हुये गन्ना बोने वाले किसानों की आमदनी कम होगी। इसलिये काश्तकार ऐसी चीज बोयंगे जिनमें आमदनी ज्यादा हो। इसलिये गन्ने की उपज को कायम रखने में बड़ी मुश्किल होगी।

एक और सुधार हो सकता ह। यह देखना होगा कि गन्ने के साथ दूसरी फसल हो सकती है या नहीं? इसके भी प्रयोग किये जा रहे हैं और तराई में प्रयोग सफल मालूम हो रहा है। वहां गन्ने के साथ संकर मक्का बुवाई और उसकी काफी पैदावार होने की उम्मीद है। वहां तो यह सफल होगी, लेकिन इधर भी यदि पानी की काफी व्यवस्था हो गयी तो संकर मक्का यहां भी कामयाब हो सकती है। अगर वहीं कामयाब हो गई तब भी काश्तकारों

[श्री जयराम वर्मा]

को काफी राहत मिल जायेगी। फिर इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी इस हाल में होती है जब केवल एक ही फसल वह साल भर में ले पाते हैं। इस सिलसिले में लोगों को शिकायत करने का मौका हो सकता है कि उर्वरकों की कीमत काफी बढ़ गई है। इसलिये आज की स्थिति में खाद्यानों की कीमत को रोकना कैसे सम्भव हो सकता है? प्रदेशीय सरकार कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अब सबसिडी कम कर दी है। इस सिलसिले में केन्द्र के खाद्य मन्त्री और स्टेट मिनिस्टर से बातें हुई है और उनसे कहा गया है कि वित्त मंत्रालय से कोशिश करायें कि जो सबसिडी मिल रही थी वह मिलने लगे। इससे किसानों के ऊपर भार नहीं बढ़ेगा। कहां तक इस मामले में सफलता मिल सकती है, इसके लिये कुछ कहा नहीं जा सकता ह।

एक और ग्रांट है उपनिवेशन की। यह केवल पीलीभीत में है। यह स्कीम १९५७ में करीब ८५ लाख के खच अंदाज से शुरू की गई और लक्ष्य था कि ६०० भमिहीन परिवारों को और ७५ शिक्षित बेकार परिवारों को वहां बसाया जायगा। अब तक ४९० परिवार बसाय जा चुके हैं और ७८०० एकड़ जमीन ठीक करके दी जा चुकी है। दो हजार एकड़ को और डेवलप करना चाहते हैं जो इस समय मजदूर काम करने वाले हैं, उनके ६५० परिवार वालों को वहां जमीन देना चाहते हैं। इसके लिये इस ग्रांट में व्यवस्था की गई है। तीसरा ग्रांट जो है उस ग्रांट में वह रुपया रखा गया है जो कि बीज व उर्वरक आदि खरीदने के लिये खर्च होगा। उस ग्रांट में जो रुपया रखा गया है उस रुपये से किसानों को देने के लिये बीज और उर्वरक खरीदा जायगा। इन अनुदानों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के सामने मैंने थोड़ा सा निवेदन किया है और मैं समझता हूं और आशा भी करता हूं कि वे अपने कीमती सुझाव तो मुझे देंगे ही, लेकिन जो खाद्यान्न में कमी है उस कमी को पूरा करने का जो लक्ष्य मैंने बतलाया, उसमें भी वे हमारा सहयोग और समर्थन करेंगे जिससे अन्न की कमी का जो राष्ट्रीय प्रश्न है, अन्न की कमी को दूर करने का जो सवाल है उसको हम हल कर सकें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। भले ही माननीय मंत्री जी ने अकाल पीड़ित क्षेत्रों की घोषणा न की हो, जैसे--मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर आदि, लेकिन क्या आपने १० एकड़ से ज्यादा वाले काश्तकारों को भी बीज न देने का निश्चय किया है?

श्री जयराम वर्मा--

वह ऐसा है कि हमें ऐसा डर लगा कि अगर हमने पहले से काफी बीज को इकट्ठा नहीं कर लिया तो अप्रैल में कितना बीज खरीद सकेंगे। इस आशंका को सामने रखते हुए हमने यह कहा कि छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जायगी। और जगहों के लिये तो ५ एकड़ वालों को प्राथमिकता देंगे लेकिन इलाहाबाद, मिर्जापुर में १० एकड़ तक के काश्तकारों को प्राथमिकता दन की बात है। अगर वह बीज उनसे बच गयी तो बचा हुआ बीज उनको भी देंगे। खयाल ऐसा है कि जितने बीज की जरूरत जिला मैजिस्ट्रेटी ने बतलायी है उतना बीज सचमुच में नहीं लगेगा। उनके कहने के अनुसार जितना बीज हमने इकट्ठा कर लिया है, हमारा खयाल है कि उस बीज से काम निकल जायगा। यह आशंका थी इसलिये ऐसा किया गया। अब मैं फिर माननीय सदस्यों से सहयोग की अपील करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री फूल सिंह (जिला सहारनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २१---कृषि, के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य कृषि सम्बन्धी नीतियों की आलोचना करना और सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २२--उपनिवेशन के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय।

कमी करने का उद्देश्य--सामान्य चर्चा एवं आलोचना।

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४५--कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय--के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---यह चर्चा करना कि पर्वतीय जिलों में कृषि सुधारना तथा शोध के लिये कोई भी विशष व्यवस्था नहीं दिया गया।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सहयोग की जो अपील की, मैं समझता हूं कि वह उचित ही है। यह समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और दलगत राजनीति का इसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिये। यह कटौती का प्रस्ताव एक परिपाटी है। इसके जारिये से बहस हो सकती है। अगर इसके बगैर बहस हो सकती होती तो मैं यह प्रस्ताव न पेश करता। मैंने माननीय मंत्री के भाषण को सुना। उससे कुछ शंकाएं बढ़ीं, घटीं नहीं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था चौथी योजना बनी नहीं है और हम बता नहीं सकते ह कि क्या शकल होगी। माननीय मंत्री जी ने आज चौथी योजना क आंकड़े पढ़े। और कहा कि तीसरी योजना से चौथी योजना अच्छी है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि इस साल १५ हजार प्राइवेट ट्यूबवेलों को बिजली दी जायेगी। माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि १० हजार को दी जायगी। यह मर्ज रोज-रोज बढ़ता जाता है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि सूबे में ११२ स्टेट ट्यूबवेल्स लगेंगे। माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा कि ११० लगेंगे पता नहीं कौन ठीक है, कौन गलत। लेकिन इतना निश्चय है कि जितना बोला जाता है उतना ही भ्रम बढ़ता है। माननीय मंत्री ने कहा कि इस साल नहीं १९६९ तक अन्न के मामले में सेल्फ सफीशेंट हो जायेंगे। जरूर हो जायेंगे अगर जिन्दा रहे। इस साल की आवश्यकता १४८ लाख टन थी। इस साल की पैदावार सरकारी आंकड़ों के लिहाज से १२४ लाख टन है। पिछले साल की पैदावार १३० लाख टन थी। इस पैदावार का टार्गेट से कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्बन्ध जोड़ना है भी कठिन। इस साल १७७ लाख टन पैदा कर लेंगे, इतना आप कहते तो हैं, लेकिन कैसे कर लेंगे इसका अन्दाजा नहीं। आपने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है। यह बेमानी बात है। जितना बीज आप दे रहे है एक भी बीज एसा नहीं है जिसको पांच पानी से कम की आवश्यकता हो और जितन आपके सिंचाई के साधन हैं उनमें दो पानी से ज्यादा नहीं दे सकत। नहरों से दो पानी से ज्यादा का सवाल पैदा ही नहीं होता। स्टट ट्यूबवेल्स पर भी मैंने पूछा सम्बन्धित अधिकारी से वे भी दो पानी दे पाते है, तीन पानी बहुत थोड़े रकबे को दे पाते हैं।

श्री जयराम वर्मा--

इसका इंतजाम कर लिया गया है कि पांच पानी सरकारी ट्यूबवेल से मिल सकें।

श्री फूल सिंह--

यह इन्तजाम माननीय मन्त्री के कहने से नहीं हो सकता। यह क्षमता से होता है। यह नामुमकिन बात है। (व्यवधान) फील्ड की बात का आपको अन्दाजा नहीं है। जिनके राइट्स एक्वायर हो गये हैं किस किसका खेत छांट देंगे। रकबा घटा देना आसान नहीं है। मैंने दो जिलों की जांच करवायी थी। बदायूं जिले में शायद ३१ हजार एकड़ का रकबा था। एक हजार एकड़ में तीन पानी आये थे। कुछ में दो पानी। ज्यादातर में एक पानी आया था। सहारनपुर में सिर्फ २९ हजार का रकबा था। उसमें तीन पानी वाला रकबा नेग्लिजिबिल बताया गया। प्राइवेट ट्यूबवेल की बात सही है। वह रास्ता है। प्राइवेट

[श्री फूलसिंह]

ट्यूबवेल की आप मदद नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि पारसाल हालात बहुत एक्सेप्शनल थी इसलिये इतना रुपया सिंचाई में खर्च कर दिया गया। शायद उनको मालूम नहीं कवल ५० ट्यूबवल खरीफ म खुश्की के समय लगे थे, ३३१ कुओं का टागट था। आप ११० कुवों को लगा रह हैं, ५० कम कर दें तब भी २८० बठता है। आप प्राइवट ट्यूबवल की बात करते हैं, उसका टारगट पारसाल का १७ हजार का था जो कि बाद में बढ़कर १९,८०० का हो गया किन्तु आपने अब उसे कम करके १० हजार कर दिया है। इस समय अनेकों ट्यूबवेल पड़े हैं जिनको बिजली की आवश्यकता है और वे बिजली के बिना बेकार पड़े हैं। २४ हजार ट्यूबवेल करीब ऐस अवश्य हैं जिनको बिजली की आवश्यकता ह। हर साल १५-२० हजार नये ट्यूबवेल प्राइवेट लग रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि आप के भरोसे अब कुछ नहीं हो सकता है। यदि वे अपने सिंचाई का प्रबन्ध स्वयं प्रयास करके कर लें तो अच्छा है नहीं तो सब फसल बिना पानी के रह जायगी। यह भी पुरानी सरकार की स्कीम के अन्तर्गत है जो नये प्राइवेट ट्यूबवल बनते रहे ह, उन्हें सरकार बिजली दे रही है। किन्तु आगे के ५ साला स्कीम में कोई पावर हाउस की स्कीम आपके बजट में है ही नहीं। तो अब जो कृषक अपने धन और मेहनत से ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं वह भी बिजली न मिल सकने के कारण ऐसा नहीं कर सकेंग। यदि आगे वर्षा अच्छी हो गयी तो रबी और खरीफ अच्छी हो सकती है। लेकिन आप पिछले १० सालों का हिसाब देखिये। पिछले ही साल १४५ लाख टन की आवश्यकता थी, लेकिन नहीं हुआ औसतन १४२ लाख टन की जब जरूरत थी तो पैदा हुआ १३३ लाख टन, तो हर साल ही अभाव की स्थिति बनी रहती है। ५ साल में २ साल भी अगर फसल अच्छी हो जाय तो आप इसे बहुत अच्छा समझिये, किन्तु यह भी नहीं हो पाता है--आप दखेंगे कि ५ साल में एक साल ही अच्छा जाता है।

[इस समय १ बजकर ५६ मिनट पर उपाध्यक्ष (श्री श्रीपति मिश्र) पीठासीन हुये।]

आपने गन्ने और खांड के बारे में भी बात कही। इस ओर आपकी जो नीति रही है वह बहुत ही दोषपूर्ण है और इसका नतीजा आपके सामने शीघ्र आने वाला है। आपके गन्ने क कारखाने, रबड़ के कारखाने, मुलासेज और पावर रालकोहल के कारखाने सब बन्द होने वाल हैं। अभी मंत्री जी न अपने बयान में बताया कि मैंने शक्कर के दाम बढ़ा दिये हैं और जिस गन्ने से शक्कर बनती है उसके दाम उतने ही रहेंगे। किन्तु असली बात कुछ और ही है। दाम आपने पिछले बढ़ाये हैं और बात आप आगे की समझा रहे हैं। पिछले के तो उसको दाम मिल चुके हैं, वह सौदा हो चुका है। उसके दाम बढ़ा देने से अब उसका लाभ होने का कोई सवाल नहीं रह जाता है। आपके इसके सम्बन्ध में जो, जोन बांटे हैं वह भी गलत है और उनसे संबंधित सारी नीति आपकी गलती पर है और मैं समझता हूं कि उसी के कारण से आज यह सारी कमी है। 'ए'--ग्रुप वालों को १६० रु० क्वींटल, और जो गरीब 'सी' वाले बेचा करें उन्हे १३६ रु० क्वींटल, यह फर्क ठीक नहीं है। हर कृषक 'ए' वाले ग्रुप में जहां उसे ज्यादा दाम मिलेगा वहां अपना गन्ना ले जाना चाहेगा जिसके कारण जिस जोन में मूल्य कम है वहां पर कम आमद होगी और उससे वितरण की व्यवस्था बिगड़ जायगी। पारसाल की आपको याद होना चाहिये कि ढाई रुपये मन गन्ने का भाव, उसकी खोई और उसकी टाप और पत्तियों का भाव भी ३ रुपये मन। तो वह अपनी खोई और पत्ती ही क्यों नहीं बेच कर उससे ज्यादा दाम ले लेगा। वह मिलों तक परेशानी उठाकर क्यों दौड़कर जायगा। गन्ना मिलों को गन्ना नहीं आ सकता, यह खतरे की घंटी है। आपने खुशी मनाई कि हमने बहुत जल्दी भाव मुकर्रर कर दिये। जो बात की खुदा कसम लाजवाब की। अगर अक्तूबर नवम्बर में बढ़ा देते तो अच्छी बात थी, लेकिन अब बढ़ा दिया हमारी छाती पर मूंग दलने के लिये, यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। गांधीजी ने एक बार कहा था कि परस्पर जितने विरोधी दल हैं वे सब एक बात में सहमत हैं, चाहे मिलमालिक, मजदूर, शहरी लोग या देहाती किसान मजदूर सब एक राय के हैं कि अनाज सस्ता मिलना चाहिये।

कृषि मंत्री (श्री महीलाल)--

चीनी मिल में वृद्धि की बात किन मंत्री जी ने कही थी ?

श्री फूलसिंह---

आज जो मेरे प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, नाम तो मैं नहीं बता सकता। तो मान्यवर, आज अनाज की तरफ सबका ध्यान गया और वह सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। उसके पहले जरूरत नहीं थी किसी को। बंगाल के स्पीकर ने एक किताब लिखी थी "मैन बिहाइन्ड दि प्लाऊ" और उसमें कहा था कि हल के पीछे जो आदमी है उसको किसी को फिक्र नहीं है, सब को फिक्र दवाइयों की, और न जाने किस किस बात की है लेकिन किसान की फिक्र किसको है ? आप समझते हैं कि कानून बना बना कर आप लोगों से खेती करा देंगे। यह तो वैसे ही हुआ कि एक बाप ने अपने लड़के से कहा कि खेत पर चले जाओ और चिड़ी उड़ाओ। उसने कहा कि अगर नहीं जाते तो हम तुम्हें मचान से बांध देंगे। लड़के ने कहा कि आप हमें मचान से बांध तो अवश्य देंगे, लेकिन फिर चिड़ी कौन उड़ावेगा। तो आप किसान को दबा सकते हैं लेकिन उन्हें उत्साहित किये बगैर काम कैसे करायेंगे ? मेरे कहने का मतलब यह है कि मुल्क में फीलिंग आफ पारटीसिपेशन होनी चाहिये। आप या मैं अगर यह समझूं कि मैं इस सारे मुल्क को कानून से चला लेंगे तो यह गलत है। कर्मचारियों का सहयोग हो, किसान का सहयोग हो, उनको भरोसा हो कि उनके साथ इंसाफ होगा तब तो बात बनेगी वरना बनेगी नहीं। तीन पंचसाल योजना समाप्त हुईं। अनाज का टारगेट पहली योजना में भले पूरा हुआ हो लेकिन औरों में वह पूरा हुआ नहीं। हां, कैश क्राप्स का पूरा होता रहा, इसलिये कि उससे किसान को नफा होता है। अनाज बोने में मुनाफा नहीं होत। आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं कुदरत की मदद से वह समस्या हल होती जा ही है लेकिन नई समस्यायें आत जा रही हैं। अनाज की समस्या हल हो सकती है बशर्ते कि आप किसान की सहायता करें। इसमें नुकसान क्या है अगर गलती को मान लिया जाय। मैंने कहा था कि भाव बढ़ रहे हैं उसको मानना चाहिये। जब प्रोक्योरमेंट की स्कीम आयी थी तब हमारे मित्र विकल जी जो उधर बैठे थे यह कहते थे कि खून का आखिरी कतरा बह जायगा मगर प्रोक्योरमेंट नहीं होने देंगे। आज वही व्यक्ति कह रहा है कि किसान गल्ला दान कर रहे हैं। इस प्रकार भाषा बदली जा सकती है लेकिन उससे किसानों को धोखा नहीं दिया जा सकता अपने आपको धोखा दिया जा सकता है। तो पार्टनरशिप की बात मैं कह रहा था कि किसान, मिलमालिक, मजदूर, कर्मचारी, मिनिस्टर सब सेपरेट काम करते हैं लेकिन हैं सभी पार्टनर। उसमें मिनिस्टर, भंगी, चरवाहा सभी हैं। लेकिन किसी ड्रामा में यह सब पार्टनर हों राजा, भंगी, चरवाहा और सब और जो राजा बनता है वह डंडा लेकर सबको मारने लगे तो ड्रामा सब खराब हो जाता है। इसी प्रकार यह समाज का ड्रामा है इसको खराब न करें। इसको ठीक रास्ते पर चलाओ, ताकि सब लोग ठीक रास्ते पर चल सकें यही मैं कह रहा हूं।

अब सिंचाई वाली योजना की बात है। उसमें बड़े भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। सिंचाई की योजनायें जैसी आज चल रही हैं वैसी चल नहीं सकतीं। आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि नहरों का पानी और कुओं का पानी आमदनी का साधन बनना चाहिये। यह दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। करना यह पड़ेगा कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स जितने हैं वह सप्लीमेंट करें स्टेट ट्यूबवेल्स व नहरों को। नहरी एरिया में भी इस बात की इजाजत होनी चाहिये कि जहां पर जरूरत हो वहां पर ट्यूबवेल लगायें। इसमें कोई इस बात का बन्धन नहीं होना चाहिये कि वह वहां न लगा सकें। कहीं पर अगर ऐसा है कि नहर नीचे में है और वहां के आसपास की जमीन कुछ फरलांग तक ऊंची है तो वहां किस प्रकार से सिंचाई हो सकती है ? इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो रास्ता अभी तक अपनाया गया है उसको बदलना पड़ेगा। कोशिश यह होनी चाहिये कि सिंचाई के इतने साधन आपके पास हों कि सरकार हर एक खेत को ४,५ पानी दे सके। यह पुरानी किताबें लाकर नया ढांचा

[श्री फूलसिंह]

तैयार करें तो यह मुमकिन हो सकता है वरना यह मुमकिन नहीं है कि सिंचाई साधन यहां पर किसानों को मिल सकें। हम अभी भी ऐसी स्थिति में हैं कि कृषि जगत में इन्कलाब आ सकता है। किसानों के अन्दर जागृति पैदा हो सकती है लेकिन उनको इस बात की सहायता मिलनी चाहिये कि उनके अन्दर इन्कलाब पैदा हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर गदर हो सकता है। बीज के विषय में भी इसी प्रकार से साफ दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। आपने बाजरे का बीज १,३०९ टन मांगा था लेकिन ४०० टन सर्टिफाइड बीज मिला और ४०० टन दूसरे नम्बर का 'बी' क्लास का मिला। यह बात खूब रही। अगर डाक्टर के पास दवाई लेने जायं तो वह कहें कि वह दवा तो इतनी ले लो और दूसरी दवा इतनी ले लो। मतलब यह है कि अच्छा बीज और पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिये मिलना चाहिये। बाहर से क्यों लाना पड़ता है यह भी एक सवाल है। इसकी वजह से पारसाल भी देर हुई और इस साल भी देर से आया। वर्षा के बाद उस मक्का के बीज की आवश्यकता नहीं है जो आप देने की बात कहते हैं। इन सब बातों को तवज्जह के साथ देखना पड़ेगा।

यह कोशिश भी की जा रही है कि किसानों को कर्जा दिया जाय। कर्जे की रकम पारसाल के बजट में १० करोड़ ६२ लाख थी और वह इस साल ८ करोड़ ८ लाख रखी गई है। क्या यह रुपया भी बाहर से लाना पड़ता है जो उनके लिये कम कर दिया गया। यह बात भी चलने वाली नहीं है। टेकनौइकनामिक सर्वे, यू० पी० की एक रिपोर्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कि यू०पी० की रिक्वायरमेंट किसानों की २५० करोड़ रुपये कर्जे की है। उसमें यह भी लिखा है कि बावजूद सारी कोशिशों के किसानों को हम साहूकार के पुर्जे से मुक्त नहीं कर पाये हैं। अगर वे मुक्त उनसे न हुये तो फिर क्या हो पायेगा। U.P. Land Development Bank किसानों को कर्जा देता है। उनको वहां से लोन तो क्या मिले बल्कि अपने घर से कुछ लोगों को देना पड़ा है। देहातों में हजारों किसान ऐसे हैं जिनको कर्जा नहीं मिला है, बल्कि ५०० रुपया अपने घर से उनका चला गया। तो इस तरह से खेती की उन्नति नहीं होने वाली है। मेरा निवेदन है कि इन चीजों को आपको फिर से देखना चाहिये।

आपने बीज का चर्चा किया। थोड़े से दिन मैं भी इस महकमे का मंत्री रहा हूं और ऐसे ही किसी कृषि संबंधी कमेटी का सदस्य भी रहा हूं। तब भी मैंने यह बात कही कि यह जरूरी नहीं है कि आप एक मर्तबा बीज दे दें। आपको एक रास्ता बनाना चाहिये कि बीज पैदा हो, डेवलप हो और बंटें। बीज की उमर ५ से ७ वर्ष की है। ७ साल के बाद सारा बीज रिप्लेस हो जाना चाहिये। बीज का फैलाव ऊपर से नीचे को होना चाहिये। प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी बनी थी। उसने भी इस बात को कहा था कि बीज का फैलाव ऊपर से नीचे को होना चाहिये। ७ साल के बाद बीज का रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिये। यह रास्ता आपका चल नहीं सकता। यदि सरकार को घाटा भी उठाना पड़े तब भी इस विषय में ध्यान देकर बीज के विषय में अपना रास्ता निकालना चाहिये। यह जो तरीका आज है चल नहीं सकता है कि उसी को लेकर आप रिपीट कर दें। सेन्टर से जो आजकल मक्का और बाजरा का बीज मिलता है वह तो एक साल के बाद भी रिपीट नहीं हो सकता है। उनको हर साल रिप्लेस करना पड़ेगा तो ऐसा मशीनरी होनी चाहिये कि इतना बीज आप के पास आ जाय। ७ साल में बीज रिप्लेस हों इसके माने यह हैं कि एक साल में १/७ हिस्सा रिप्लेस हो और इस के माने यह हैं कि इस १/७ हिस्से का बीज दो या तीन साल में पैदा हो जाय। इसके लिये आपको सीड मल्टिप्लीकेशन फार्म बड़े-बड़े बनाने चाहिये ताकि ज्यादा बीज पैदा हो सके और ज्यादा जमीन के लिये वह बांटा जा सके। आपको इसके लिये दूसरे रास्ते छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि वे सब बहकाने के तरीके हैं। सीड फार्म्स आपको बनाने पड़ेंगे तभी आप बीज पैदा कर सकेंगे और तभी आप उसे डेवलप कर सकेंगे। आपके यहां सिर्फ रिसर्च की कमी है और उसमें आपकी कैफियत यह है कि कोई आदमी आप ऐसा नहीं रखते कि जो फूड ग्रेंस को खास तौर से देखे आपने गेहूं के साथ चावल के साथ और और चीजें मिला दी हैं। दस बीस जिन्सों पर एक ही आदमी रिसर्च करे तो वह काम ठीक से नहीं

कर सकता । जो मेन सीड्स हैं उनके लिये आपको अलग से व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिये और उसके लिये उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिये । मैं एक बार पूसा इंस्टीट्यूट देखने गया । उन्होंने मुझे खूब घुमाया और दिखाया । मैंने बाद में उनसे पूछा कि यहां से आपने निकाला क्या ? मैं पूछता हूं कि जो मैक्सिकन बीज आया, जो ताई चुंग बीज आया वह उसके पहले क्यों नहीं आया । कारण यह है कि इतना काम रिसर्च वालों पर लाद दिया गया था कि वे उसे देख ही नहीं सकते थे । जो ५९१ का बीज है उसे इवाल्व हुए ३० साल हो गये हैं लेकिन आज भी उसकी मांग है । जो शख्स उसको इवाल्व करने वाला था वह दिन भर खेत में रहता था । क्या आपके अफसर खेत तक जाते हैं ? अगर वे यह नहीं करेंगे तो काम नहीं चल सकता । मेरा निवेदन है कि खेती का मामला जटिल है और इस पर आपको गौर से विचार करना चाहिये । मैं चाहता हूं कि खेती के मसले पर अलग से डिस्कशन हो, लेकिन यहां तो लाल बत्ती का डर रहता है । इस पर डिस्कशन करके कोई रास्ता निकालना चाहिये ताकि यह जो देश की जिन्दगी और मौत का सवाल है इस का कोई हल निकल सके ।

कीटाणु नाशक दवाइयों के लिये आपने कहा कि सब इंतजाम है, लेकिन ताई चुंग धान में जो कीटाणुनाशक दवाइयां पड़ती हैं वे सब, अधिकतर इम्पोर्टेड हैं । उसके लिये आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री जयराम वर्मा--

उसके लिये बीज ट्रीट करके ही दिया जायगा ।

श्री फूल सिंह--

खैर, आपने कहा कि उन दवाइयों के आप दाम लेंगे, लेकिन वे दाम ज्यादा हैं । आप अपने अफसरों आदि की तनख्वाह भी किसान से निकालना चाहते हैं । इसके अलावा आपने बीज भी महंगा कर दिया है । संकर मक्का एक एकड़ में ८० क्विंटल पैदा होती है जो ७०० रुपये लागत से होती है लेकिन आपने उस का दाम ३०० रुपये क्विन्टल रखा है । इसी तरह ज्वार आदि का दाम भी ज्यादा रखा गया है । तो अगर बीज ही महंगा होगा तो काम कैसे चलेगा ? खाद में भी आप ने ३० परसेंट दाम बढ़ा दिये । ८०० रुपये की जगह १०५० रुपये क्विंटल कर दिया । यह क्या है ? इसके अलावा आपने बजट में कई जगह हेड बदल दिये हैं । यह सब तरकीब से काम चलने वाला नहीं है । इससे शुबहा होता है कि आप लोगों को बहकाना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते । दिक्कतें होती हैं तो कहो, हम भी आप का साथ देंगे । विकल जी को दिक्कत पड़ी कि जो महंगाई बढ़ गयी है ३ महीने में उसका क्या जवाब देंगे; उनको जवाब की तलाश में U.A.R. तक जाना पड़ा । कहते हैं यू० ए० आर० पर इजरायल ने हमला कर दिया इस वजह से कीमतें बढ़ गयीं । हमला तो ५ जून को हुआ है और महंगाई मई और अप्रैल में भी थी । हमला खत्म हो गया पर महंगाई अभी भी कायम है । चौधरी साहब को उनकी दलील नहीं जंची तो उन्होंने दूसरी दलील दे दी कि करेंसी का इनफ्लेशन हो गया । तो जब बयान दिया था उस वक्त यह खयाल नहीं था कि इनफ्लेशन हो रहा है । अगर जून में हुआ तो महंगाई तो मार्च, अप्रैल में भी थी । फिर करेंसी का इनफ्लेशन यू० पी० में ही है ? पंजाब में भी तो हुआ है । वहां की चर्चा नहीं करते कि वहां के क्या भाव हैं ।

प्रोक्योरमेंट ड्राइव में बंगाल के सूबे वालों ने कहा कि १० एकड़ सिंचित भूमि वालों तक से कुछ नहीं लेंगे । मध्य प्रदेश में है कि ९२ रुपये में लेंगे । पहले तो चौधरी साहब ने कहा कि हमारे भाव मध्य प्रदेश से अच्छे हैं । अब उनके ९२ रुपये हो गये और आपके ८५

[श्री फूलसिंह]

हैं। उसमें भी यह होता है कि किसान को सही दाम मिल ही नहीं सकते। अगर अनाज आया तो यह खराब है, उसमें वह खराबी है तो ८० या ७५ ही मिलेंगे। गरीब किसान से तो उसकी खाल ले लो तो भी देकर चला जायगा क्योंकि वह चाहता है कि उसकी जान तो किसी तरह से बच जाय। एक शख्स की तलाशी ली, घर में अनाज मिला नहीं तब भी हथकड़ी लगाकर उसको थाने ले गये। जिसके पास अनाज नहीं था उसके साथ क्यों ऐसा किया गया। सहारनपुर में तलाशी हो रही है, अनाज नहीं मिलता है तब भी तंग किया जाता है। यह हो सकता कि किसान ने पैदावार की हो तो उसको जरूर पकड़ो, पर जिसके पास अनाज नहीं है, पैदा नहीं किया हो और दूसरी पार्टियों के कहने से उसका चालान कर दो इससे नुक्सान अगली खेती को पड़ने वाला है। तो यह रास्ता बदलना चाहिये। अगर आप थोड़ी भी हिम्मत करें और यह आश्वासन दें कि अगर किसी शख्स की बेगुनाह तलाशी ली जायगी तो हम ऐक्शन लेंगे तो उससे काफी राहत मिलेगी। शहर के आदमियों की आपको इतनी फिकर है। ३ लाख टन टारगेट है। ३ लाख टन तो २ महीने भी नहीं चलेगा, कितने आदमियों को आप दे देंगे, बाकी साल क्या खायेंगे? ६७ लाख शहरों की आबादी है, ३ लाख टन तो हवा में उड़ जाने वाला है। और किसान का क्या होगा जिसका आपने सेर-सेर अनाज उठा लिया, वह कैसे अपना और अपने बच्चों का पेट भरेगा, कैसे मजदूरों को मजदूरी देगा। इस तरह आप खेती खराब करने जा रहे हैं। पंजाब वालों ने जहां गल्ला छिपाया था वहां छापे मारे और ४०० के करीब उनकी लिस्ट छपी है। यहां किसानों पर छापे मारे जा रहे हैं, पर शहरों में नहीं, वहां गड़बड़ हो जायगी। आप लोगों में हिम्मत नहीं है काम करने की। अगर अच्छा काम नहीं कर सकते तो खराब तो मत करो। जो किसान मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं उनकी मदद नहीं कर पाते तो यों परेशान करने से तो उनको बड़ी तकलीफ होगी।

मान्यवर, एक चीज में और कहना चाहता हूं। ईस्टर्न जमुना कैनाल से कभी पूरा पानी नहीं मिल पाया है। मैंने भी उसको देखा, गवर्नमेंट के लोग भी गये। अभी तक वह स्कीम फाइनल नहीं हुई। होता क्या है? जो भी प्रोजेक्ट जाता है महीनों उसको ट्राई ही करते रहते हैं। आखिर कभी वह फाइनल भी होगा? मेरा सुझाव है कि वहां हेड वर्क्स बनाये जायं। कम से कम १/३ हिस्सा पानी तो हमें मिलने लगे।

मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या इस देश में बिजली की है। आप पंचवर्षीय की बड़ी योजनाओं के स्थान पर आप छोटी योजनायें बनाने जा रहे हैं, उससे ऐसा न हो कि आपकी सारी योजनायें ही छोटी हो जायं। आप बड़े बड़े पावर हाउस बनाइये ताकि बिजली अधिक पैदा हो सके और आपकी योजनायें चल सकें। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे। मेरा कोई इरादा सरकार के खिलाफ मजम्मत का नहीं है मुझे कुछ सुझाव रखने थे वे मैंने रख दिये।

श्री सरजू प्रसाद (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि जैसे महत्वपूर्ण अनुदान पर आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। अभी हम कटौती के प्रस्ताव पर माननीय फूलसिंह जी का जो भाषण सुन रहे थे उसे सुन कर ऐसा लगा कि वे किसानों के प्रति इस वक्त बहुत दयावान हैं। वाकई में जो बातें उन्होंने किसानों के संबंध में कही हैं वह बहुत लाभदायक हैं, परन्तु इन सब बातों की उपेक्षा अपने २० साल के शासन काल में वे हमेशा करते रहे। उन्होंने हमेशा कृषि की पैदावार को नारों के जरिये बढ़ाने की कोशिश की, लेक्चरों के जरिये बढ़ाने की कोशिश की, परन्तु अधिक अन्न उपजाने वाले साधनों को वे नहीं जुटा पाये। माननीय गेंदासिंह जी भी जब कृषि मंत्री थे, एक बार जब वे मेरठ पहुंचे तो वह सरकिट हाउस में ही बैठे दौरा कर रहे थे और वहां के अधिकारियों से कह रहे थे कि जगह-जगह सभायें कीजिये और किसानों को अधिक अन्न पैदा करने की तरकीब बताइये।

मैंने मंत्री जी से कहा कि अधिक अन्न इस तरह से लेक्चर देने से या गाड़ी के पेट्रोल के धुवें से पैदा नहीं होगा। किसान जब अधिक अन्न देगा तब उसे अधिक अन्न उपजाने के लिये सुविधायें मिलेंगी। सबसे पहले किसान के लिये आवश्यक यह है कि किसान जो कुछ पैदा करे उसकी उचित कीमत उसे मिले। यानी, इसके लिये आपको प्रयत्न करना पड़ेगा कि किसान की पैदा की हुई चीज, कारखाने की पैदा की हुई चीज और मजदूरी इन तीनों में आपको एक अनुपात कायम करना पड़ेगा। लागत किसान भी लगाता है, लागत कारखाने वाला भी लगाता है परन्तु अब तक के शासन में यह देखा गया है कि किसान जो लागत लगाता है उस लागत से किसान को कीमत नहीं मिलती और जो कारखाने वाला लागत लगाता है उसकी लागत का कारखाने वाले को तिगुना, चौगुना और पंचगुना फायदा मिलता है। वे स्ट्रेप्टोमाइसीन का इन्जेक्शन जिसकी कीमत दो आने होती है वह बाजार में चौदह आने का मिलता है। मिट्टी का तेल जिसकी कीमत पांच नये पैसे पड़ती है फी बोतल वह बाजार में ३५ और ४० पैसे बोतल मिलती है। स्प्रिट की बोतल जिसकी लागत पर अढ़ाई आने लगते हैं वह पौने दो और दो रुपये में मिलती है। परन्तु किसान द्वारा पैदा की हुई उसी लागत के मूल्य की कीमत उसको उसी अनुपात में नहीं मिलती है। उसको उसी के बराबर देने की कोशिश नहीं की गई है। ये आंकड़े सन् ६२ में निकले थे। गन्ने का जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है वह दो रुपये एक आने मन है और गेहूं का बीस रुपये मन है और गुड़ [illegible] रुपये मन। सरकार ने तय किया था गन्ने का डेढ़ रुपया, गुड़ का १५ रुपया। सरकार की यह नीति थी कि जितनी लागत किसान लगाये उसका चौगुना दिया जाय। एक आदमी खेती में १०० रुपये की लागत का काम करता है और एक कारखाने वाला भी उसी लागत से काम करता है। पहले सौ वाले को केवल ७५ रुपये ही मिलता है जब कि दूसरे को तीन सौ, पांच सौ तथा सात सौ रुपये मिल जाते हैं। ७५ रुपये पाने वाला आदमी बाजार में किस तरह उसका मुकाबला कर सकता है। इसलिये हमारी पार्टी का और हम लोगों का एक निश्चित मत है कि जब तक कोई ऐसी नीति तय नहीं होगी और जो कास्ट आफ प्रोडक्शन खेती में खर्च हो उसी का एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से मुनाफा उसको मिले और जितना कास्ट आफ प्रोडक्शन कारखाने वालों का हो उसका भी निश्चित प्रतिशत उनको उसी हिसाब से मिले और इसी हिसाब से मजदूरी भी तय की जाय और जहां तक पैदावार का सवाल है पैदावार के लिये श्रीमन्, पांच छः फैक्टर मेरी समझ में आते हैं। सबसे पहले, पानी, खाद, बीज, औजार, बैल और शिक्षा। पानी के सवाल पर जब हम सोचते हैं तो पानी जितना हमारे देश में है, प्रकृति ने जितना पानी हमें दे रक्खा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाये। हमारे यहां ६ परसेंट पानी कंट्रोल हो पाया है। ६ परसेंट की और योजना बनने जा रही है। यहां पर ४६-४८ परसेंट तक पानी कंट्रोल हो सकता है। गंगा नदी जिसमें ७ लाख क्यूजेक्स पानी बहता है उसमें दस हजार क्यूजेक्स इस वक्त आ रहा है। गंगा नदी के पानी को भी कंट्रोल कर लिया जाय तो मेरे खयाल में गंगा नहर जैसी सत्तर नहरें निकल सकती हैं। कितनी उससे बिजली बनेगी और सिंचाई होगी। हमारे केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने उस पर टिप्पणी लिखी थी कि अगर दो अरब रुपया गंगा नहर के पानी को कंट्रोल करने को हो तो गंगा जैसी बहुत सी नहरें निकल सकती हैं। तो हम प्राकृतिक पानी को कंट्रोल नहीं कर पाये। जहां तक सवाल बरसाती पानी का है, प्रगतिशील देश बरसाती पानी को भी समुद्र में नहीं जान देते और उससे भी सिंचाई का काम लेते हैं। हमारी निगाह इस तरफ गई तो है परन्तु बहुत कम मात्रा में गई है। जहां ट्यूबवेलों का सवाल है, वहां प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगे हैं और सरकार ने भी लगाये हैं। सरकार का ट्यूबवेल लगाने का तरीका बड़ा ही गलत है। प्राइवेट ट्यूब वेल्स से सहकारी समिति का लगाया हुआ ट्यूब वेल दुगुनी लागत में लगता है। उसी तरह से अगर मैं निजी ट्यब वेल लगाऊं और सरकारी ट्यूबवेल लगवाऊं तो

[श्री सरजू प्रसाद]

सरकारी ट्यूबवेल की लागत निजी ट्यूबवेल से चौगुनी, पंचगुनी बैठती है। फिर भी, प्राइवेट ट्यूबवेल के बराबर सरकारी ट्यूववैल कामयाब नहीं हुए। उनके संचालन का तरीका बहुत ही गलत है। एक आपरेटर रहता है, एक मशीन ठीक करने वाला मिस्त्री रहता है और एक लाइन मैन हाइडल का रहता है। उनका आपस में मेल ठीक नहीं बैठ पाता। कभी लाइन मैन नहीं है, कभी मिस्त्री नहीं है। इसलिये किसान को जितना पानी मिलना चाहिये उतना नहीं मिल पाता है। आपरेटर लिखता है कि ट्यूबवेल एम० डी० यानी मशीन डिफेक्ट से बन्द है, तो उसे मजबूर किया जाता है कि एन०डी० लिखो, यानी नो डिमांड कि पानी की आवश्यकता नहीं है, या मांग नहीं है। फिर आपरेटरों की तनख्वाह भी कम है और उन्हें १५, २० वर्ष नौकरी करने के बावजूद भी स्थायी नहीं किया जाता है। वे लोग मन से काम नहीं पाते हैं। उनमें कार्य-क्षमता पैदा नहीं हो पाती है। हमारी सलाह तो यह है कि आपरेटर हैंडल और मशीन का भी काम जानने वाला होना चाहिये जिसमे एफीशिएंसी आवे, और उसकी तनख्वाह भी अच्छी होनी चाहिये।

अव्वल तो नहरों में नदियों से पानी ही कम लिया जाता है परन्तु जितना लिया जाता है उसका भी सदुपयोग नहीं हो पाता है। बम्बों और नालियों को साफ नहीं किया जाता है। रात-दिन कटिंग होती है और पतरौल बम्बों को कटवा देते हैं। बहुत से बम्बे और नालियां ऐसी हैं जिनकी बिलकुल भी सफाई नहीं होती है।

[illegible] नलकूपों का जहां तक सवाल है, यह अच्छी योजना है परन्तु निजी नलकूप वालों को बिजली लेने में जितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और जैसे उन्हें इन्सपेक्टरों और लाइन मैनों का मुकाबला करना पड़ता है, एक एक इंस्पेक्टर और लाइन मैन कितनी रिश्वत लेता है और कितने वहां के एस० डी० ओ० और इंजीनियर चक्कर लगवाते हैं, यह सब उस काश्तकार से पूछियेगा जो बिजली का कुआं लगवाता है या हम जैसे कार्यकर्त्ता से पूछियेगा जो काश्तकार के लिये इंजीनियरों और लाइनमैनों इत्यादि के पास जाकर कोशिश करते हैं और उनकी खुराफात सुनते हैं। हमारी सरकार के समय में तरीका आसान होना चाहिये था और किसान को प्रोत्साहन मिलना चाहिये था, परन्तु वह नहीं मिल रहा है और गरीब काश्तकार उसी तरह से परेशान है। जरा भी सुधार उसके लिये नहीं आया है और निजी ट्यबवेल लगाने में उसे प्रोत्साह नहीं मिल रहा है।

श्रीमन्, जब कांग्रेसी सरकार यहां थी, एक बात मैंने उस समय भी कही थी कि बहुत से गन्दे नाले बहते हैं जिनका पानी बहुत उपजाऊ होता है। उस पानी से आबादी को हानि होती है और यदि उस पानी को सिंचाई के काम में ले लिया जाय तो एक तो पैदावार बढ़ सकती है और दूसरे गन्दगी से बचा जा सकता है। मोदीनगर मिल से एक गादराबाद और सिल्क फैक्टरी का नाला निकलता है। इससे बहुत से गांव बरबाद हो गये। हर साल बहुत से बैल मर जाते हैं क्योंकि रास्ता बहुत खराब है, और आदमी बह जाते हैं और उसमें २४ घंटे, तीसों दिन और बारहों महीने पानी बहता है। अगर हम उस पानी को ठीक कर लें तो उससे ३०, ४० गांवों को पानी दे सकते हैं और उनको गन्दगी से बचाया जा सकता है।

रहट आज बैल के हिसाब से बहुत महंगा बैठता है। जहां हमारा घर है उस गांव में इतने गहरे कुवे हैं कि उसमें ७०,८० बालटियां चलती हैं। ४ बैल, ६ बैल, तीन आदमी काम करते हैं। वे एक बीघा, डेढ़ बीघा और ज्यादा से ज्यादा २ बीघा की आबपाशी कर पाते हैं। उस पर कितनी लागत आती है? ६ बैलों का लगाइए ४ रुपए के हिसाब से, २४ रुपए' चार आदमियों के २ रुपए के हिसाब से ८ रुपए हुए। इस प्रकार ३२ रुपए में ज्यादा से ज्याद' २ बीघा खेत को पानी मिलता है। रहट को प्रोत्साहन देना बहुत ही गलत होगा और उससे सिंचाई बढ़ने वाली नहीं है।

दूसरी बात खाद की है। अगर किसी को पानी ही पानी दिया जाय और रोटी न दी जाय तो वह मर जायगा। हमारी सरकार ने या पहले की २० साला सरकार ने पानी की तो कोशिश की है परन्तु खाद की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे सूबे में एक भी फर्टीलाइजर फैक्टरी काम नहीं कर रही है जब कि यह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसका सबसे बड़ा पेशा खेती है और खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है खाद की। विदेश और दूसरे सूबों से हमें खाद मंगानी पड़ती है। जहां हम एक तरफ आज अनाज की कीमत की बढ़ोत्तरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ अनाज की पैदावार करने के लिए खाद के दाम बढ़ाए जाते हैं। कोई नहीं सुनता है। हम लोगों को यह भी शिक्षा नहीं दी जाती है कि गोबर का इस्तेमाल कैसे किया जाय, कैसे कम्पोस्ट के गड्ढे बनाए जायं, पेड़ों की पत्ती का खाद कैसे बनाया जाय, और कैसे हरी खाद का इस्तेमाल किया जाय। ऐसी शिक्षा हमको नहीं दी जाती है कि हरी जिन्स बोने से हमारी जमीन उपजाऊ हो जाय। इस सरकार की भी ध्यान खाद की ओर बहुत कम है।

मूंगफली कितनी कीमती चीज है। उसकी खली बाहर जा रही है। जानवरों की हड्डियां बाहर जा रही हैं। उपलों का इस्तेमाल ठीक से नहीं होता है। खाद की सभी चीजें वेस्ट हो रही हैं।

जहां तक सवाल बीज का है, हमारे मन्त्री जी ने बड़ा लम्बा-चौड़ा लेक्चर दिया है। परन्तु बीज की वितरण व्यवस्था अभी भी उतनी दोषपूर्ण है जैसी कि पहले थी। ब्लाकों में संकर मक्का, बाजरा, ज्वार और धान के बीज की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है। कागज में भले ही हो गई हो, मैंने कई ब्लाक देखे हैं, कहीं भी बीज नहीं पहुंचा है। रबी के बीज का जहां तक सवाल है, उसका इन्तजाम तो इतना गलत है कि उसे सवाए पर दिया जाता है और जब दिया जाता है तो वह ३, ३ दफा छाना जाता है और उसमें कई दफा मिलावट होती है। कभी रेत, कभी जौ और कभी कोई दूसरी चीज। किसान को जब बोने का समय होता है उस समय बीज न मिलकर देर से मिलता है। और मैं अपन निजी अनुभव से कह सकता हूं कि अगर १५, २० दिन भी पिछड़ गए और समय से बुवाई नहीं होगी तो आधी पैदावार होती है। बीज रखने के गोदाम भी ऐसे हैं कि उनमें बरसात में पानी चू जाता है और उनकी देख-भाल कोई नहीं करता है। किला परीक्षतगढ़ के ब्लाक में ऐसा बीज दिया गया कि जमा ही नहीं। मैंने गेंदासिंह जी से शिकायत भी की परन्तु कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। औजार भी खेती के लिए बहुत जरूरी हैं लेकिन सरकार का उधर भी बहुत कम ध्यान है। सरकार द्वारा ट्रैक्टर, हैरो, क्रशर आदि की कीमत में कोई कमी नहीं की गयी। संसार के किसी भी देश में ट्रैक्टर की ट्राली पर टैक्स नहीं है, लेकिन हमारे यहां का किसान अगर अपना गन्ना ट्रैक्टर ट्राली पर ले जाता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। यह किसान प्रिय सरकार उस ट्रैक्टर ट्राली पर टैक्स लगाती है। मशीन के अभाव में हल से खेती की जाती है। लेकिन बैल की नस्ल को सुधारने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। फसलों की बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई काम नहीं हुआ है। पश्चिमी जिलों के लिए ३१२ गन्ना वरदान था। हमारे जिले में एक हजार से लेकर १,२०० मन फी एकड़ तक गन्ना होता था लेकिन अब यह गन्ना बिलकुल वहां खत्म हो गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह उसी जमीन में पहले क्यों होता था और अब क्यों नहीं होता है। हमारी सरकार ने अब तक यह कोशिश नहीं की कि पहले उस जमीन में कौन से तत्व थे जो अब नहीं रहे जिसकी वजह से ३१२ गन्ना वहां नहीं होता है।

जहां तक सरकार की गन्ना नीति का सवाल है वह पिछली सरकार की तो खराब थी ही, इस सरकार के जमाने में भी उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं मालूम पड़ता है। टैरिफ कमीशन

[श्री सरजू प्रसाद]

थी ही इस सरकार के जमाने में भी उसमें कोई खास परिवर्त नहीं मालूम पड़ता है। टेरिफ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार यह रखा गया था कि जितने रुपया मन चीनी हो उतने ही आना मन गन्ना बिके। लेकिन पिछले बीस सालों में चीनी का दाम तो बढ़ा है और गन्ने के दामों की कमी हुई है, अनुपात में। इसलिए किसानों को गन्ने का ठीक मूल्य नहीं मिल पा रहा है। केन सोसाइटीज जो किसानों की रक्षा करने के लिए स्थापित की गयी थीं वे ही किसानों का भक्षण कर रही हैं। उस ओर भी अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है।

जहां तक गुड़ का सवाल है, यह बहुत बड़ा नेशनल लास है। हमारे यहां ९ करोड़ मन गन्ना पैदा होगा है। १०० म गन्ने में ९.७ मन चीनी पैदा होती है और १०-१२ मन गुड़ पैदा होता है। इनके दामों में ज अन्तर है उससे ५ मन गुड़ और खरीदा जा सकता है। इस प्रकार से ५ करोड़ मन गुड़ का अर्थात् एक अरब रुपये का नुकसान हमें प्रति वर्ष होता है। इस रुपये से हम कितनी ही चीनी मिलों को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें गुड़ का बनाना बन्द कर देना चाहिए। परन्तु मिलों को सस्ता गन्ना दिलाने के फेर में यह गुड़ बनाया जाता रहा है। अगर किसी मिल की कैपेसिटी ३ लाख मन की है तो उसके लिए १० लाख मन गन्ने के खेतों को रिजर्व कर दिया जाता है जिससे सप्लाई और डिमान्ड के कायदे से उनको गन्ना सस्ता मिल सके। इस प्रकार गुड़ से राष्ट्रीय हानि हमें हो रही है।

यह सरकारें जो हम लोगों की बनी हैं वह निश्चय रूप से इसलिए नहीं बनीं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को तनख्वाह श्री सी० बी० गुप्ता के बजाय चौधरी चरण सिंह लेने लगें। इसमें हमें कोई अन्तर नहीं दिखाई देता। यह सरकार इसलिए बनी है कि किसानों, मजदूरों को लाभ हो, मेहनतकशों को लाभ हो और यहां का जो पूंजीपति वर्ग है, जो शासक वर्ग है वह छोटा होकर किसानों और मजदूरों के बराबर हो, लेकिन अभी तक जो सरकार का रवैया है उससे यह कम दिखाई देता है क्योंकि किसानों पर लेवी लगाई गई, खाद के दाम बढ़ाए गए, ट्रैक्टर्स के दाम बढ़े, बिजली के दाम जो कारखानों को दी जाती है उसके कम हैं और खेतों और कुंओं की बिजली के अधिक हैं। लगान माफ करने की बात कही जा रही है वह अभी नहीं हो रहा है लेकिन जो वादा किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन अगर किसानों के उपज के दामों को बांधने की नीति नहीं अपनाई जायगी तो किसानों को मुनाफे की संभावना न होगी। वैसे मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसकी नीयत किसानों का भला चाहने की है, देरी कुछ उसमें हो सकती है लेकिन सरकार की नीयत साफ है। इसलिए मैं इस अनुदान का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा....!

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चूंकि अब समय कम है इसलिए इसका ध्यान रखें कि दस मिनट से अधिक कोई माननीय सदस्य न लें।

श्री रामनरेश शुक्ल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा संतोष हुआ था और आशा भी हुई थी कि यह कृषि का बजट एक किसान के बेटे के द्वारा पेश किया जा रहा है, किन्तु इसकी सारी योजना को देखकर और उनके भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा जान पड़ रहा था कि जैसे यह बजट एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया जा रहा है जिसका खेती से कोई मतलब नहीं है। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा थी कि कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय। आज के मुख्य मंत्री जी स्वयं कहा करते थे और हम उनसे सहमत होते थे कि कृषि विभाग और सिंचाई विभाग एक मंत्री के पास रहना चाहिए जिससे कि कृषि में पानी की आवश्यकता को ठीक से समझा जा सके; किंतु इस बार

जब सरकार उनके हाथ में आई तो उनका पहला काम हमने देखा कि कृषि विभाग एक व्यक्ति के पास है और सिंचाई विभाग दूसरे मंत्री के पास है और दोनों सज्जनों का दृष्टिकोण, विचारधारा, सोचने का तरीका, राजनीतिक विचारधारा सब भिन्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि कृषि विभाग तो मौजूदा कृषि मंत्री के पास रहा और वह चाहें भाषण कितने ही करते जायं लेकिन पानी का प्रबन्ध दूसरे मंत्री के हाथ में है। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, उनसे मैं पूर्णरूप से सहमत हूं कि किसान को कृषि में लगने का एनकरेजमेंट कैसे हो, इसकी परीक्षा यह होगी कि आज खेती के तरफ कितने लोग जा रहे हैं और कितने खेती छोड़कर जा रहे हैं, आज का पढ़ा-लिखा नौजवान खेती की तरफ से भागता जा रहा है। कोई नगर में चला जा रहा है, कोई बिजनेस करने जा रहा है और कोई काम करने जा रहा है। जिस प्रकार से गांवों से लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, वैसे ही किसान खेती छोड़कर दूसरे धन्धों की ओर भागते हुए नजर आते हैं। इसका कारण जो हमें जान पड़ता है वह यह है कि यह सरकार खेती की तरफ आकर्षण नहीं दे पा रही है। दूसरे, खेती करने वालों की मर्यादा का स्थान या इज्जत का स्थान नहीं दिया जा रहा है। किसान लोग यह आशा करते थे कि समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा के लोग तो उनका अवश्य ध्यान रखेंगे, लेकिन जो तजुंबा हुआ है गल्ले की वसूली में उसको देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। गल्ले की वसूली का विषय आज का नहीं है कि उसकी कीमतों को मैं बताऊं। केवल उसके दृष्टिकोण की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसानों को बुलाया गया, बैठाया गया। उनके घरों में लोग घुसते गये, जैसे उनकी कोई इज्जत ही न हो। या समाज में उनका कोई आदर ही न हो। १०–१० आदमी घरों में घुस जाते हैं और उसके मटकों की, कुठलों की और कोठरियों को खोलकर देखते हैं कि उसमें कहीं पर गल्ला है या नहीं। इन सब बातों से आपने किसानों को वह मर्यादा और इज्जत का स्थान नहीं दिया इस २ या २१/२ महीने में, जो आपको देना चाहिए था। मैंने तो यहां तक सुना है कि किसान लोग कहते हैं कि छोड़ो इस काम को। तो आपको इससे कोई फायदा भी नहीं हुआ क्योंकि जितना खर्च आपने इस वसूली पर किया, पेट्रोल जलाया, सरकारी आदमियों को लगाकर उनकी तनख्वाहों के खर्चे का वहन किया, यदि केवल उसको देखा जाय तो आप देखेंगे कि इसमें सरकार का काफी खर्चा हुआ और जो उन्होंने सोचा था कि गल्ले के दाम सस्ते हो जायेंगे, वे महंगे ही होते गये। अब किसान के दिमाग से आप निकल गये हैं यह शायद आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप तो लखनऊ में बैठे हुए हैं। माननीय विकल जी चाहे कितने ही लम्बे चौड़े भाषण १०–२० आदमियों की सभा में देते फिरें, लेकिन यह सही बात है कि किसानों के दिमाग से आप निकल चुके हैं। आपको किसानों को उचित स्थान देना होगा, उनके साथ न्याय करना पड़ेगा। आप क्यों नहीं लखनऊ के किसी व्यापारी के घर में घुस कर छापा मारते ? एक दो उदाहरण कहीं साल भर में होता है कि किसी व्यापारी के घर में घुस गये हों और उसका अखबार में भी जिक्र आ जाता है। हमारे माननीय झारखण्डे राय जी तो साम्यवादी विचारधारा के हैं, जो बराबरी का दावा भी करते हैं, उनको क्यों हिचक नहीं हुई यह कहते हुए कि हमने आदेश जारी कर दिए हैं कि अन्दर घुस जाओ और गल्ला निकाल लाओ। यह है उनका कुर्सी पर बैठने की ममता का फल।

इस समय मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर खेती की उपज बढ़ाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर की एकोनामी कायम की जाय। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि आपने कोई अभी तक नियोजित कृषि की व्यवस्था नहीं बनायी है और मैं आशा करता था कि वर्तमान कृषि मंत्री जी जरूर उसको पूरा करेंगे। खेती की उपज तब बढ़ सकती है जब कि खेतों का खसरा तैयार किया है जिसमें लिखा जाय कि किस नम्बर के खेत को पानी किस क्षेत्र से तथा किस साधन से दिया जा सकता है। जिसको नहर के जरिये पानी दिया जा सकता है उसके लिए उस खसरे में वैसा लिखा जाय, ट्यूबवेल वाले के लिये, वैसा लिखा

[श्री रामनरेश शुक्ल]

जाय, तालाब से जिस को पानी मिल सकता है उसके लिए वैसा लिखा जाय और कुएं से जिसको पानी दिया जा सकता है उसके लिए वैसा लिखा जाय। इसके अतिरिक्त जो खेत बच जायें उनके लिये जिस साधन से पानी देना संभव हो उसकी व्यवस्था की जाय।

किसान का खेत गांव की संपत्ति होती थी, अनेकों की रोजी उससे चलती थी। सिंचाई तथा कटाई के अवसर पर गांव के लोग काम करते थे। नाई भी, धोबी भी तथा लगुआ मजदूर भी उससे अन्न पाता था। मिश्रित अर्थ व्यवस्था की तरह आप का मिक्स्ड खेती का ज्ञान इस प्रदेश के लिये ठीक नहीं होगा। कुछ एरियाज को ले लीजिये, वहां पर इन चीजों का प्रयोग कीजिये। आपने थोड़े से ट्यूब वेल्स का ऐलान किया और पार्टी के लोग दौड़ना शुरू कर दिये कि हमारे क्षेत्र में खोदा जाय। सिफारिश की दुनिया छोड़िये। हमको बड़ी खुशी होती थी कि एक अवध के मंत्री हैं, वह भूल जाते हैं कि प्रतापगढ़ भी अवध में आता है। मेरे क्षेत्र लछमनपुर को देखिये तो पायेंगे कि ढाई ब्लाक में सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

वहां पर मिसरौली एक स्टेशन है और वहां राममूर्ति जी एक नहर बनवा रहे थे जो बिलकुल ही पट गई है, खुदी ही नहीं।

श्री रामनरेश शुक्ल—

यह स्टेशन सुल्तानपुर में है। बीज वितरण के बारे में जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा मैं उससे सहमत हूं। आप खेती की उन्नति तब कर सकेंगे जब प्रत्येक गांव में बीज गोदाम खोलें। हमने अपने गांव में इसका प्रयोग किया था। १५ रु० से वह बीज गोदाम खोला था और वह आज अपने गांव के अलावा बहुत से गांवों को बीज दे रहा है। यह सरकारी लोगों के द्वारा जो बीज गोदाम खोले गये हैं यह कभी सफल नहीं होंगे। गांव के अपने बीज गोदाम होने चाहिये। वे इससे समझते हैं कि वे अपना बीज गोदाम खोल रहे हैं। इसलिये नये प्रयोग कीजिये। पहले तो आप सोचते थे कि हम एक अनुशासन में हैं। अब तो ऐसी बात नहीं है। अब जो विचार आगे आये पकड़ लीजिए और नये विचार पर प्रयोग कीजिए। हर गांव में बीज गोदाम कर दीजिए और थोड़ी सी सहायता दे दीजिए तो इससे किसान को बीज खरीदने में बड़ी मदद मिलेगी। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। इसमें अधिक समय लगायें और हो सके तो सिंचाई विभाग भी इसी में ले लें तब तो इस प्रदेश का और अधिक कल्याण होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के इन २० वर्षों में यह दुःख का विषय है कि खाद्यान्न के मसले में हमारा देश आत्म निर्भर नही हो सका। यह बात सही है कि इन २० वर्षों में ३८ प्रतिशत वृद्धि खाद्यान्न में हुई है लेकिन दुःख इस कारण भी है कि ६९ प्रतिशत जनता इस देश की खेती पर निर्भर करती है और जहां तक इस प्रदेश का सवाल है यहां ७४.६ प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करते हुए भी हम अपने ग्राम को आत्मनिर्भर नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में जबकि इस प्रदेश में समूचे देश के मुकाबले में आबपाशी और सिंचित भूमि का रकबा सबसे अधिक है। आजादी के बाद के आंकड़ों से साबित है कि सन् ५१ में देश में जितना खाद्यान्न होता था उसका २२ प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता था जबकि यहां की आबादी देश की आबादी की १७ फीसदी थी लेकिन सन् ५१ से निरन्तर बाद यानी तीसरी योजना की समाप्ति तक खाद्यान्न पैदावार घटती गयी। यह एक चिन्ता का विषय है। इन पिछले ५ सालों के आंकड़ों का मुकाबला करके कोई देखे तो मेरी दृष्टि से खेती की उपेक्षा की गयी है। सबसे पहले बिजली के चार्जेज में १०० फीसदी इजाफा किया गया। ८ नये पैसे पहले काश्तकार को देने पड़ते थे और इन्डस्ट्रीज को १४ नये पैसे और वक्त के अन्दर अगर काश्तकार अदा कर देता था तो केवल ६ पैसे ही देने पड़ते थे लेकिन पिछले ५ साल में खेती तथा इन्डस्ट्री दोनों के लिए बिजली के रेट्स एक समान कर दिए गए जब कि खेती के मुकाबले इन्डस्ट्री में कई गुना अधिक मुनाफा है और इसे स्वीकार भी किया

जाता है। तकावी पर जो कर्जा दिया जाता था उसका सूद भी इन पिछले ५, ६ साल में बढ़ाकर पौने ९ फीसदी पर जिस शरह पर हमारे कोआपरेटिव बैंक से कर्जा दिया जाता है किया गया जबकि इन्डस्ट्री को दिया जाने वाला कर्जा आज भी साढ़े ५ और ६ फी सदी के करीब है और कुछ प्रदेशों में ३ फी सदी है। अगर आप फर्टीलाइजर की तरफ गौर करें तो ऐसा नजर आता है कि उधर खेती की पैदावार बढ़ाने का प्रश्न है लेकिन निरन्तर बढ़ाई जाती रही है, फर्टिलाइजर की कीमत। फरवरी, १९६७ में खाद की कीमत बढ़ाई गयी। उससे भी सरकार को संतोष नहीं हुआ तो अप्रैल, १९६७ में फिर दोबारा खाद की कीमत बढ़ायी गयी। क्या ये इस कारण बढ़ायी जा रही हैं कि काश्तकार उनका ज्यादा प्रयोग न कर सके और खेती का उत्पादन न बढ़ाया जा सके? मुझे अफसोस है कि जिस चीज की तरफ तवज्जह ज्यादा होनी चाहिए कि इन चीजों की कीमत कम हों ताकि उत्पादन बढ़े उस तरफ तवज्जह न हो सकी। निरन्तर हम यह भी देख रहे हैं कि ट्रैक्टर्स की कीमत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। माननीय कृषि मंत्री जी अगर उन आंकड़ों को उठा कर देखें कि सन् १९५१ में फर्गुसन और दूसरे ट्रैक्टरों की क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है उन्हें मालूम होगा कि बीच में कितना कमीशन खाया जाता है और उन पर कितना टैक्स लगता है और काश्तकार को किस कीमत पर मिलता है। पंजाब, बिहार, मद्रास और देश के अन्य स्थानों पर ५० फी सदी तक कृषि यंत्रों पर सबसिडी दी जाती है लेकिन हमारे प्रदेश में खेतों के औजारों की सबसिडी को उठाया गया है। अगर पावर शेशर व अन्य उन्नतिशील औजारों पर यदि सबसिडी दी जाती है तो नये कृषि उद्योग यहां पनपेंगे और फर्म्स नये औजार बनायेगी जिनको काश्तकार प्रयोग कर के खेती को बढ़ा सकेंगे।

मैं एक और उपेक्षा की बात बता देना चाहता हूं। सन् १९६५ में इसी माननीय सदन ने उत्तर प्रदेश में मण्डी के कानून को पास किया। १९६५-६६ और १९६६-६७ तक उत्तर प्रदेश में १४५ मण्डियों में उस कानून का निफाज हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो सका? किसके हित में वह रुका रहा? क्या काश्तकारों की रक्षा की गयी अथवा उस मिडिल मैन की रक्षा की गयी जो जमींदार की तरह काश्तकार का शोषण आज भी कर रहा है। ये सारी बातें इस बात को जाहिर करती हैं कि काश्तकार के हितों की उपेक्षा होती रही है। मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे, वह स्वयं एक कृषक हैं और कृषकों की कठिनाइयों का उन्हें अनुभव है और उन्होंने पिछले बीस साल में बहैसियत मेम्बर असेम्बली के यह तजुरबा भी किया है कि काश्तकार की क्या कठिनाइयां हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृषि के लिए जहां पानी की सबसे बड़ी आवश्यकता है, अगर मुझे मौका दिया गया आबपाशी की मद पर बोलने का तो विस्तार के साथ कहूंगा, लेकिन यहां यह जरूर बता देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ३१ मार्च, १९६६ तक, जैसा कि बजट स्पीच से भी जाहिर है, १५, १६ हजार ट्यूबवेल्स को एनर्जाइज किया गया। मेरे पास ३१ मार्च, १९६६ तक के देश भर के आंकड़े हैं। ५ लाख १० हजार से कुछ ऊपर देश भर में पम्पिंग सेट्स और ट्यूबवेल्स का एनर्जाइजेशन हुआ, जिसमें आप देखें कि २ लाख ५६ हजार ९८ से अधिक अकेले मद्रास स्टेट में इनर्जाइजेशन ट्यूबवेल्स का हुआ है। और हमारे यहां १६ हजार ९५८ ट्यबवेल्स का इनर्जाइजेशन हुआ है तथा पम्पिंग सेट्स वगैरह लगे हैं जो देश का केवल ३.३ प्रतिशत हुआ है जब कि मद्रास में ५०.२ प्रतिशत हुआ है। इसलिये कितनी आवश्यकता है कि हमारे यहां ट्यूबवेल्स और पम्पिंग सेट्स वगैरह बढ़ाये जाने की ओर मैं सदन और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अच्छे बीज की तरफ भी मैं सदन और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कृषि विभाग के ए० डी० ओ० और एग्रीकल्चर अधिकारी कोआपरटिव बीज भंडार क बीज को

[श्री बीरेन्द्र वर्मा]

सर्टीफाई करते हैं। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट २५ लाख मन बीज बांटता है। मंत्री जी सहकारिता मंत्री जी से बात करें कि वह बीज नहीं बांटा जाता है बल्कि अनाज बांटा जाता है। अगर बीज नहीं बांटा जाता है तो आप प्रदेश की सेवा नहीं कर रहे हैं बल्कि कुसेवा कर रहे हैं। जो बीज कोआपरेटिव सीड स्टोर से बांटा जाता है उसमें से मुश्किल से १० प्रतिशत 'ए' क्लास का होता है और ७० प्रतिशत 'सी' क्लास का बीज होता है। इस तरह से कितना ही प्रयत्न क्यों न किया जाय लेकिन खेती की पैदावर नहीं बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स की ओपीनियन है कि अगर किसान को 'ए' क्लास बीज दिया जाय तो १५ प्रतिशत तक खेती की पैदावार बढ़ सकती है।

इसके अलावा सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स के बढ़ाने का आपका इरादा है। जहां आपके यह फार्म्स मौजूद हैं उनका बीज जाना चाहिये। मुझे अक्सर इन फार्म्स के देखने का अवसर मिला है। मैं देखता हूं कि आपके यहां इन फार्म्स में उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती जितनी कि एक प्राइवेट किसान कर लेता है। इसके कोई भी कारण हों। गवर्नमेंट के जो फार्म्स हैं उनके खर्चे और आमदनी की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। लगभग १५-२० साल से लगातार माननीय सदस्य चर्चा करते हैं कि आपके इन फार्म्स पर सिंचाई, ट्रैक्टर, खाद, कीटाणुनाशक दवाइयां, विशेषज्ञों वगैरह सभी बातों के उपलब्ध होने पर भी इनसे उतनी पैदावार नहीं हो पाती जितनी कि एक अच्छा किसान पैदा कर लेता है तो यह विचार करने का सवाल है। मैं आशा करता हूं कि इधर ध्यान जायेगा। (लाल बत्ती होने पर) उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप यह समझें कि मैं माकूल बातें कह रहा हूं तो मुझे कुछ समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कितना समय लेंगे ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा---

मैं सात मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

इतना तो सम्भव नहीं है, आप ४ मिनट ले लें।

श्री बीरेन्द्र वर्मा---

मुझे ५ मिनट दे दीजिये। आज काश्तकारों के अधिकार सुरक्षित होने चाहिये। हर आदमी अपना पेशा कर सकता है लेकिन गन्ना उत्पादक यदि अपना गन्ना पावर के खड़े कोल्हू से क्रश करना चाहे तो नहीं कर सकता है। यह उसका मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुसार उसको मिलना चाहिये। ट्रैक्टर ट्रौली पर पंजाब में वह टैक्स नहीं है जो यहां लगा रखा है। जैसा पंजाब में है वैसा ही यहां भी करें। अगर आपने उसी तरह से किसानों की रक्षा की जैसे पंजाब में है तो यकीनी तौर पर प्रदेश में कृषि का उत्पादन बढ़ेगा।

कृषि जन्य वस्तुओं को काश्तकार मंडियों में बेचने के लिये लाता है और आप भी इसे स्वीकार करेंगे कि अगर काश्तकार अपने खेतों का माल जो वह पैदा करता है बेचने के लिये मंडियों में नहीं लावे तो ये मंडियां और शहर भी ठप हो जायेंगे। तमाम मंडियां खेती की पैदावार से पर मुनहसिर करती हैं। उन मंडियों की भलाई के लिये यदि किसान अपना माल बेचने के लिये वहां पैदावार लाता है और उसके ऊपर अगर नगरपालिकायें ड्यूटीज लगाती हैं तो यह मंत्री जी के सोचने की जरूरत है। जिस प्रकार पंजाब सरकार ने काश्तकारों की पैदावार व जिंसों के लिये मंडियों में आवट्राय से सहूलियतें दी हैं उसी प्रकार का ध्यान यहां भी रक्खा जाना चाहिये।

लैंड डेवलपमेंट बैंक के जरिये काश्तकारों को कर्जा दिया जाता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक का फार्म इतना बड़ा पौधा है जिसे भरना आसान नहीं है। काश्तकार को कर्जा मिलने में शायद

६ महीने या साल भर लग जाता है। हमारे माननीय सहकारिता मंत्री भी इसको स्वीकार करते हैं कि इसमें काश्तकार को दिक्कतें होती हैं। पहले सब गन्ना सोसाइटीज के कृषि किसानों को कर्जा मिलता था तो गन्ना सोसाइटीज की मार्फत उसकी वापसी करते हुये भी सहूलियत हो जाती थी। इस संबंध में मुझे मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि का कुछ तजुर्बा है। सरकार को इस पर भी सोचना चाहिये कि यह कर्जा मेरठ व मुजफ्फरनगर जिलों में सोसाइटीज के माध्यम से पूर्व की भांति, दिया जाता है, कहां तक संभव हो सकता है, या नहीं हो सकत है।

ऊसर रिक्लेमेशन के संबंध में भी कुछ चर्चा करनी है। कई वर्षों से उसके लिये योजना चल रही है। ऊसर रिक्लेमेशन योजना के जरिये बंथरा में एक फार्म पर काम चल रहा है। इसके अलावा और जगह भी इस योजना के अन्तर्गत काम चला करता है लेकिन इस संबंध में जितनी प्रगति होनी चाहिये उतनी प्रगति नहीं हो सकी है। हमें सोचना चाहिये कि प्रति वर्ष हमारे देश और प्रदेश की आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन खेती की जमीन प्रतिवर्ष घटती जा रही है। इसलिये रिक्लेमेशन व स्वायल कंजर्वेशन के जरिये इस तरफ और अधिक तवज्जह दिये जाने की जरूरत है। अगर ऊसर रिक्लेमेशन पर और तवज्जह दी जाय तो जो नयी जमीन निकलेगी उस जमीन के जरिये हम काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को सुधार सकेंगे, पैदावार को बढ़ा सकेंगे।

अब मैं गन्ने की कीमत और चीनी की पैदावार के संबंध में भी जरा सा जिक्र कर दूं। जब कि इस साल हमारे प्रदेश में चीनी की पैदावार करीब ७ लाख टन हुई है जो पिछले साल १३ लाख टन से कुछ अधिक ही रही इसका कारण यह है कि हमारी सरकार ने गन्ने की कीमत अनरिम्यूनरेटिव रूप में तय की है जो अलाभकर थी। मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगले साल के लिये गन्ने की कीमत के लिये सवा ३ रुपये मन करने की केन्द्र को सिफारिश की है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं खांडसारी, गुड़ की तथा और चीजों की जो आज कीमतें हैं उनको ध्यान में रखते हुये गन्ने का न्यूनतम मूल्य १० रु० क्विंटल से कम नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो अगले सीजन में भी चीनी का उतना ही शार्टेज होगा जितना कि गत सीजन में। पिछले साल १५ प्रतिशत रकबा गन्ने का घटा था और इस साल १०-१५ प्रतिशत रकबा और घट गया है। काश्तकारों को अगर आपने रिम्यूनरेटिव प्राइस (लाभप्रद मूल्य) नहीं दिया तो, गन्ने की खेती का रकबा और घटेगा और चीनी का उत्पादन भी घटेगा और देश का काम नहीं चल सकेगा।

श्री जी० एस० चौधरी (जिला मेरठ)--

माननीय सदस्य ने जो गन्ने की कीमत के लिये १० रु० क्विंटल की बात कही, क्या सरकार यही कीमत रखने जा रही है और चीजों के भाव को देखते हुये, इस संबंध में भी वे बतला दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं आखिर में एक बात कह कर बैठ जाऊंगा। और वह यह है कि कृषि मंत्री जी इस बात का भी ध्यान रखें कि खेती की पैदावार में काम आने वाले जितने साधन है, किसान को अपनी आवश्यकता के लिये जिन चीजों को खरीदने की जरूरत पड़ती है, उनके और उसकी पैदावार की कीमतों में एक पैरिटी यानी समानता होनी चाहिये। अगर इस तरीके को आप अपनायेंगे तो प्रदेश के ७५ प्रतिशत उन लोगों का जो गांवों में रहते हैं और खेती करते हैं, उनका आर्थिक विकास संभव हो सकेगा, और इस प्रदेश का आर्थिक विकास होगा तथा इंडस्ट्रीज की भी तरक्की होगी। इस प्रदेश की पर कैपिटा इनकम (प्रति व्यक्ति आय) में व उत्पादन में जो प्रति एकड़ बहुत ही कम है उसमें इजाफा होगा, तो यह प्रदेश भी तरक्की करेगा।

(श्री करन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि हम भी किसान हैं और नये भी हैं इसलिये कम से कम हमें तो टाइम दिया हो जाय। आप तो अपने पुराने मित्रों को ही टाइम दिये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। आपको यह कहना शोभा नहीं देता कि मैं अपने मित्रों को टाइम दे रहा हूं। मैंने जिनको बुलाया है, माननीय करन सिंह, वह पहली बार इस हाउस में आये हैं।

श्री करनसिंह (जिला खीरी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में माननीय कृषि मंत्री ने एक निश्चित घोषणा की है कि अगले दो वर्षों में वह इस प्रदेश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर कर देंगे। इस घोषणा का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको स्वागत करना चाहिये और उसके लिये जो भी उपाय हों अन्न पैदा करने के उसके अनुरूप आचरण करना चाहिये। ज्यादा अच्छा होता कि यह घोषणा करते समय कृषि मंत्री जी ने जो दो और शब्द कहे हैं वह न कहे होते। उन्होंने दबी जबान में कहा कि पिछले बीस वर्षों में जो नहीं कर सके चाहे किन्हीं कारणों से नहीं कर सके वह दो वर्षों में हम करके दिखा देंगे। किसी दल विशेष का नाम शायद इसलिये नहीं ले सके क्योंकि उनको भी जिम्मेदारी थी और नाम लेने में लज्जा थी। खैर, कागजात उठा कर कोई इस पार से उस पार चला जाय या उस पार से इस पार चला आये उससे जमीन की पैदावार में कोई अन्तर नहीं आता। जमीन की पैदावार तभी बढ़ सकती है जब जमीन में काम करने वाले खून और पसीना एक कर दें। हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि आज भुखमरी जितनी बढ़ चुकी है इस सीजन के बाद उससे ज्यादा न बढ़ने पाये। इसके लिये किसान को आप क्या सहुलियतें दे रहे हैं, अभी तक जो सहूलियतें थीं उनमें आप क्या बढ़ोत्तरी कर सकते हैं, आप की इस घोषणा की कसौटी इसी बात पर होगी। किसान को दो चीजें चाहिये। पानी और पांस। पांस की कीमत आपने तीस फीसदी बढ़ा दी और पानी के साधन आपने कम कर दिये। कृषि मंत्री जी गर्दन हिला रहे हैं कि नहीं। खीरी जिले की तहसील निघासन में १० और उससे मिली हुई पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में कालोनाइजेशन एरिया में ५ ट्यूबवेल, आपकी सरकार ने इन १५ ट्यूबवेल्स को उखाड़ने का आदेश दे दिया है। (व्यवधान) हां, यह सरकारी ट्यूबवेल्स हैं। यह आपके यहां का क्यों आदेश हुआ जब कि किसान बराबर मांग करता रहा है कि इन ट्यूबवेलों की नालियां खराब हैं, लेविल खराब हैं, खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिये उनकी दुरुस्ती की जाय। चाहे किसी रिपोर्ट के ऊपर कैसे भी आर्डर आपने दिये हों, बिलकुल गलत हैं। तो सिंचाई के साधन आपने कम किये। पिछली सरकार यह करती थी कि अगर कोई किसान अपने खेत में ट्यूबवेल लगाये तो आधा मील तक बिजली की लाइन फ्री देती थी। आपने आदेश दिया है कि दस हजार फी मील तक बिजली की लाइन लगाने के चार्जेज किसान को जमा करने होंगे। दो फर्लांग तक तो छट दी जायगी, बाकी रुपया किसान आपको लोन दें। किसान साल ब साल जो बिजली खर्च करेगा उस खर्चे का उस लोन में ऐडजस्टमेंट होगा और आप तीन फीसदी किसान को सूद देंगे। इसके अलावा एक ट्रान्सफार्मर का चार हजार वह अलग से लोन दे।

इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई किसान ट्यूबवेल लगाये और आपसे बिजली ले तो वह ट्यूबवेल लगाने का पैसा लैण्ड-मार्गेज बैंक से उधार ले और आपके बिजली और ट्रांसफार्मर के लिये बिजली डिपार्टमेंट को १ मील पर १४ हजार और आधा मील पर ८ हजार रुपया कर्ज दे जिसे सरकार १५ साल में ऐडजस्ट कर पावेगी और उस पर आप ३ परसेन्ट का ब्याज देंगे जबकि आप साधारणतया सवा ८ परसेन्ट का अपने लोन पर दूसरों से सूद लेते हैं। इस प्रकार आपने पानी की सुविधा कम कर दी और खाद की कीमत बढ़ा दी।

एक सदस्य--

खाद की कीमत तो केन्द्रीय सरकार ने बढ़ा दी है।

श्री करन सिंह--

मैं जो बात कर रहा हूं वह एक विधायक की हैसियत के अतिरिक्त एक किसान की हैसियत से भी कर रहा हूं। इसलिये आप मेरी बात पर किसान के पक्ष की दृष्टि से सोचें, इधर या उधर का सदस्य होने की दृष्टि से न सोचें। अब तक आपके पास कुछ ऐसी भी स्कीम नहीं है कि आपको कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है और वह आप कितने एकड़ में क्या चीज बुवा कर पूराकरें, जिससे इस का पता चल सकें। इसका परिणाम यह है कि कृषि के अन्तर्गत मत्स्य विभाग है, गन्ना विभाग है, जूट विभाग है और इन सबके कार्यक्रम में किसी किस्म का कोई तालमेल नहीं है। यदि एक जगह पर यह तमाम विभाग हैं तो मत्स्यवाला कहता है ताल खोदकर मछली पैदा करो, गन्ना विभाग वाला कहता है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन में गन्ना बोवो आदि आदि। यानी सभी अलग-अलग अपनी बात करते हैं, किसी में कोई समन्वय का नाम नहीं ।

आपके पास कोई ऐसा भी सर्वेक्षण नहीं है कि प्रदेश के किस हिस्से में कौन सी चीज अच्छी बोई जा सकती है और अधिकाधिक पैदा की जा सकती है। यह प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु मिट्टी तथा वातावरण है। प्रदेश के हर हिस्से में अलग-अलग प्रकार की चीजें अच्छी तरह से पैदा की जा सकती हैं। उदाहरण के लिये प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गेहूं ज्यादा पैदा होता है और वहां के लोग भी गेहूं खाने की आदी हैं किन्तु हमारे जिला लखीमपुर, पीलीभीत आदि की तरफ यानी तराई के प्रदेश में लोग मक्का ज्यादा पैदा करते हैं और खाते भी हैं। लेकिन आप पूरे प्रदेश के लिये एक सी स्कीम बनाते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप पूरे प्रदेश का सर्वे करायें कि कहां पर कौन चीज आसानीसे ज्यादा पैदा हो सकती है। वहां की जलवायु के अनुसार और फिर उसी के अनुसार आप उसी चीज पर वहां पर जोर दें। आप अपने साधनों को सब जगह समान रूप से बिखेरते न घूमें।

खेती की कुछ समस्याओं के बाद अब कुछ अन्य समस्याओं पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने पीलीभीत उपनिवेशन योजना का जिक्र किया है पीलीभीत उपनिवेश योजना का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर आज भी संपूर्णानन्द नगर में है, और जो ट्यूबवेल्स उखाड़े जा रहे हैं वे अधिकतर संपूर्णानन्दनगर में हैं। वहां जमीन की मिलकियत राज्य सरकार की है। जिसे यहां के किसान सरकार से ऋण ले कर या दूसरी सुविधायें लेकर अपनी धरती पर ट्यूबवेल नहीं लगा सकता, सिंचाई के साधन भी नहीं बढ़ा सकता इसलिये उनकी हमेशा से मांग रही है या तो उनको भूमि की मिलकियत दे दी जाय जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हों या राज्य सरकार किसी प्रकार उनके यहां सिंचाई के साधनों का विस्तार करे। जब वहां पर धरती बांटी गयी तो बिला इस खयाल के कि कौन जमीन कृषि काबिल है और कौन नहीं है. जमीन बंट गयी और बाद को कहा गया कि खराब जमीन का प्लाट बदल जायेगा लेकिन वह बात कागज पर है, कहीं पर फाइल चल रही है लेकिन प्लाट आजतक नहीं बदला गया। जब जमीन वहां पर उपलब्ध है फिर भी वहां के मूल निवासी न भले ही भूमिहीन हों उस उपनिवेश योजना के वरदान से वंचित रहे हैं और यही हालत दोहराई जा रही है पीलीभीत इलाकें में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पीलीभीत योजना में स्थानीय आदमियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और यह भी निवेदन कर दूं कि जो ३० हजार एकड़ से ज्यादा जमीन निघासन तहसील में सीलिंग में निकली है उसका बहुत शीघ्र बटवारा हो जाना चाहिये और उस पर कब्जा दिलाया जाना चाहिये। इसके साथ ही जमींदारी उन्मूलन के बाद एक लाख एकड़ से अधिक धरती वन में निहित कर दी गयी। आजतक उसकी हदबन्दी नहीं हुई। एक ही जमीन गांव समाज के कागज में गांव समाज की है और वही जंगलात के खाते में जंगल विभाग की है। और कोई नहीं जानता कि उसकी खेती कब जंगल विभाग को चली जायेगी और वह जमीन से वंचित हो जायगा। इन प्राब्लम्स को शीघ्र हल करना चाहिये।

[श्री करन सिंह]

इसके अतिरिक्त पालिया से पश्चिम उत्तरी खीरी वनखंड से मिला हुआ एक पशु केन्द्र विहार खोला गया है। हमें कोई एतराज नही है लेकिन खेत से मिलाकर खोलने से जंगली जानवर शेर, चीते भालू आदि को तो छोड़ दीजिये जंगली भैंसे और पचास पचास जंगली भैंसों का झुंड खेतों में घुस जाते हैं और फसल को चर जाते हैं। उस पशु विहार केन्द्र को अगर जंगल के भीतर खोला जाता या खेत की रक्षा के लिये फेंसिंग कर दी जाती तो नुकसान न होता। अब आर्द्रा की पहली बर्षा हो गयी। तेरह कातिक तीन आसाढ़ के दिन शुरू हो गये। और अगले १५ दिनों के अन्दर किसान जो प्रयत्न अपने खेतों में करेगा वही प्रयत्न बतायेगा कि बरसात के बाद हमारे प्रदेश में भुखमरी बढ़ेगी या खत्म हो जायगी। लेकिन आज जिस तरह से लेवी वसूल की जा रही है वह निन्दनीय है। हमारे यहां गांवों में जिस तरह से जिम्मेदार आदमियों के घरों में तलाशियां ली जाती हैं और उनपर डंडे चलाये जाते हैं, उनको मां बहिन की गालियां दी जाती हैं, ऐसे लोग जो गांव सभा के प्रधान है, गांव पंचायत के सरपंच हैं जिनके यहां तलाशी आयी उन्होंने कहा कि हमारे यहां गेहूं नहीं पैदा होता तुम मक्का लेना चाहो तो ले लो उनके साथ यह व्यवहार किया गया है। एक जगह से ४० किलोग्राम जौ निकला उसको पुराना होने के कारण रिजेक्ट करके वापस कर दिया गया। जिम्मेदार आदमी अपनी लाज बचाने के लिये दर दर मारे मारे और भागे भागे फिर रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन के बाद से आज पहली बार खीरी जिले में किसान डंडे खा रहा है, मां बहिनों की गालियां सुन रहा है और बरदाश्त करता जा रहा है। अगर आप चाहते है कि किसानों को राहत मिले और वह अधिक अन्न पैदा करे तो यह सब बन्द होना चाहिये।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि पर चर्चा चल रही है। कृषि और सिंचाई ये दोनों एक ही हैं। सिंचाई के साधन का दरअसल में इसी से संपर्क है। आज देश में कृषि की पैदावारकी जो कमी हुई है उसका मुख्य कारण सिंचाई के पूरे साधन न होना ही है। हमारे प्रदेश की आबादी कुल ८ करोड़ है। इतने बड़े प्रदेश के अन्दर भी अन्न की कमी है तो उसका कारण यही है कि हम अपने यहां सिंचाई के पूरे साधन जुटा नहीं पाये। पुराने समय में जो खेती होती थी उसके लिये पुराने साधन थे और पूर्ण रूप से नहीं थे लेकिन वेपूरे साधन सिंचाई के लिये सरकार जुटा नहीं सकी। इसी कारण यह पैदावार की कमी हमारे सामने आई। आज हमारे प्रदेश में पंपिंग सेट से ३० एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से सिंचाई बताई। प्राइवेट ट्यूबवेल के द्वारा २० एकड़ पर होती है। २७ लाख एकड़ के अन्दर ऊसर और बंजर है और एक करोड़ खाते हैं। यह हमारे मंत्री जी ने बताया। पिछले साल १० हजार एकड़ का लक्ष्य था और ७ हजार उन्होंने बढ़ा दिया। इस साल आपने बताया कि १७ हजार एकड़ पर अधिक उपजाया जायगा। दरअसल खेती और पानी का संबंध ठीक न होने के कारण आज अन्न की पैदावार बढ़ नहीं रही है। ट्यूबवेल का निर्माण किया गया। नहरों का निर्माण किया गया लेकिन दोनों में आपस की टक्कर होने के कारण आज खेतों को पानी नहीं मिल रहा है। निर्माण विभाग में भी इंजीनियर काम करते हैं और सिंचाई विभाग में भी ओवरसियर और इंजीनियर काम करते हैं। यह दोनों अलग अलग होते तो हमारा कुछ अधिक लाभ होता और नलकूपों पर जो इतना घाटा हो रहा है वह घाटा न होता क्योंकि आज हम देखते हैं कि नलकूप सब घाटे पर चल रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही था कि इंजीनियरों के अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। जो नलकूप पहले १३ हजार रुपये में लग सकता था आज वह नलकूप १ लाख रुपये में लग रहा है।

जहां तक आपरेटरों का सवाल है मैं आपसे निवेदन करूं कि आपरेटर और यह सिंचाई विभाग और निर्माण विभाग को काम जो दिये गये हैं अगर उनका कार्य अलग-अलग होता तो शायद प्रदेश की आमदनी बढ़ती और नलकूप विभाग की आमनी भी बढ़ती। नलकूप यदि अधिक दिनों तक बन्द रहता है तो आपरेटर उन लोगों के असर में रहने के कारण ऊपर रिपोर्ट नहीं करता है। वह इस बात के लिये मजबूर हो जाता है कि रिपोर्ट न करे। इस वजह से नलकूप नहीं चलते हैं तो सिंचाई नहीं होती। नलकूप योजना जब चलाई गई तो १५०० एकड़ रखा गया। फिर

उसको ८०० एकड़ किया गया और उसके बाद ७०० एकड़ लेकिन अब हमारी सरकार ३०० एकड़ पर इन नलकूपों को लगाने का जा रही है। पुराने जमाने में सिंचाई के पूरे साधन नहीं थे जिससे अन्न की पैदा कम होती थी। पंपिंग सेट्स की समस्या भी इस समय बड़ी जटिल होती जा रही है। जो किसान आज पंपिंग सेट्स के लिये कर्ज लेता है उसको बिजली नहीं मिल रही है और उस कारण वह लाचार है। वह जानता है कि जितना पैसा उसे अर्ज में मिला है उस में वह पंपिंग सेट नहीं लगवा पायेगा। इसके अलावा उसका खाता छोटा होने के कारण भी उसे पंपिंग सेट का रुपया नहीं मिल पाता। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस की उचित व्यवस्था करे और इसके अलावा जहां वह अपने नलकूप लगाने जा रही है वहां नलकूप लगाने के पहले उस एरिया का सर्वेक्षण अवश्य करा लिया करे। अभी तक ३०० से १५०० सौ एकड़ तक के एरिया में इंजीनियर अपनी इच्छा से जहां चाहते थे नलकूप लगा दिया करते थे, इस कारण बहुत से बीच के किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पाता था। इस की उचित व्यवस्था करने के लिये सर्वे पहले हो जाना चाहिये। इस के अतिरिक्त सरकार ६०० रुपया प्रति वर्ष नलकूप की नालियों की मरम्मत आदि के लिये दिया करती है। यह रुपया ज्यादातर ओवरसियर और इंजीनियर्स की जेब में ही चला जाता है, मरम्मत पर खर्च नहीं होता। मैंने सुझाव दिया है कि आप को इसके लिये एक गैंग कायम करना चाहिये जिसमें एक मिस्त्री हो तथा एक मेट हो और आठ खलासी हों। वे नालियों और नहरों की मरम्मत जो जानवरों आदि के कारण टूट जाती हैं, करते रहा करें और उनको देखते रहें। इस प्रकार की व्यवस्था के बाद ही इस रुपये का कायदे से इस्तेमाल हो सकता है।

दूसरी तरफ किसान चाहता है कि उसको पानी मिले। अगर इस प्रदेश में किसान को पानी मिला होता तो आज खाद्य की समस्या इतनी गंभीर न होती। इस देश में अशोक के जमाने में एक रुपये का ५ बोरा गल्ला मिलता था, हर्ष के जमाने में भी एक रुपये का ५ बोरा गल्ला मिलता रहा, मुगलों के जमाने में एक रुपये का दो बोरा गल्ला बिका और अंग्रेजों के जमाने में एक रुपये का एक बोरा गल्ला मिला, लेकिन आज जब हमारा देश आजाद हो गया है, हम को एक रुपये का एक पुड़िया गल्ला मिल रहा है। इस का कारण है देश में साधनों का अभाव। इस समय इन्सान भूखों मर रहा है। चारों तरफ अकाल बढ़ता चला जा रहा है। मैं बतलाऊं कि बहुत बड़ा ढोंग रचा गया कि बाढ़ आ रही है, सूखा आ रहा है। मौसम विभाग को सब बात का पहले से पता था, वे जानते थे, लेकिन सरकार ने उसके बावजूद भी उस का कोई इन्तजाम नहीं किया और इस का नतीजा यह है कि आज देश की जनता भूखों पर रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त हो गया।

श्री प्यारे लाल (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों ही पक्ष पूज्य बापू जी में श्रद्धा रखते हैं। साथ ही साथ खेती की पैदावार जो घट रही है उसका मुख्य कारण यह है कि हमारा झुकाव पूंजीपति व्यवस्था की तरफ है जिसकी अनेक बीमारी हैं। जैसेकि किसी प्यासे के लिये पानी न दें और उसे स्नान करा दें तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जब तक यह बीमारी है तब तक खेती के लिये सुविधायें और बीज कितने ही उपलब्ध कर दें, कोई नतीजा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अभी दोनों तरफ से एक बात आयी है और अखबारों में भी पढ़ा है कि लोहिया और तमाम लोग जोर दे रहे हैं कि लगान माफ कर दिया जाय, लेकिन क्या किसी किसान की तरफ से या किसी प्रतिनिधि की तरफ से इस तरह की मांग आयी है कि लगान माफ कर दिया जाय। उसका परिणाम देखिये। किसान स्वयं जानता है कि यह मेरा देश है,

[श्री प्यारे लाल]

मेरा प्रदेश है और उसे मुहब्बत है और उसका एक प्रमाण है कि गेहूं का भाव ५० का है और ३२ के भाव में दे रहा है—उसे प्रदेश से मुहब्बत है बहुत ज्यादा। इसलिये लगान माफ न करें। पहले ऊसर जमीन को सुधारें, पानी निकालने की व्यवस्था करें, बिजली पहुचायें। आप हमारे बालकों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करें। यदि आप लगान माफ कर देंगे तो अब यह देश गरीब है तो या तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा, भिखारी बनोगे या उन पूंजीपतियों के साधनों पर टैक्स लगाओगे जिनके कारण हमारे देहातों का शोषण हो रहा है या उनके मोहताज बनोगे। गांधी जी ने एक बात कही कि मैं पहले यह चाहता हूं कि मेरे देश में शराब बन्दी हो लेकिन पैसे के मोह में आज गांधी जी के चेले शराब बन्दी न कर सके और शराबियों के मोहताज बनते जा रहे हैं। वही परिणाम निकलेगा कि हम मालदारों के मोहताज बनेंगे। आप गम्भीरता से सोचें। आपने गांधी जी के कार्य की जिम्मेदारी ली है। आज दुनियां हिन्दुस्तान की तरफ देख रही है। रूस अपनी व्यवस्था कायम करना चाहता है, अमरीका अपनी व्यवस्था। गांधी जी ने कहा कि दोनों ही मार्ग गलत हैं। हम एक ऐसा मार्ग रखेंगे, वह समाजवाद, जिसमें व्यक्ति अपने धंधे में स्वतंत्र हो, एक व्यक्ति दूसरे का शोषण न करे। यही तो है समाजवाद या कोई दूसरा है? लेकिन कुर्सी के मोह में कि कोई पार्टी हममें से न निकल जाय, या व्यक्ति न निकल जाय वही काम कर रहे हैं जो कभी कि कांग्रेस में थी। कानपुर के गुलाम न बने, मेरठ के बनेंगे, या में फर्क क्या पड़ा हम पर?

तो मेरी अपनी राय यही है, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। हम पर दुनिया की जिम्मेदारी है। जब एटम बम, हाइड्रोजन बम की स्थापना हो रही है तो पहले हम क्या करें? पहला प्रश्न रोटी का है। लेकिन मैं कहता हूं कि रोटी से पहले आप रोजगार दें, रोटी की बाद में सोचें। रोजगार देना आपका पहला कर्त्तव्य है।

यहां दोनों तरफ के विधायक हैं। सिवाय एक रावत जी ने एक बात कही कि अन्न की तेजी न रोकी जाय। हम दोनों पक्षों में यह हिम्मत नहीं है कि यह कहें कि तेजी है कहां वास्तव में। ३० वर्ष पहले की बात है, मेरे पिता जी ने एक बैल खरीदा ५० रुपये में, जबकि गेहूं का भाव १६ सेर का था। तो उस वक्त २० मन गेहूं गये। और अब बैल ३० मन गेहूं में नहीं मिलेगा। तो गेहूं तेज कहां है? पहले दो आने में हल की फाल आती थी, लेकिन अब डाई रुपये में आती है। आज मैं एम० एल० ए० बन कर आया हूं, मुझे साढ़े चार सौ का औसत पड़ता है, मेरा भाई जो इतने साल पढ़ कर बी० ए०, एम० ए० पास करता है उसको अगर खेती करनी पड़े तो सौ रुपया भी नहीं पड़ता। किसी भी पढ़े लिखे को, जब उसको सम्मान नहीं मिलेगा, उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना कि हमें, आपको और धन्धों में मिलता है, तो वह पढ़ा लिखा खेती की तरफ जायेगा क्यों? आज जब विदेशी लोग चन्द्रमा में जाने लगे हैं, हमारे यहां किसान वही पुराने हल की तरफ देखता है। इस बात पर आपको सबको सोचना है। आज जब एक क्लास में पूंजीपति का, बड़े आदमी का लड़का पढ़ता है, वह ठाटबाट से जाता है, एक गरीब किसान का बच्चा जाता है वह मामूली तरह से रहता है। वह जब उस अमीर के बच्चे को ठाट बाट से रहता देखता है तो उसका मन भी वैसा ही बनने को करता है। तो उसका मन खेती की तरफ जाता ही नहीं। एक कहावत है कि खेती का काम वैश्यों का है। वैश्य कौन है, वैश्य बनिया, और बनिया कौन है, बनिया वह है जो आगे की सोचे। आगे की कौन सोचता है—वैज्ञानिक। इसलिये हमारी खेती वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिये। किसान आज भी वही पुराने हल से काम करता है। तो पैदावार कैसे बढ़ेगी। यहां तो बैठ कर पदों की लड़ाई होती है, किसान का नाम यूंही ले लिया जाता है क्योंकि किसान से वोट मांगना है। जब किसान के पास जाते हैं तो सेवक बन जाते हैं, यहां आ जाते हैं तो मालिक बन जाते हैं। तो मेरी आप से प्रार्थना है कि आप अपने पदों के लालच को छोड़ कर, एक जगह बैठ कर इस पर सोचिये।

श्री महीलाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय फूल सिंह जी ने जो भी मौलिक प्रश्न उठाये उनसे कोई मेरा मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना ऐसी होनी चाहिये जिससे किसान स्वावलम्बी हो सके, मतभेद का प्रश्न नहीं उठता, ठीक है। माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने कहा कि किसान को ऊंचा स्थान मिलना चाहिये, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। लेकिन उन सभी मूलभूत प्रश्नों को पूरा करने में कुछ दिक्कतों का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उदाहरण के लिये उन्होंने कहा कि किसान को खेती के लिये जितना पानी चाहिये उसकी व्यवस्था का इस बजट में अभाव है। मेरी समझ में उन्होंने प्रमाण दिया कि वित्त मंत्री जी ने १५ हजार नलकूपों की बात कही और माननीय कृषि मंत्री जी ने १० हजार नलकूपों की बात कही। मेरे वे बुजुर्ग हैं ठाकुर फूलसिंह जी। उनसे समय समय पर मार्ग प्रदर्शन लिया है। उन्होंने मार्ग प्रदर्शन किया भी है। यदि मैं कोई कटु शब्द कहूंगा तो धृष्टता करूंगा। किन्तु मैं केवल उनकी जानकारी के लिये इतना कहना आवश्यक समझता हूं कि वित्त मंत्री जी ने १५ हजार नलकूपों का जिक्र किया वह सब राजकीय नलकूपों के निर्माण की बात विभिन्न साधनों के द्वारा नहीं कही है और माननीय कृषि मंत्री जी ने दस हजार नलकूपों को बिजली देने की बात कही है। दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसलिये इस प्रश्न को इस बात से जोड़ना कि यह किसानों की प्रगति में रुकावट है या किसानों की प्रगति के लिये बजट में व्यवस्था नहीं है। यह उन्होंने इस शासन के साथ अन्याय किया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या पन्द्रह हजार नलकूप लगाने की योजना है.....

श्री महीलाल—

कृपया बजट भाषण पढ़ने की कृपा करें। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं।

माननीय, खाद के मूल्यों की वृद्धि की बात कही गई। हम सभी माननीय सदस्य इस बात से भली प्रकार परिचित हैं और इस बारे में कई बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है कि इस शासन का खादों की मूल्य वृद्धि में कोई दोष नहीं है। यह विषय केन्द्रीय शासन का है। केन्द्रीय शासन जो अनुदान रासायनिक खादों पर देता था वह भी बन्द कर दिया जिसके कारण रासायनिक खादों के मूल्यों में वृद्धि हुई। एक शिकायत चीनी के मूल्य बढ़ने की थी। माननीय, हम सभी भली प्रकार जानते हैं कि चीनी के मूल्य पर इस शासन का कोई अधिकार नहीं है। वह केन्द्रीय सरकार का विषय है और चीनी जिस गन्ने से पैदा होती है उस गन्ने के मूल्य का निर्धारण भी केन्द्रीय सरकार का ही विषय है या उसी की अधिकार सीमा में है। इसलिये इस शासन से गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में, चीनी के बढ़ते हुए मूल्य के सम्बन्ध में और चीनी का मूल्य ऐसे समय पर बढ़ने के सम्बन्ध में जिसका लाभ केवल कारखानेदारों को जाय, चीनी के उत्पादकों को जाय और किसानों को कोई लाभ न मिल सके, अच्छा होता यदि वे अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस बात को कहते।

माननीय, दूसरा प्रश्न शहर और देहात का उठाया विशेष रूप से माननीय राम नरेश शुक्ल ने। वे इस समय यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसान के बेटे ने बजट प्रस्तुत किया था और हम यह आशा करते थे कि चूंकि किसान के लड़के के हाथ से बजट प्रस्तुत हुआ है इसमें किसानों के लिये ही खास-खास व्यवस्थायें होंगी। इसमें तो कोई अलग ही नहीं। केवल वित्त मंत्री जी ही नहीं बल्कि अधिकतर इस शासन के मंत्रिमंडल के सदस्य किसान हैं और किसानों के पुत्र हैं लेकिन शासन में आने के बाद यह आशा करना मंत्रियों से कि वे केवल किसान की ही बात सोचेंगे यह थोड़ी सी ज्यादती

[श्री महीलाल]

होगी समाज के दूसरे लोगों के साथ। शासन में आने के बाद चाहे वह किसान परिवार का सदस्य हो चाहे व्यापारी परिवार का सदस्य हो, चाहे मजदूर वर्ग का सदस्य हो, पूरे प्रदेश और पूरे समाज का उत्तरदायित्व उसके कन्धों पर आता है। इसलिये जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह पूरे समाज की आवश्यकताओं और समाज की मांगों को जो हमारे सामने हैं, अकाल की स्थिति और अन्न के अभाव की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। आज जो अधिक से अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं वे अधिकांश मामा में किसानों की उन्नति और कृषि की उन्नति के लिये काम में लाये जाते हैं। जैसे सिंचाई, विद्युत तथा दूसरी ऐसी चीजें जिनसे कृषि की उन्नति होती है, उन सब में वृद्धि की गयी है।

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मेरे मित्र त्यागी जी ने गन्ने के संबंध में बहुत सी बातें कहीं। गन्ने का उत्पादन हमारे देश के लिये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जैसा कि माननीय फूल सिंह जी ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं अथवा इस वास्तविकता से इंकार नहीं किया जा सकता कि गन्ने की पैदावार घटने का प्रभाव हमारे उद्योगों और विशेष कर हमारे चीनी उद्योग पर पड़ेगा, जिससे न केवल हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि इससे राष्ट्र के ऊपर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जब हमारे यहां चीनी अधिक होगी और उसका कुछ हिस्सा जब हम बाहर भेज सकेंगे तो उसके बदले में हमें मशीनरी आदि सामान प्राप्त हो सकेगा। ऐसी स्थिति में जब हमारे गन्ने के दाम किसान को उचित मात्रा में नहीं मिलते और उनको अनाज के दाम उचित मात्रा में मिलते हैं तो स्वभाविक है कि किसान गन्ने के बजाय अनाज बोना अच्छा समझेगा। माननीय रावत जी ने एक बात कही थी और व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने कहा कि मैं यह उचित समझता हूं कि अनाज के दाम महंगे हों। इसलिये कि अगर गल्ले की महंगाई न हो और उसकी अपेक्षा दूसरी वस्तुओं के दाम ऊंचे हो जायं तो हमारे प्रदेश के ७५ फीसदी लोग जो किसान हैं (एक प्रकार से सारा प्रदेश ही) निर्धन हो जायगा। इसलिये यह उचित ही है कि हमारे किसान को जो अनाज का मूल्य मिल रहा है वह मिलता रहना चाहिये लेकिन अगर उसी अनुपात में किसान को गन्ने का मूल्य न मिला तो किसान के साथ ज्यादती होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों को गन्ना बोने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिय माननीय नेता विरोधी दल के स्थान पर जो सदस्य बैठे हैं वे केन्द्रीय सरकार को सुझाव दें और केन्द्रीय सरकार को मजबूर करें, तथा उसके लिये इस सरकार को भी सहायता पहुंचायें जिससे किसानों को गन्ने का ऊंचे से ऊंचा दाम मिल सके। जिससे देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था कायम रह सके।

माननीय त्यागी जी ने ३१२ नम्बर गन्ने की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले वह बहुत अच्छा होता था। मैं भी किसान हूं और त्यागी जी भी किसान हैं तथा मैं भी गन्ना बोता हूं और त्यागी जी भी गन्ना बोते हैं। वे इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि हमारे यहां गन्ने की नयी से नयी किस्म ८, १०, १२ साल से ज्यादा नहीं चल पाती। इसके अतिरिक्त अभी हमारे वैज्ञानिक इस नतीजे पर नहीं पहुंचे है कि वे कौन से कारण हैं कि दस बारह साल में गन्ना नम्बर ३१२ या और किस्मों में क्यों खराबी आ जाती है। यह गन्ना २० साल तक चला और अब उसमें कांने की बीमारी लगी है और इस बीमारी को पहले से ही रोका जाना चाहिये, लेकिन बीमारी लग जाने के बाद उसको रोकने में अभी हमारे वैज्ञानिक समर्थ नहीं हुये हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं चाहता हूं कि आप अगर संक्षेप में ही कहें क्योंकि साढ़े ४ बजे तक मैं इस ग्रान्ट पर वोटिंग कराना चाहता हूं।

श्री मही लाल—

मैं बस एक बात और कह कर अभी समाप्त करूंगा। मैं कह रहा था कि इसीलिये गन्ना नम्बर ३१२ को अब ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। आज की स्थिति में अनावृष्टि और अकाल के कारण और आय के साधन न बढ़ सकने की वजह से शासन मजबूर है वरना शासन तो बहुत प्रसन्न होता यदि कृषि का बजट इससे दुगुना, तिगुना, चौगुना और अठगुना हो जाता। आज की परिस्थिति में शासन की मजबूरी थी कि कर जनता पर नहीं बढ़ाये जा सकते थे और इसलिये जो बजट वर्तमान परिस्थिति में आया है उससे अधिक कृषि के लिये शासन नहीं कर सकता था। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे जैसा कि उन्होंने आश्वासन भी दिया था और इस अनुदान को बिना विरोध के पारित करेंगे।

श्री फूलसिंह—

अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर बहुत से साथियों ने चर्चा की और अभी उप मंत्री जी, श्री मही लाल जी ने दो तीन बातों की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि यह जो शकर के दाम बढ़े हैं इस प्रश्न को हमें ए० आई० सी० सी० में उठाना चाहिये था। उनको शायद यह मालूम नहीं है कि शकर के दाम आज ऐलान हुए हैं और ए० आई० सी० सी० तो कई दिन पहले खत्म हो चुकी है। प्रश्न यह है कि शक्कर के दामों की चर्चा जो मंत्री जी ने अभी बड़े हर्ष के साथ की और वह बड़े खुश थे कि जैसे उन्होंने बड़ा भारी काम कर दिया है। यह बात बड़ी नामुनासिब थी और सरकार को तो इसका विरोध करना चाहिये था। अगर सरकार ने यह कहा होता कि हम इसको पसन्द नहीं करते तब महीलाल जी की मैं तारीफ करता।

श्री महीलाल—

मैंने नहीं निवेदन किया था कि सरकार ने दाम बढ़ा दिये।

श्री फूलसिंह—

आपने नहीं कहा लेकिन सुबह दूसरे मंत्री जी ने कहा था कि शकर के दाम हमने बढ़ा दिये हैं। आप जिस बात पर खुश हैं वह बात कोई अच्छी नहीं है, या तो यह नावाकफियत से कहा गया या जानने की कोशिश नहीं की गई।

यह कहना कि इतना रुपया उपलब्ध होता तो सरकार खेती में अधिक लगाती यह सही नहीं है। क्या यह फैक्ट नहीं है कि इस साल प्राइवेट नलकूपों को एनरजाइज करने के लिये साढ़े सात करोड़ रुपया रखा गया है जबकि पिछले साल १५ करोड़ रुपया रखा गया? जब आपके पास धन नहीं था और कृषि के कामों में भी रुकावट आ रही थी तो क्या जरूरत थी भूमि भवन कर माफ करने की? आपने उसको देकर किसानों की बिजली काट दी। आपने उन चीजों को काट दिया जो जरूरी थीं और नहीं काटना चाहिये था। आप शहर के आदमियों को सौ रुपया क्विन्टल अनाज देना चाहते हैं। भले आदमी उन की शक्कर ही कुछ कम कर देते लेकिन आप ने तो देहात की ही शक्कर काट कर उन्हीं को दे दिया। यह आप ने किसानों के साथ इंसाफ नहीं किया। स्वायल कन्जरवेशन की चर्चा आज भी हुई। क्या यह सही नहीं है कि स्वायल कन्जरवेशन में कर्जे की जो स्कीम थी वह अभी तक सचिवालय से पास नहीं हुई? कौन नहीं जानता कि यह काम गर्मियों में ही होता है और बरसात में अर्थवर्क नहीं होता और बाद में केवल मरम्मत होती है। सारा काम इस तरह से साल भर के लिये रुक गया है। इस तरह से तरक्की की घड़ी की सुई रुक जाती है। तो इन ४ महीनों के दौरान आपने कोई तवज्जह नहीं दी।

[श्री फूलसिंह]

मान्यवर, यहां पर प्राइवेट ट्यूबवेल्स को बिजली देने की चर्चा हुई। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपने भाषण में लिखा है कि इस साल हम १५,००० प्राइवेट नलकूपों को बिजली देंगे और माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि वे १० हजार प्राइवेट नलकूपों को बिजली देंगे। माननीय वित्त मंत्री जी का जो भाषण कानपुर में हुआ उसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स को बिजली देने के लिये वे १,००० रुपया प्रति फर्लांग चार्ज करेंगे जबकि पहले ३-३ और ४-४ फर्लांग बिना पैसे लिये हुए कनेक्शन दे दिये जाते थे। तो क्या यह आप किसानों की मदद करने जा रहे हैं या उनकी मरम्मत करने जा रहे हैं? आपने जो योजना पहले की थी वह भी कायम रखी और दूसरी भी योजना बनायी ताकि जिसकी गर्ज होगी वह तो रुपया देगा ही। आपने जो पुरानी स्कीम कायम रखा, मैं समझता हूं यह बात बहुत मुनासिब नहीं है। अगर कहीं पर कठिनाई महसूस हो तो हिम्मत की बात यह है कि उसको कहते कि यह कठिनाई है लेकिन इस काम को दूसरी तरकीबों से पूरा करना मुनासिब नहीं है। फिएट कार की जरा सी कीमत बढ़ी थी तो दुनिया में हल्ला हो गया था लेकिन अगर ट्रैक्टर्स की कीमत १०-१० हजार बढ़ गयी तो उसका कोई जिक्र नहीं और उसके पुर्जों की कीमत १० गुनी हो गयी तो कोई पूछने वाला नहीं है। किसानों के साथ तभी इन्साफ हो सकता है जबकि उसकी आवश्यकता की चीजों के दाम मुनासिब रहें। आप कार के और स्कूटर के परमिट काट सकते हैं लेकिन ट्रैक्टर के परमिट नहीं काट सकते हैं। तो यह कोई सही इलाज है नहीं। मैं तो यह कहूंगा कि जिन चीजों की किसानों को आवश्यकता है, उन पर सरकार नियंत्रण करें।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि गेहूं की कीमत बहुत मुनासिब है जो हम प्रोक्योरमेंट में दे रहे हैं और कारण यह बताया कि उस पर जो खर्चा आता है उसको ध्यान में रखते हुए यह ठीक है लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसी वस्तु पर लागत को ध्यान में रख कर भाव मुकर्रर करना किसान पर ही लागू है या मशीन पर भी?

अब आप संकर मक्का के दाम को देख लीजिये। उसकी खरीदारी ८५ रुपये प्रति क्विंटल पर होती है और उसको फिर ३०० रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जाता है। गेहूं का जहां तक सम्बन्ध है वह किसानों से ८०-८५ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाता है लेकिन १०० रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जाता है। मैं तो जानना चाहता हूं कि जितनी भी योजनायें आपने खेती के सम्बन्ध में चलायी हैं उन में से एक का भी नाम बतायें जिसमें आपने सुधार किया हो या रुपया बढ़ाया हो।

जहां तक फर्टिलाइजर के दाम बढ़ने की बात है कहा जाता है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बढ़ा दिये हैं। अगर फर्टिला इजर की कीमत यूनिफार्म रेट से बढ़ते तब भी बात समझ में आती लेकिन हुआ क्या कि डाई एमोनियम फास्फेट पर २६५ रुपये प्रति टन इंक्रीज हो गया, यूरिया पर १६४ रुपये, एमोनियम सल्फेट पर ८७ रुपया प्रति टन बढ़ा है। सरकार ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। सरकार को इतनी फुर्सत ही कहां है जो इन सब चीजों को देखे। न सरकार को फुरसत है और न क्षमता है, इसलिये गड़बड़ हो रही है। खेती का मसला बहुत जटिल मसला है और देश के जीवन-मरण का प्रश्न है और इस मसले को पार्टी क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिये। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने दायित्व का सबूत दें और जिम्मेदारी उठायें। चौथी योजना क्या आप की बन गई, जिस की बहुत चर्चा की जा रही है। अभी परसों गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऐडवाइजर्स आये थे। जब आप ने प्लान ही नहीं बनाया तो आप क्या कर पायेंगे। इस ढीलढाल को खत्म करना चाहिये और इस तरफ ध्यान देना चाहिये बनिस्बत और बातों के। मेरा निवेदन है कि इस अनुदान पर बहुत देखभाल की जरूरत है, सिंचाई के सारे मुहकमे को रिवोल्यूशनाइज करना होगा, प्रोक्योरमेंट स्कीम को रिवोल्यूशनाइज करना होगा। जब गांव-गांव में लोगों की तलाशी ली जा रही है तो क्या इस तरह अनाज मिल जायगा? सिवाय इसके कि आप लोगों की जिद है और लोगों को परेशान करना चाहते हैं, और कोई बात मालूम नहीं होती। अगर आप यह भी

कर दें कि जिस के यहां तलाशी में कुछ नहीं मिलेगा तो यह साबित होगा कि जानबूझ कर तलाशी ली जा रही है, तब भी एक बात है। अन्यथा यह स्पष्ट होता है कि लोगों को परेशान करने के लिये यह सब किया जा रहा है। ३० तारीख को आपकी प्रोक्योरमेंट की स्कीम खत्म हो रही है। एक फारसी की मसल है जिस का अर्थ है कि जब तक जहर मोहरा लाओगे तब तक मरीज मर जायगा। इसलिये जल्दी कीजिये ताकि देहात में लोगों को मालूम हो कि आप जागरूक हैं। माननीय झारखंडे राय के लिये यह शोभा की बात नहीं है कि किसानों पर जुल्म हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, मैं फिर अपनी अपील दुहराता हूं कि खाद्यान्न की पूर्ति में सब का सहयोग मिलना चाहिये और मैं माननीय फूल सिंह से सहमत हूं कि यह पार्टी का प्रश्न नहीं होना चाहिये। मैं उन से कहूंगा कि जब वह कहते हैं कि जब दूसरे लोग उस कुरसी पर बैठते हैं तो महकमे की बात मान लेते हैं और कुछ देखते नहीं हैं। अगर खुद कुरसी पर न बैठे होते और तब यह बात कहते तब तो एक बात थी और मैं अनुचित न समझता। लेकिन वह खुद उस कुर्सी पर बैठ चुके हैं और स्वयं फैसला करें कि क्या इस कुरसी पर बैठ कर लोग देखना नहीं चाहते हैं, केवल महकमे की बात मनाना चाहते हैं? इस पर वह फैसला दें। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आदमी जब यह मान लेता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं और दूसरा कुछ नहीं कर सकता तो बहुत कठिनाई हो जाती है। इस तरह का विचार नहीं होना चाहिये। मैं खुद किसान हूं। हां, फूल सिंह जी बड़े किसान हैं, बड़े किसानों की बात कह सकते हैं और मैं छोटा किसान हूं, मैं छोटे किसान की बात कहता हूं।

श्री केशव देव—

माननीय मन्त्री अगर किसान हैं तो जो हाई ब्रिड मक्का बोई जाती है उसमें कितनी मात्रा में खाद डाली जाती है?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई परीक्षा आप ले रहे हैं? परीक्षा की जगह और है।

श्री जयराम वर्मा—

फूलसिंह जी ने एक सुझाव दिया कि प्राइवेट नलकूप लगाये जाते हैं लेकिन उनके लिये बंधन है कि नहर से इतने दूर होने चाहिये, वह बंधन हटना चाहिये। अगर यह प्रतिबन्ध हट जायगा तो जो पैसा खर्च होगा उसका सदुपयोग नहीं हो सकेगा, उतनी सिंचाई नहीं हो सकेगी। यह प्रतिबन्ध रहना चाहिये वरना रिपीटीशन होगा और उसमें नुकसान होगा।

जहां तक यह विचार है कि बीज ७ वर्ष के बाद रिप्लेस होना चाहिये वह सही है। एक बीज एक जगह रहने पर खराब हो जाता है और उस जमीन में वह बीज काम नहीं करता। दूसरी जगह अगर उसे भेज दिया तो वह काम कर सकता है। यह बात आसान भी है और सरकार को उसे करने में कोई कठिनाई नहीं है।

मंडी ऐक्ट के बारे में कहा गया कि इसको लागू करने में देर हुई। विभिन्न मंडियों में इसे लागू करने में देर हुई। हम इस बात की कोशिश में हैं कि काफी मंडियों में जल्दी ही कानून के हिसाब से इसे लागू कर दिया जाय।

लैंड मारगेज बैंक के सिलसिले में बात कही गयी कि वहां से कर्ज मिलने में बड़ी र लगती है लेकिन इसमें काफी सुधार किया गया है। आपका इशारा था कि बड़ा फार्म है

[श्री जयराम वर्मा---]

लेकिन अब उसे ६ पेज से २ पेज का कर दिया गया है और काफी सहूलियत कर दी गयी है। १७ जिलों में लड मार्गेज बैंक ने काम किया है, काफी रुपया भी दिया है जब कि पहले बहुत थोड़ा रुपया मिलता था। दिक्कतें हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्राउन्डनट तथा प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में कहा गया कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्राउन्डनट के लिये ६ जिलों में पैकेज प्रोग्राम चलाया गया है और ३ जिलों में उसे और बढ़ाया गया है।

प्लांट प्रोटेक्शन पर १ लाख ५ हजार रुपये की दवा खरीद कर ब्लाकों में स्टोर कर दी गयी है और उसके लिये मशीनरी सप्लाई कर दी गयी है।

पेस्टीसाइट्स की कमी के बारे में कहा गया कि कीमत बढ़ा दी गयी, कास्ट प्राइस पर ११० फी सदी कर दी गयी। तो यह तो ऐसा है कि यह काम शुरू कहीं से हो और दोष हम पर मढ़ा जाय। वह तो जिस गवर्नमेंट में वह थे उसी ने यह किया था। आप यह कह सकते हैं कि तुमने कम क्यों नहीं किया तब तो वह सही हो सकता है लेकिन बढ़ाने का कसूर उसी गवर्नमेंट ने किया था।

बाजरे के बीज की माननीय फूलसिंह ने शिकायत की कि वह ए-क्लास का बीज नहीं है और कम क्यों दिया गया। तो राष्ट्रीय बीज निगम का इरादा इस बीज को आन्ध्र प्रदेश से मंगाने का था लेकिन वहां फसल कुछ खराब हो गयी और वहां से जो बीज आया भी उसकी जिस सख्ती से जांच राष्ट्रीय बीज निगम करता है उससे बहुत कम बीज ए-क्लास का रह गया। इसलिये ए-क्लास के बीज की कमी है। लेकिन बी-क्लास वाला बीज भी अच्छा है, उससे काफी पैदावार होगी इसलिये ए-क्लास का बीज न मिलने पर बी-क्लास का बीज इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें कोई शिकायत की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

साढ़े चार बजे खत्म करना है।

श्री जयराम वर्मा---

श्रीमन्, समय हम लोगों को बहुत कम मिला और उधर का भी सहयोग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

गवर्नमेंट के टाइम की बात है।

श्री जयराम वर्मा---

फूलसिंह जी दो तरह की बात कहते हैं। मैं जो बात उस वक्त कहता था वही अब भी कहता हूं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप जरा धैर्य रखिये, हम लोगों को थोड़ा सा काम करने दीजिये और जो कहते हैं वह न कर पायें तब शिकायत करियेगा। गांधी जी की बात कही जाती है, तो वे तो आचरण की बात करते थे, लफ्जों की बात नहीं करते थे। उनके हिसाब से कहना कम और काम ज्यादा करना चाहिये। जब न कर पायें तो आपको शिकायत करने का मौका होगा।

इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय फूलसिंह से यह प्रार्थना करूंगा कि सहयोग की दृष्टि के नाते उनको अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेना चाहिये क्योंकि वह खुद कहते हैं कि यह मांग घटा कर एक रुपया कर दी जाय। अगर वह मान ली जाय तो जिन बातों को उन्होंने कहा है उनकी पूर्ति नहीं हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २१--कृषि के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,१२,९७,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,२७,८०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४५-कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०,२०,९६,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विश्वविद्यालय कोर्ट्स के लिए निर्वाचनार्थ नाम वापसी की अन्तिम तिथि में परिवतन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे एक सूचना देनी है वह यह है कि यूनिवर्सिटीज के चुनाव के संबंध में आज की तारीख अंतिम (विदड्रावल) नाम निर्देशन पत्र की वापसी की थी किन्तु दोनों पक्षों के आग्रह से मैंने यह निश्चय किया है और इसके लिये एक दिन और बढ़ा रहा हूं। कल सायंकाल ३ बजे तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिये जा सकते हैं, बाकी कार्यक्रम वैसा ही है।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ में अनियमितता के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव भेजा है। २८ जून को कोआपरेटिव बैंक में उनके अनुसार उसकी सभा के सिलसिले में कुछ अनियमितता हुई, उसके बारे में ध्यान दिलाया है। मैं इसको कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो स्वीकार नहीं कर सकता लेकिन संबंधित मंत्री जी के पास आवश्यक जानकारी और उचित कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इस संबंध में अगर आप आज्ञा दें तो दो शब्द कहना चाहता हूं। आपके कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार न करने के ऊपर मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यदि मंत्री जी को जानकारी के लिये भेजा जाता है उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जानकारी में बैंक की व्यवस्था का रूप विकृत कर दिया गया है और उनको दिग्भ्रमित है कि नियमों के विपरीत, हाई कोर्ट के फैसलों के विपरीत वह अपने दल विशेष को स्थापित करें और अनियमितता कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि इस पर दफा ५१ के अनुसार बयान दें और हमें स्पष्टीकरण करने का मौका दें अन्यथा कोआपरेटिव बैंक जिसमें करोड़ों रुपये वर्किंग कैपिटल लगी हुई है उसको बड़ा धक्का लग सकता है।

श्री अध्यक्ष---

अब आपने उसका महत्व बता दिया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

वे नियम ५१ में बयान दें ताकि सदन को और आपको जानकारी हो जाये कि स्थिति क्या है?

श्री अध्यक्ष---

मैंने इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को तो अस्वीकृत किया है लेकिन आगे जो नियम ५१ की सूचनायें आयी हैं उसमें भी इसी विषय पर कुछ सूचना आयी है। चूंकि इसको मैं अस्वीकृत कर चुका हूं अब दो ही तरीके हैं, या तो अल्पसूचित प्रश्न कर लें या और तरीके से माननीय सदस्य जानकारी करें। अगर संबंधित मंत्री इस पर कोई वक्तव्य देना उचित समझें और दे सकें तो एक-दो रोज में वक्तव्य दे दें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय बहुगुणा जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, इसको कुछ ऐसा रूप दे दिया गया है और अखबारों में भी इस तरह का रूप है जिससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हो सकता है। श्रीमन्, मान लिया जाय कि जो बात कही गयी वह सब न हो फिर भी सरकार की तरफ से इसकी सफाई हो जाय, नहीं तो माननीय, आपकी व्यवस्था देने के बाद भी बहुगुणा जी को जो कुछ कहना था कह ही दिया और उन लोगों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया तो उससे लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह सरकार के हित में ही है कि उसकी तरफ से इस पर वक्तव्य हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

आपकी सलाह है सरकार को कि इस तरह का भ्रम दूर करने के लिये उसकी तरफ से इसका उत्तर दे दिया जाय?

श्री उदल---

जी हां ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं, जो भी इतना अवसर उनके ऊपर पड़े ।

सहकारिता मंत्री (श्री गंगाभक्त सिंह)---

अगर वे प्रश्न करें तो मैं उत्तर दे दूं ।

श्री अध्यक्ष---

उसको मैंने आपके पास भेज दिया है, उसे आप देख लें और जानकारी प्राप्त करके इस संबंध में वक्तव्य किसी दिन दे दें । मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य हो जायगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

अगर वे जानकारी के लिये प्रश्न करना चाहें तो करें, मैं उत्तर दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

देखिये, यहां इस समय इस तरह से प्रश्नों के करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा । वक्तव्य के बाद जानकारी के लिये कोई दो चार प्रश्न करना चाहें तो उसकी अनुमति मैं दे दूंगा ।

सहकारिता मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)---

तो इसके लिये सोमवार रहे, उस दिन ३ तारीख है ।

श्री अध्यक्ष---

पहली तारीख को रखें, उस दिन शनिवार ।

श्री गंगा भक्त सिंह---

सोमवार ही ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष---

तो ठीक है सोमवार को इस पर वक्तव्य होगा ।

मेरे पास नियम ५१ के अन्तर्गत कुछ सूचनायें आयी हैं । एक सूचना तो इसी विषय पर है जिसके सम्बन्ध में यह कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है । यह माननीय राममूर्ति अंचल जी का है और उस पर श्री मंगला प्रसाद तिवारी के भी हस्ताक्षर हैं । तो इस विषय में तो अब गवर्नमेंट की तरफ से वक्तव्य हो ही जायगा ।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)---

मैंने भी एक नियम ५१ के अन्तर्गत प्रश्न दिया था । उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

इसी के साथ मैंने उसको भी जोड़ दिया है । उस पर वक्तव्य हो जायगा ।

श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)---

श्रीमन्, मैं भी एक मिनट लेना चाहता हूं । नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना मैंने दी थी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राकेश जी, मैंने एक सूचना को स्वीकार कर लिया है। एक दिन में एक ही सूचना मैं ले सकता हूं। अगर १० सूचनायें मेरे पास आवें तो उनमें से सब को स्वीकार न करके मैं एक ही को स्वीकार करता हूं। ऐसे यहां की एक परिपाटी सी बना दी गयी है कि जितनी सूचनायें आती हैं उन सभी को सरकार के पास भेज दिया जाता है और अगर कोई विशेष आवश्यक हुआ तो उसे विशेष रूप से ध्यान आकर्षण के लिये भेजा जाता है।

उन्नाव तथा सीतापुर जिलों में गल्ला वसूली से सम्बन्धित किसानों की कठिनाइयों के विषय पर दी गयी सूचनाओं पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम नं० १० पर उन्नाव तथा सीतापुर जिलों में गल्ला वसूली से सम्बन्धित किसानों की कटनाइयों के विषय में श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री राज बहादुर शुक्ल द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर खाद्यमंत्री का वक्तव्य होगा।

खाद्य मंत्री (श्री झारखंडे राय)—

माननीय, यह प्रश्न कल पेश किया गया और आपको स्वयं मालूम होगा कि मैं और विभागीय सचिव दोनों कुछ खाद्यान्न सम्बन्धी बातचीत करने दिल्ली गये थे और इसलिये इस सम्बन्ध में हमें विस्तार से समचार नहीं मिल सका है। लेकिन जो भी टेलीफोन द्वारा मुझे समाचार मिला है उसे मैं आपकी आज्ञा से बता देता हूं। उन्नाव जिले के सम्बन्ध में किसी भी किसान को गल्ला वसूली के सम्बन्ध में पकड़ कर तहसील में बन्द नहीं किया गया। वास्तव में जिले का जो वसूली का लक्ष्य था वह २८-६-६७ के पहले ही परा किया जा चुका है। सही बात तो यह है कि उन्नाव जिले के किसान खास तौर पर सफीपुर, उन्नाव व पुरवा तहसील के काश्तकार स्वेच्छा से सरकार को गल्ला बेच रहे हैं और उन में से काफी संख्या ऐसे काश्तकारों की है जिन के ऊपर कोई लेवी निर्धारित नहीं की गयी थी और तब भी वे सरकार को गल्ला दे कर इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं।

जिलाधीश के कथनानुसार ऐसे कुछ काश्तकार जिनके ऊपर तकावी तथा मालगुजारी की वसूली बकाया थी उनके खिलाफ उचित कार्यवाही अवश्य की गयी।

सीतापुर जिले से सम्बन्धित यह सही नहीं है कि १८-६-६७ तक बेचे हुए अनाज की कीमत संबंधित किसानों को उनके बार बार आग्रह करने पर भी न दी गयी हो। जिले में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार सभी किसानों को जिनसे कि गल्ला खरीदा जा रहा है तुरन्त भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है। शुरू में कभी-कभी ऐसा अवश्य हुआ कि परचेजिंग एजेंट के पास पर्याप्त मात्रा में धन न होने के कारण कुछ किसानों को उनके खरीदे हुए गल्लें की कीमत को भुगतान करने में एक-दो दिन का विलम्ब हुआ किन्तु अब ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है। वास्तव में ऐसे सभी किसान जिन से कि २७-६-६७ तक गल्ला खरीदा गया है उनको पूरा भुगतान कर दिया गया है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी निश्चित जानकारी के आधार पर जो सूचना जिला अधिकारियों से प्राप्त हुई है उसके ऊपर मेरी आपत्ति है कि पूरे तथ्य छिपाये गये हैं जिनके आधार पर किसानों को बन्द किया गया और मेरी सूचना को सही मान कर इस विषय पर फिर से जानकारी करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

मान्यवर, जो सूचना सरकार को हेलीफोन पर मिली है उससे यह मालूम हुआ कि जिन काश्तकारों पर कुछ कानूनी कार्यवाही की गयी है तकावी और मालगुजारी के सिलसिले में हुई है, गल्ले की खरीद के सिलसिले में पूरे जिले में एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया है, अब तक ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के ऊपर तकावी और लगान बाकी था वह अपनी बकाया अदा करने के लिये हर तरह से तैयार थे लेकिन विभाग य लोगों ने तकावी और मालगुजारी इसलिये नहीं ली कि जब तक गल्ला नहीं दिया जायगा तब तक नहीं लेंगे और इसी को आधार बना कर गल्ला वसूल करने के लिये बन्द किया गया ?

श्री झारखंडे राय—

मान्यवर, इसकी मेरे पास सूचना निश्चित नहीं है । मुमकिन है कि जैसा कि प्रश्नकर्त्ता कह रहे हैं ऐसा हो । इसके बारे में मैं जानकारी करवा लूंगा ।

श्री राज बहादुर (जिला सीतापुर)—

प्रश्न करने से पहले मैं आप से एक निवेदन करना चाहूंगा । मैं तो यह चाहता था कि मैंने एक सूची दी थी, माननीय मंत्री जी की सेवा में आपके माध्यम से भेजी थी उन किसानों की बिसवां सेंटर पर जिन तारीखों में गल्ला भेजा और पैसा नहीं मिला मैं चाहता था कि विस्तार से ही उसका उत्तर आये । लेकिन मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें कहा कि इसकी जांच विस्तार से नहीं हुई । तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इसकी जांच जब विस्तार से हो जाये तभी वह अपना वक्तव्य दें ।

श्री झारखंडे राय—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं और मैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत विस्तार से कुछ चीजें संग्रह की हैं । १५६ केसेज वह सरकार की जानकारी में ले आये हैं । अब मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अब जब पूरी जानकारी मिल जायगी तब मैं उनको दे दूंगा ।

श्री लक्ष्मी रमणआचार्य (जिला मथुरा)—

उन्नाव में जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है तकावी और मालगुजारी की वसूलयाबी के बारे में, क्या उनकी गिरफ्तारी भी की गयी है ?

श्री झारखंडे राय—

जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अन्न वसूली के मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है । यह सम्भव है कि तकावी और मालगुजारी के बारे में ऐसा हुआ । यद्यपि इसका सम्बन्ध मेरे डिपार्टमेंट से नहीं है, फिर भी मैं इसकी पूरी जांच करा लूंगा ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश भर में स्थान-स्थान पर गिरफ्तारियां हुई हैं इस सिलसिले में, और इसके अलावा बन्दूकों के लाइसेंस तक सस्पेंड किये गये हैं और इसी तरीके से यह हो सकता है, क्योंकि कुछ अफसर ऐसे हैं, जो इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि सरकार को जब इस प्रकार की शिकायत मिले तब वह उसकी

[श्री तुरीख कुमार बंजवार]

सूचना हाउस में दे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से सरकार की बदनामी होती है। ऐसा पीलीभीत में हुआ, देहरादून में हुआ।

श्री झारखंडे राय—

जैसी मैंने अपनी व्यवस्था शुरू में दी कि विस्तार से मैं नहीं जानकारी मंगा सका हूं। लेकिन मैंने जैसा पहले ही जबाव दिया प्रश्नकर्त्ता या कोई भी माननीय सदस्य अगर निश्चित सूचना देंगे तो अवश्य जांच कराई जायगी, और जो दोषी पाया जायगा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री नेक राम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैंने अलीगढ़ के बारे में आपको लिख कर दिया, किन्तु अब तक उसका कोई उत्तर मुझको नहीं मिला। ५१ के अन्दर भी मैंने एक प्रश्न भेजा उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो अध्यक्ष महोदय, आप बताइये अब मैं किस तरह से शिकायत करूं जिसकी मंत्री जी जांच करायेंगे?

श्री झारखंडे राय—

जो प्रश्न नेकराम शर्मा जी ने किया है, मैं उसकी अभी जांच करा रहा हूं, जांच हो जाने पर सूचना दूंगा आपको।

श्री फूल सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या मेरा लिखा हुआ एक खत माननीय मंत्री जी को मिला है? जिसके साथ में एक अन्य खत पीड़ित किसानों का संलग्न था और जिसमें लिखा था कि हम मालगुजारी और तकावी देना चाहते हैं किन्तु अधिकारी गल्ला भी वसूल करना चाहते हैं इस कारण वे हमसे मालगुजारी और तकावी न लेकर हमें परेशान कर रहे हैं। उसमें यह भी लिखा था कि गल्ला हमारे पास पैदा नहीं हुआ है जिसे हम दे सकें?

श्री झारखंडे राय—

इस प्रकार का कोई खत मुझे नहीं मिला है।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

कुछ अधिकारी निश्चित रूप से ऐसी कार्यवाहियां कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा मंत्री महोदय इन सब घटनाओं को एकत्र कर के ऐसी कार्यवाही करें जिससे ऐसे लोगों को सजा दी जा सके। दूसरे यह भी होता है कि बहुत से किसानों के पास गल्ला नहीं है और वह नहीं देने के लिये मजबूर हो जाते हैं, इसलिये उनको कुछ समय और दे दिया जाये। क्या इन बातों पर मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे?

श्री झारखंडे राय—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा है जिनके खिलाफ इस प्रकार की शिकायत आयेगी कि वे जानबूझ कर परेशान कर रहे हैं और उनके पास गल्ला नहीं है, फिर भी परेशान कर रहे हैं तो उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी, लेकिन किसानों में भी ऐसा वर्ग है जो जान बूझ कर गल्ला नहीं दे रहा है, इससे बचना चाहता है, तो ऐसे किसानों के विरुद्ध भी अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री हुकुम सिंह (जिला आगरा)—

आगरा जिले में जिन क्षेत्रों में सरकार ने लेवी माफ कर दी थी उन क्षेत्रों में भी अधिकारियों ने ८० फीसदी लेवी वसूल कर ली और उसके लिये अधिकारियों ने भी लिखा है, तो क्या सरकार द्वारा अब उसको माफ करने की कृपा की जायगी?

श्री झारखंडे राय—

इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो जरूर जांच कराऊंगा।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसान जो गल्ला नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी तो वह क्या कार्यवाही की जायगी मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

कानून के अनुसार जो तय होगा वह किया जायगा।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शख्स मिल खाते है और उसके कई हिस्सेदार हैं लेकिन खाता तकसीम नहीं कराया गया है उनमें से एक हिस्सेदार के ऊपर जितनी लेवी आयी है वह उसने दे दी बाकी नहीं दे पा रहे हैं और जो दे रहा है उसकी भी पैसा नहीं दिया जा रहा है इसलिये कि दूसरे नहीं दे रहे तो क्या इसकी भी सूचना सरकार को है ?

श्री झारखंडे राय—

ऐसी तो कोई सूचना नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य को कहीं कोई ऐसी सूचना हो तो हमें वह दें और हम उसे जरूर देख लेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

जब उन्नाव जिले में लक्ष्य पूर्ति हो गयी तो अब किसानों से और वसूली क्यों की जा रही है ? माननीय विशारद जी तो संविद के सदस्य हैं लेकिन कोई भी माननीय सदस्य अगर मंत्री जी को शिकायत देंगे तो माननीय मंत्री जी उस सदस्य को लेकर उस जिले में जाकर उस मौके पर देख कर जांच करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

लक्ष्य पूर्ति के बाद भी अगर किसानों का कोई भाग देश प्रेम.... (व्यवधान) मैं समझता हूं कि लक्ष्य की पूर्ति हो रही है और जब बगैर लेवी वाले किसान दे रहे हैं गल्ला तो इसके माने क्या समझा जाय। (व्यवधान) इसीलिये मैं यह समझता हूं कि जो किसान लक्ष्य की पूर्ति के बाद और जिन पर लेवी नहीं है वह भी दे रहे हैं, तो समझाने, बुझाने, अपील करने, परसुयेशन से दे रहे हैं उनका स्वागत है। मुझे मान्यवर खुद इसका एक अनुभव है कि पिपराइच, जिला गोरखपुर में ३०० क्विंटल वहां गैर लेवी के किसानों ने मुझे दिया और ३०४ क्विंटल माननीय राम चन्द्र विकल को दिया। आखिर हम लोग एक आन्दोलन जोरों से करते हैं उधर के लोगों ने भी आन्दोलन किये हैं और हम भी एक आर्गनाइज्ड कैम्पेन के रूप में जुट गये हैं तो क्या यह सम्भव नहीं है कि वहां के लोग देश प्रेम के नाते अपना कर्तव्य समझ कर दें। जैसी शिकायत वह कर रहे हैं यदि ऐसी बात होगी तो सूचना मिलने पर जरूर कार्यवाही की जायगी। मैंने पहले भी विश्वास दिलाया है और अब फिर कहना चाहता हूं कि किसी किसान को जान बूझकर न होते हुये तंग करने का इरादा न कभी था, न है और न आगे रहेगा।

श्री रमा शंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि कुछ राजनैतिक पार्टियों के भड़काने के कारण किसानों ने गल्ला नहीं दिया ?

श्री झारखंडे राय—

जो सूचना अभी तक मिली है इन्टेलिजेन्स या दूसरे तरीके से उसने जरूर यह मालूम किया है कि हमारे प्रदेश में राजनैतिक पार्टीज का एक भाग उसका प्रकाश और प्रच्छन्न रूप से उसका विरोध करता रहा है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी सूचना है कि उनके अधिकारियों ने जानबूझ कर इस मल्ला वसूली में सरकार को बदनाम करने के लिये कुछ अनियमिततायें की हैं ?

श्री झारखंडे राय—

हो सकता है ऐसा हो । मुझे कोई सूचना नहीं है । अगर आपके पास हो तो आप बतलायें ।

श्री चेतराम—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्नाव और सीतापुर में कुल किसानों पर कितनी लैवी लगी थी, जो उन्होंने एतराज किये तो उनके कितने कम की गई और कम करने पर कितनी वसूल हुई ?

श्री झारखंडे राय—

इस समय इतने विस्तार से सूचना मेरे पास नहीं है । अलबत्ता जो टारगेट था वह पूरा हो गया ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

जिस समय लैवी लगी थी तो उसके ऊपर एतराज सुनने का अधिकार जिलाधीश को दिया गया था । जिलाधीश ने उस पावर को डिप्टी कलेक्टर को दे दिया । डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार को और तहसीलदार ने नायब तहसीलदार को दे दिया । नायब तहसीलदार के आर्डर को जिलाधीश ने कैंसिल कर दिया । तो वहां पर अन्न का कोटा पूरा हो चुका है । वही किसान बाकी रह गये हैं जो देने के योग्य नहीं है । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात की जांच कराकर जो कि किसान देने के योग्य नहीं है उनको मुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

इस बात पर सोच समझ कर विचार किया जायगा ।

श्री राजबहादुर (जिला सीतापुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह संक्षिप्त वक्तव्य मन्त्री जी ने किस आधार पर दिया और उनकी विस्तार से जांच का जो परिणाम होगा वह सदन को किस तारीख को बतायेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा ।

श्री राजबहादुर (सीतापुर)—

दो बातें मैंने मन्त्री महोदय से जाननी चाही थीं । एक तो यह कि जो उन्होंने वक्तव्य सदन में दिया वह किस आधार पर दिया और दूसरी बात यह कि जो बाद में जांच की रिपोर्ट उनके पास आयेगी तो उससे सदन को किस तारीख को अवगत कराया जायगा ?

श्री अध्यक्ष ---

मन्त्री महोदय कृपया पहले हिस्से का उत्तर दे दें ।

श्री झारखंडे राय---

जिलाधीश महोदय ने टेलीफोन पर इतनी ही सूचना दी कि गत १८ तारीख तक जो एक एक पाई बाकी थी वह सब बेबाक हो गई इसलिये उस का जबाव मैंने उसी रूप में दिया है, लेकिन जांच में जो वह स्वयं जाना चाहते हैं उसकी व्यवस्था मैं करा दूंगा कि जाने वाले उन को भी साथ ले लें ।

श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)---

मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे मुरादाबाद जिले में एक तहसील में तो सेंट पर सेंट वसूलयाबी हो गयी है, परन्तु कुछ स्थानों पर राजनीतिक लोगों ने किसानों को भड़काया है और ऐसा कर के अनाज नहीं वसूल होने दिया । तो क्या सरकार वहां पर किसानों को भड़काने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? (व्यवधान)

श्री झारखंडे राय---

मान्यवर, किस ने भड़काया यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जो भड़काने में आकर अपना कर्त्तव्य का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही अवश्य की जायगी ।

श्री अध्यक्ष---

अब समय समाप्त हुआ ।

अब हम उठते है और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
२९ जून, १९६७ ।

नत्थी "क"

(देखिये ता० प्र० १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४६ पर)

तालिका

प्रदेश की चीनी मिलों पर गत सीजन ६५-६६ के गन्ने के मूल्य का बकाया ३१-५-६७ तक।

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	१६६५-६६ का बकाया (लाख रुपये में)	बकाया के कारण तथा वसूली के लिये की गई कार्यवाही।
१	सिम्भौली ..	०.०६	मिलों व गन्ना समितियों के हिसाब समायोजित होने पर भुगतान हो सकेगा।
२	खतौली ..	०.०१	
३	देवबन्द ..	०.०१	
४	बिजनौर ..	०.१४	
५	धामपुर ..	०.०६	
६	बभनान ..	०.०८	
७	खड्डा ..	०.०७	
८	लक्ष्मीगंज ..	०.१०	
६	सरसवा ..	०.४०	सहकारी चीनी मिल है।
१०	जरवलरोड ..	२.७५	समझौता के आधार पर किश्त में भुगतान हो रहा है।
११	रामपुर ..	०.३५	आर्थिक कठिनाइयों के कारण भुगतान नहीं हो सका है।
१२	बरेली ..	०.६७	
१३	तुलसीपुर ..	०.२५	रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया गया है।
१४	बाराबंकी ..	२.४५	
१५	बुढ़वल ..	१२.६०	
१६	छितौनी ..	२.२४	
		२२.३६	

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५० पर)

घटना का विवरण

दिनांक २१-३-६७ को थानाध्यक्ष जसवन्तनगर कुछ कानिस्टेबिलों के साथ अभियुक्तो की तलाश में नगला राठौर गये थे। रात को जब पुलिस पार्टी जीप से वापस आ रही थी तो दो आदमी नहर की पटरी पर साइकिल से जाते हुये दिखलाई पड़े। उनका इतनी रात गये वहां साइकिल से चलना संदिग्ध मालूम हुआ। पुलिस ने उनका पीछा किया। जब पुलिस जीप रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची तो उत्तर का फाटक खुला था और जीप रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई, दक्षिण का फाटक बन्द मिला तो जीप को मोड़ना पड़ा। हल्की बारिस के छींटें पड़ रहे थे। मिट्टी फिसलनी थी इससे जब ड्राइवर ने जीप मोड़ी तो जीप का अगला बायां पहिया रेल ट्रैक में फंस गया। इंजन बन्द हो गया और फिर स्टार्ट नहीं हुआ। थानाध्यक्ष व कानिस्टेबुलों ने बहुत कोशिश की परन्तु ट्रैक में फंस जाने के कारण जीप नहीं निकल सकी। थानाध्यक्ष ने एक कानिस्टेबुल को पास की रेलवे चौकी "गुमटी" पर भेजा जो वहां से करीब एक फर्लांग दूर थी। वह वहां तक नहीं पहुंच सका और देहली एक्सप्रेस नजदीक आ गई। थानाध्यक्ष आदि जान बचाने के लिये अलग हट गये। रेलवे इंजन ने जीप के दाहिनी तरफ मध्य में टक्कर मारी और जीप को काऊकैचर में फंसा कर आगे लगभग आधा किलो मीटर तक घसीटता चला गया। तब ट्रेन रुकी।

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्र० २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

सेवा में,

श्रीमन, सुपरिंटेंडेंट पुलिस महोदय, ग्रामीण क्षेत्र——कानपुर जिला कानपुर।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी जगदम्बा प्रसाद आत्मज राम भरोसे ग्राम बीरबल का अकबरपुर थाना सजेती परगना घाटमपुर, जिला कानपुर में रहता है। प्रार्थी के पास लगभग ३० बीघा कृषि भूमि है प्रार्थी एक अच्छी हैसियत का व्यक्ति था। प्रार्थी के पड़ोस में प्रार्थी का भतीजा बद्री प्रसाद आत्मज बालकराम वह भी अच्छी हैसियत का काश्तकार था और उसके पास भी लगभग २५–३० बीघा कृषि भूमि है। दिनांक २७–२८ फरवरी सन् १९६७ को दरमियानी रात को लगभग दो बजे प्रार्थी तथा बद्री प्रसाद के मकान में लगभग १५–१६ डाकुओं ने सशस्त्र डकैती डाली जिसमें घर के दो व्यक्तियों को डाकुओं ने मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया और जान ही से मार डाला। डाकुओं के पास बन्दूकें, पिस्तोल, बल्लम, फरसे, बरछिया तथा लाठियां थीं। डाकू लोग प्रार्थी और बद्री प्रसाद के मकानमें से नकदी जेवरात कपड़े तथा अन्य सामान कीमती लगभग २४,५००–२५,००० रुपया का ले जाने में सफल हो गये। चलते समय डाकुओं ने बद्री प्रसाद के घर में आग भी लगा दी और घर को भी फूंक डाला। जलाकर मारे गये व्यक्तियों के नाम जगदीश नरायन और उसकी माता श्रीमती भगवान देई है। उपरोक्त डाके में गांव बीरबल अकबरपुर के चार व्यक्ति घनीराम, बशारत, राम प्रसाद और श्याम लाल भी शरीक थे। प्रार्थी ने दोनों डकैतियों की रिपोर्ट थाना सजेती में दूसरे दिन सबेरे दिनांक २८ फरवरी, सन् १९६७ को कर दी। परन्तु श्री करन सिंह इन्चार्ज थाना सजेती उपरोक्त डकैतियों की जांच में पूरी पूरी दिलचस्पी नहीं ले रहे है, और ठीक ठीक जांच नहीं कर रहे हैं, उन्होंनें नामजद अभियुक्त घनीराम को गिरफ्तार नहीं किया, हांलाकि गांव में मौजूद था। और बाद में ८-१० दिन के बाद स्वंय हाजिर अदालत हुआ। सब इन्सपेक्टर श्री करन सिंह महोदय ने नामजद चारों मुलजमान में से किसी भी मकान की तलाशी नहीं ली। डकैती के पश्चात जब सब-इन्सपेक्टर महोदय गांव में आये उस समय जगदीश नरायन जो जल कर घायल हो गया था होश में था और बोलता था। परन्तु सब-इन्सपेक्टर महोदय ने उनका बयान नहीं लिया। डाकुओं में से एक डाकू गोरा कोरी डकैती के समय आग लगाते में जल कर घायल हो गया था उसके दोनों हाथ जल गये थे और वह ग्राम भौली थाना कुरारा जिला हमीरपुर में मौजूद था। यह बात सब इंसपेक्टर महोदय को बतला दी गई थी। परन्तु फिर भी उन्होंने स्वयं उक्त गौरा कोरी को गिरफ्तार नहीं किया। इन सब बातों से स्पष्ट है कि श्री करनसिंह इंचार्ज थाना सजेती मामले की जांच उचित ढंग से और ठीक-ठीक तथा निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं और कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसी प्रकार इसी गांव नें अभी हाल में दिनांक १७–१८ फरवरी सन् १९६७ की दरमियानी रात को गांव के हीरी लाल केवट के यहां डकैती पड़ गई थी। इस डकैती में भी डाकुओं ने बन्दूकों का प्रयोग किया था और श्रीमती भौली स्त्री फगुनी केवट के शरीर पर डाकुओं ने चोटें भी पहुंचाई थी। इस डकैती में भी गांव के बशारत और घनीराम का हाथ था। परन्तु सब इन्सपेक्टर इन्चार्ज महोदय श्री करन सिंह ने उनसे साज कर लिया और थाने पर रिपोर्ट केवल चोरी की लिखी गई और इस डकैती की जांच भी उचित ढंग से नहीं की गई न कोई गिरफ्तारी अमल में आई और न श्रीमती फगुनी की चोटों का मुआईना करवाया गया। श्री करण सिंह इन्चार्ज थाना सजैती के ऐसे व्यवहार और मुलजिमान से साज गांठ के कारण प्रार्थी के गांव में काफी असन्तोष और आतंक छाया हुआ है। हीरी लाल केवट के यहां जो डकैती पड़ी थी उसकी ठीक ठीक जांच न होने और धनीराम व बशारत के गिरफ्तारी न किये जाने के कारण ही उन लोगों को अन्य डाकुओं के साथ प्रार्थी और बद्री प्रसाद के मकान में डाका

डालने का साहस हुआ। इस समय गांव में बड़ा असन्तोष और आतंक है और अशान्ति फैली हुई है। गांव में पुलिस गार्ड का पहरा है, जो सुना है, शीघ्र ही हटा दिया जावे।

अतः प्रार्थना है कि पुलिस थाना सजेती उपरोक्त में किसी मातबर अफसर को थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करके प्रार्थी के गांव और थाना सजेती के क्षेत्र को बचाया जाव तथा उचित सुरक्षा का प्रबन्ध किया जावे और प्रार्थी तथा बद्री प्रसाद के यहां की डकैती की जांच, जिसमें जगदीश नरायन और भगवान बेई जान से मार डाले गये, किसी अन्य उच्च पुलिस अधिकारी इन्सपेक्टर पुलिस या ईमानदार और होशियार सब इन्सपेक्टर पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच करवाई जाये और जिन पर जुल्म हुआ है उनको हर प्रकार से सहायता की जावे महान दया होगी।

प्रार्थीगण,

(ह०) जगदम्बाप्रसाद (ह०) बद्री प्रसाद

१—जगदम्बा प्रसाद आत्मज राम भरोसे।

२—बद्री प्रसाद आत्मज बालक राम, निवासीगण ग्राम बीरबल का अकबरपुर, थाना सजेती, परगना घाटमपुर, जिला कानपुर। १५-३-६७।

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५५ पर)

सूची

१—रामस्वरूप पुत्र संता

२—मो० हनीफ पुत्र अल्ला दिया

३—सुरेश पुत्र भगवान सिंह

४—जगेश्वर पुत्र भगवान सिंह

५—राजेश्वर पुत्र भगवान सिंह

६—मगता पुत्र हरसी

७—रामसिंह पुत्र नन्दा

८—सीताराम पुत्र नन्दा

९—सुरजा पुत्र रामदिया

१०—वहीद पुत्र मामन

११—चोहल पुत्र लट्टू

१२—अतरसिंह पुत्र हरि

१३—नन्दा पुत्र रेहू

१४—कलीराम पुत्र छोटन

१५—छोटा पुत्र चोहनी

१६—मारू पुत्र हरसुख

१७—तुंगल पुत्र हरसुख

१८—शरीफ पुत्र लाल

१९—बूटा पुत्र नन्दराम

२०—चमन लाल पुत्र मुन्शी

२१—सोमदत्त पुत्र ब्रह्मानन्द

२२—भोला पहलवान

२३—भवानी पुत्र हरिदत्त

२४—दयाराम पुत्र नत्थू

२५—सुन्दरमल पुत्र छोटेराम

२६—पूरनचन्द पुत्र रण सिंह

२७—प्रेम पुत्र रामचन्द

२८—कुन्दन पुत्र दुर्गो

नोट :—क्रम संख्या २३ पर भवानी और क्रम संख्या २६ पर पूरन चंद्र धारा १६९ जा० फौ० में रिहा हुये। शेष चालान हुये।

नत्थी 'ङ'

(देखिये ता० प्र० ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५६ पर)

जिला लखनऊ के थाना नगराम में तारीख १–१२–६६ से लेकर १–४–६७ तक घटित अपराधों का विवरण पत्र

अपराध	मामले की संख्या								
	जिसकी रिपोर्ट की गई	जिसमें जांच की गई	जिसमें जांच नहीं की गई	जो चालान किये गये	जो सजायाव हुये	जो रिहा हुये	जो न्यायालय में विचाराधीन है	जो लापता रहे (अंतिम रिपोर्ट लगी)	जिसमें जांच अभी जारी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
डकैती ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—
चोरी ..	१६	११	५	५	—	—	५	६	—
नकबजनी ..	१६	१६	—	२	—	—	२	१४	—
मारपीट ..	६	४	२	३*	—	—	३	—	१

* १. घटना से सम्बन्धित क्रास-केस में अन्तिम रिपोर्ट लगी ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४६ एल० ए०—१९६७—८४६ ।